CGST NOTIFICATIONS

DIGEST-2018

[Volume-I]



Compilation of Notifications issued under the Central Goods and Services Tax Act 2017 (12 of 2017)

From 19th June 2017 to 30th Oct 2017



Compiled by

LOKESH MITTAL

Advocate High Court, Allahabad
[Editor: Tax Law Diary]

Mobile: 0-7007303296 (WhatsApp) {e-mail: lokeshmittaladvocate@gmail.com}

TAX LAW DIARY

A Monthly Journal on Taxation Laws
[One Volume in a Year (Jan – Dec)]

12-C, Akashpuri Colony, Allahabad – 211 001

(Opp. Circuit House, Near Bank of India/Amul)

PHONE: 2423065 (0532); 0-9415637120 {e-mail: taxlawdiary@gmail.com}

Join WhatsApp Group on "0-7398058000" for GST Updates

[Volume-I] Notifications issued under the CGST Act, 2017

(12 of 2017)

No.	Date	Subject	Page
01	19-06-17	Enforcement of certain Sections of CGST Act w.e.f. 22-6-17	4 - 5
02	19-06-17	Notifying the Jurisdiction of Central Tax Officers	6 - 61
04	19-06-17	Notifying www.gst.gov.in as Common GST Electronic Portal	62 - 63
05	19-06-17	Exemption on supplies which is liable to be paid on RCM	64 - 65
06	19-06-17	Modes of Verification under CGST Rules, 2017	66 - 67
08	27-06-17	Notifying turnover limit for composition levy and prohibition	68 - 71
09	28-06-17	Enforcement of certain Sections of CGST Act w.e.f. 1-7-17	72 - 73
11	28-06-17	Amendment in Notification No.06/2017 w.e.f. 22-06-17	74 - 75
12	28-06-17	Requirement of mentioning no. of HSN digits on tax invoice	76 - 77
13	28-06-17	Prescribing Interest Rate u/s 50(1)/50(3)/54(12)/56/Proviso	78 - 79
14	01-07-17	Assigning Jurisdiction/Power to Officers of various Directorates	80 - 83
16	07-07-17	Conditions and Safeguards for furnishing a LUT for export	84 - 87
18	08-08-17	Extention of Time for filing Form GSTR-1 for July & Aug, 2017	88 - 89
19	08-08-17	Extention of Time for filing Form GSTR-2 for July & Aug, 2017	90 - 91
20	08-08-17	Extention of Time for filing Form GSTR-3 for July & Aug, 2017	92 - 93
21	08-08-17	Declaring Dates for filing Form GSTR-3B for July & Aug, 2017	94 - 95
23	17-08-17	Declaring conditions for filing Form GSTR-3B for July, 2017	96 - 99
24	21-08-17	Amendment in Notification No. 23/2017, (Form GSTR-3B)	100 - 102
25	28-08-17	Extention of Time Limit for filing Form GSTR-5A for July, 2017	103 - 104
26	28-08-17	Extention of Time for filing Form GSTR-6 for July & Aug, 2017	105 - 106
28	01-09-17	Late fee waived for late filing of Form GSTR-3B for July, 2017	107 - 108
29	05-09-17	Extention of Time Limit for filing Returns for July & Aug, 2017	109 - 110
30	11-09-17	Extention of Time for filing GSTR-1, 2 and 3 for July, 2017	111 - 113

	-		-
31	11-09-17	Extention of Time Limit for filing Form GSTR-6 for July, 2017	114 - 115
32	15-09-17	Exemption to casual taxable person on 'Handicraft Goods'	116 - 120
33	15-09-17	Notifying Section 51 of the CGST Act for TDS w.e.f. 18-09-17	121 - 122
35	15-09-17	Extention of Time for filing GSTR-3B for Aug to Dec, 2017	123 - 126
37	04-10-17	Extention of facility of Letter of Undertaking to all exporters	127 - 130
38	13-10-17	Amendment in Notification No.32/2017 (Adding items in list)	131 - 132
39	13-10-17	Assigning Proper Officer for processing and grant of refund	133 - 134
40	13-10-17	Clarification on filing returns less than 1.5crore turnover	135 - 136
41	13-10-17	Extention of Time Limit for filing of Form GSTR-4	137 - 138
42	13-10-17	Extention of Time Limit for filing of Form GSTR-5A	139 - 140
43	13-10-17	Extention of Time Limit for filing of Form GSTR-6	141 - 142
44	13-10-17	Extention of Time Limit for filing of Form GST ITC-01	143 - 144
46	13-10-17	Amendment in Noti. No.08/17 (Turnover limit for Composition)	145 - 146
48	18-10-17	Notifying certain supplies as deemed export u/s 147	147 - 149
49	18-10-17	Evidences required to claim refund in deemed export supply	150 - 152
50	18-10-17	Late fee waived for late filing of Form GSTR-3B for Aug & Sep	153 - 154
52	28-10-17	Extention of Time Limit for filing of Form GST ITC-01	155 - 156
53	28-10-17	Extention of Time Limit for filing of Form GST ITC-04	157 - 158
54	30-10-17	Extention of Time for filing GSTR-2 and 3 for July, 2017	159 - 160

Continued......Volume-II

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

Notification No. 1/2017 - Central Tax

New Delhi, the 19th June, 2017 29 Jyaistha, 1939 Saka

G.S.R.(**E**).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 22nd day of June, 2017, as the date on which the provisions of sections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 and 164 of the said Act shall come into force.

[F. No. 349/72/2017-GST]

(Dr. Sreeparvathy.S.L.) Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.1/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए 22 जून, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 10, धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 139, धारा 146 और धारा 164 के उपबंध लागू होंगे।

[फा.सं. ३४९/७२/२०१७-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

Notification No. 2/2017-Central Tax

New Delhi, the 19th June, 2017 29 Jyaistha, 1939 Saka

- G.S.R (E).- In exercise of the powers under section 3 read with section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints-
 - (a) Principal Chief Commissioners of Central Tax and Principal Directors General of Central Tax,
 - (b) Chief Commissioners of Central Tax and Directors General of Central Tax,
 - (c) Principal Commissioners of Central Tax and Principal Additional Directors General of Central Tax,
 - (d) Commissioners of Central Tax and Additional Directors General of Central Tax,
 - (e) Additional Commissioners of Central Tax and Additional Directors of Central Tax,
 - (f) Joint Commissioners of Central Tax and Joint Directors of Central Tax,
 - (g) Deputy Commissioners of Central Tax and Deputy Directors of Central Tax,
 - (h) Assistant Commissioners of Central Tax and Assistant Directors of Central Tax,
 - (i) Commissioners of Central Tax (Audit),
 - (j) Commissioners of Central Tax (Appeals),
 - (k) Additional Commissioners of Central Tax (Appeals),

and the central tax officers sub-ordinate to them as central tax officers and vests them with all the powers under both the said Acts and the rules made thereunder with respect to the jurisdiction specified in the Tables given below.

- 2. The Principal Chief Commissioners of Central Tax or the Chief Commissioners of Central Tax, as the case may be, specified in column (2) of Table I, are hereby vested with the territorial jurisdiction over the-
 - (a) Principal Commissioners of Central Tax and Commissioners of Central Tax, as the case may be, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table;
 - (b) Commissioners of Central Tax (Appeals) specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table;
 - (c) Additional Commissioners of Central Tax (Appeals) specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table; and
 - (d) Commissioners of Central Tax (Audit) specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table.

- 3. The Principal Commissioners of Central Tax or the Commissioners of Central Tax, as the case may be, specified in column (2) of Table II and the central tax officers sub-ordinate to them, are hereby vested with the territorial jurisdiction specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.
- 4. The Commissioners of Central Tax (Appeals) and Additional Commissioners of Central Tax (Appeals) specified in column (2) of Table III and the central tax officers subordinate to them are hereby vested with the territorial jurisdiction of the Principal Commissioners of Central Tax or the Commissioners of Central Tax, as the case may be, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.
- 5. The Commissioners of Central Tax (Audit) specified in column (2) of Table IV and the central tax officers subordinate to them are hereby vested with the territorial jurisdiction of the Principal Commissioners of Central Tax or the Commissioners of Central Tax, as the case may be, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

Table I

Jurisdiction of Principal Chief Commissioner/Chief Commissioner of Central Tax in terms of Principal Commissioners/Commissioners of Central Tax, Commissioners of Central Tax (Appeals), Additional Commissioner of Central Tax (Appeals) and Commissioners of Central Tax (Audit)

Sl. No.	Chief Commissioner of Central Tax	Commissioner / Chief Commissioner of Commissioner of Commissioner of Commissioner (Appeals terms of Commissioner (Appeals te			commissioner of Commissioner of Central Tax in terms of Commissioner (Appeals) of Principal of Principal and Additional Commissioner (Appeals) (Appeals) Commissioner/ Commissioner/ Commissioner/ Commissioner/ Commissioner/ Commissioner/ Commissioner/ Chief Commissioner/		pal Chief hissioner / Commissioner of al Tax in terms of
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)
1	Principal Chief Commissioner Ahmedabad	1.3.1	Commissioner Ahmedabad North Principal Commissioner Ahmedabad South	1. 4.1	Commissioner (Appeals) Ahmedabad and Additional Commissioner (Appeals) Ahmedabad	1.5.1	Commissioner (Audit) Ahmedabad
		1.3.3	Commissioner Gandhinagar				
		1.3.4	Commissioner Rajkot	1.4.2	Commissioner (Appeals) Rajkot and Additional	1.5.2	Commissioner (Audit) Rajkot
		1.3.5	Commissioner Bhavnagar		Commissioner (Appeals) Rajkot		
		1. 3.6	Commissioner Kutch (Gandhidham)				
2	Principal Chief Commissioner Bengaluru	2.3.1	Principal Commissioner Bengaluru East	2.4.1	Commissioner (Appeals I) Bengaluru and Additional Commissioner (Appeals I) Bengaluru	2.5.1	Commissioner (Audit I) Bengaluru
		2.3.2	Commissioner Bengaluru South				
		2.3.3	Commissioner Bengaluru North	2.4.2	Commissioner (Appeals II) Bengaluru and Additional	2.5.2	Commissioner (Audit II)
		2.3.4	Commissioner Bengaluru North West		Commissioner (Appeals II) Bengaluru		Bengaluru
		2.3.5	Principal	2.4.3	Commissioner (Appeals)	2.5.3	Commissioner

Sl. No.	Principal Chief Commissioner / Chief Commissioner of Central Tax	Commissioner / Chief Commissioner of Commissioner of Central Tax in Commissioner (Appeals)			issioner/ Chief issioner of Central Tax in of Commissioner (Appeals) Additional Commissioner	Princi Comm Chief Centr	diction of ipal Chief nissioner / Commissioner of al Tax in terms of nissioner (Audit)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)
		2.3.6	Commissioner Bengaluru West Principal		Mysuru and Additional Commissioner (Appeals) Mysuru		(Audit) Mysuru
			Commissioner Mysuru				
		2.3.7	Commissioner Belgavi Commissioner	2.4.4	Commissioner (Appeals) Belgavi and Additional Commissioner (Appeals) Belgavi	2.5.4	Commissioner (Audit) Belgavi
3	Chief Commissioner Bhopal	3.3.1	Mangalore Principal Commissioner Bhopal	3.4.1	Commissioner (Appeals) Bhopal and Additional Commissioner (Appeals) Bhopal	3.5.1	Commissioner (Audit) Bhopal
		3.3.2	Commissioner Jabalpur				
		3.3.3	Principal Commissioner Raipur	3.4.2	Commissioner (Appeals) Raipur and Additional Commissioner (Appeals) Raipur	3.5.2	Commissioner (Audit) Raipur
		3.3.4	Commissioner Indore	3.4.3	Commissioner (Appeals) Indore and Additional Commissioner (Appeals)	3.5.3	Commissioner (Audit) Indore
		3.3.5	Commissioner Ujjain		Indore		
4	Chief Commissioner Bhubaneswar	4.3.1	Principal Commissioner Bhubaneswar	4.4.1	Commissioner (Appeals) Bhubaneswar and Additional Commissioner (Appeals) Bhubaneswar	4.5.1	Commissioner (Audit)Bhubanes war
		4.3.2	Commissioner Rourkela				
5	Chief Commissioner Chandigarh	5.3.1	Principal Commissioner Chandigarh	5.4.1	Commissioner (Appeals) Chandigarh and Additional Commissioner (Appeals) Chandigarh	5.5.1	Commissioner (Audit) Chandigarh
		5.3.2	Commissioner Shimla				
		5.3.3	Commissioner Jammu	5.4.2	Commissioner (Appeals) Jammu and Additional Commissioner (Appeals) Jammu	5.5.2	Commissioner (Audit) Jammu
		5.3.4	Principal Commissioner Ludhiana	5.4.3	Commissioner (Appeals) Ludhiana and Additional Commissioner (Appeals) Ludhiana	5.5.3	Commissioner (Audit) Ludhiana
		5.3.5	Commissioner				

Sl. No.	Principal Chief Commissioner / Chief Commissioner of Central Tax	Commiss Chief Central T terms Commiss	Commissioner / Chief Commissioner of Central Tax in terms of Principal and Additional Commissioner Commissioner (Appeals) Commissioner / Commissioner (Appeals) Commissioner / Commissioner (Appeals) Commissioner / Chief Commissioner Commissioner (Appeals) Commissioner / Chief Commissioner Commissioner (Appeals)		ommissioner / Commissioner nief Commissioner of entral Tax in rms of Principal ommissioner/ Commissioner (Appeals)		Commissioner / Chief Commissioner of Central Tax in terms of Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax		ioner / Commissioner / Chief Commissioner / Chief Commissioner of Central Tax in terms of Commissioner (Appeals) and Additional Commissioner Central Tax in ioner / Commissioner (Appeals) (Appeals)		pal Chief
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)				
			Jalandhar								
6	Principal Chief Commissioner Chennai	6.3.1	Principal Commissioner Chennai North	6.4.1	Commissioner (Appeals I) Chennai and Additional Commissioner (Appeals I) Chennai	6.5.1	Commissioner (Audit I) Chennai				
		6.3.2	Commissioner Puducherry								
		6.3.3	Commissioner Chennai South	6.4.2	Commissioner (Appeals II) Chennai and Additional Commissioner (Appeals II)	6.5.2	Commissioner (Audit II) Chennai				
		6.3.4	Commissioner Chennai Outer		Chennai						
		6.3.5	Principal Commissioner Coimbatore	6.4.3	Commissioner (Appeals)Coimbatore and Additional Commissioner (Appeals) Coimbatore	6.5.3	Commissioner (Audit) Coimbatore				
		6.3.6	Commissioner Tiruchirapally								
		6.3.7	Commissioner Madurai								
		6.3.8	Commissioner Salem								
7	Principal Chief Commissioner Delhi	7.3.1	Principal Commissioner Delhi North	7.4.1	Commissioner (Appeals I) Delhi and Additional Commissioner (Appeals I) Delhi	7.5.1	Commissioner (Audit I) Delhi				
		7.3.2	Commissioner Delhi East								
		7.3.3	Principal Commissioner Delhi South	7.4.2	Commissioner (Appeals II) Delhi and Additional Commissioner (Appeals II) Delhi	7.5.2	Commissioner (Audit II) Delhi				
		7.3.4	Commissioner Delhi West								
8	Chief Commissioner Guwahati	8.3.1	Principal Commissioner Guwahati	8.4.1	Commissioner (Appeals) Guwahati and Additional Commissioner (Appeals) Guwahati and	8.5.1	Commissioner (Audit) Shillong				
		8.3.2	Commissioner Dibrugarh		Additional Commissioner (Appeals) Shillong						

SI. No.	Principal Chief Commissioner / Chief Commissioner of Central Tax	Commiss Chief Central T terms Commiss	Central Tax in terms of Commissioner (Appeals) Chief Commissione			pal Chief nissioner / Commissioner of al Tax in terms of	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)
		8.3.3 8.3.4	Commissioner Shillong Commissioner				
			Itanagar				
		8.3.5	Commissioner Dimapur				
		8.3.6	Commissioner Imphal				
		8.3.7	Commissioner Aizawl				
		8.3.8	Commissioner Agartala				
9	Chief Commissioner Hyderabad	9.3.1	Principal Commissioner Hyderabad	9.4.1	Commissioner (Appeals I) Hyderabad and Additional Commissioner (Appeals I) Hyderabad	9.5.1	Commissioner (Audit I) Hyderabad
		9.3.2	Commissioner Rangareddy				
		9.3.3 9.3.4	Commissioner Medchal Commissioner	9.4.2	Commissioner (Appeals II) Hyderabad and Additional	9.5.2	Commissioner (Audit II) Hyderabad
			Secunderabad		Commissioner (Appeals II) Hyderabad		rrydcraoad
10	Chief Commissioner Jaipur	10.3.1	Principal Commissioner Jaipur	10.4.1	Commissioner (Appeals) Jaipur and Additional Commissioner (Appeals) Jaipur	10.5.1	Commissioner (Audit) Jaipur
		10.3.2	Commissioner Alwar				
		10.3.3	Commissioner Jodhpur	10.4.2	Commissioner (Appeals) Jodhpur and Additional Commissioner (Appeals)	10.5.2	Commissioner (Audit) Jodhpur
		10.3.4	Commissioner Udaipur		Jodhpur		
11	Principal Chief Commissioner Kolkata	11.3.1	Principal Commissioner Kolkata North	11.4.1	Commissioner (Appeals I)Kolkata and Additional Commissioner (Appeals I) Kolkata	11.5.1	Commissioner (Audit I) Kolkata
		11.3.2	Commissioner Kolkata South				
		11.3.3	Commissioner Howrah	11.4.2	Commissioner (Appeals II) Kolkata and Additional Commissioner (Appeals II)	11.5.2	Commissioner (Audit II) Kolkata
		11.3.4	Commissioner Haldia		Kolkata		
		11.3.5	Commissioner Siliguri	11.4.3	Commissioner (Appeals) Siliguri and Additional Commissioner (Appeals)	11.5.3	Commissioner (Audit) Durgapur

Sl. No.	Chief Commissioner of Central Tax	Commiss Chief Central T terms Commiss	missioner / Commissioner / Chief f Commissioner of Commissioner of Commissioner of Commissioner (Appeals) s of Principal and Additional Commissioner (Appeals)			Commissioner / Chief Commissioner / Chief Commissioner / Commissioner of Central Tax in Commissioner (Appeals) Commissioner (Appeals) Chief Commissioner Central Tax in Commissioner Central Tax in Commissioner Central Tax in Central Tax in Commissioner Central Tax in Central Tax in Commissioner Central Tax in Central Tax in			pal Chief hissioner / Commissioner of al Tax in terms of hissioner (Audit)
(1)	(2)	1101	(3)		(4)		(5)		
		11.3.6	Commissioner Bolpur		Siliguri				
12	Principal Chief Commissioner Lucknow	12.3.1	Principal Commissioner Lucknow	12.4.1	Commissioner (Appeals) Lucknow and Additional Commissioner (Appeals) Lucknow	12.5.1	Commissioner (Audit) Lucknow		
		12.3.2	Commissioner Agra						
		12.3.3	Commissioner Kanpur	12.4.2	Commissioner (Appeals) Allahabad and Additional Commissioner (Appeals)	12.5.2	Commissioner (Audit) Kanpur		
		12.3.4	Commissioner Allahabad		Allahabad				
		12.3.5	Commissioner Varanasi						
13	Chief Commissioner Meerut	13.3.1	Principal Commissioner Meerut	13.4.1	Commissioner (Appeals) Meerut and Additional Commissioner (Appeals) Meerut	13.5.1	Commissioner (Audit) Meerut		
		13.3.2	Commissioner Ghaziabad						
		13.3.3	Principal Commissioner Noida	13.4.2	Commissioner (Appeals) Noida and Additional Commissioner (Appeals) Noida	13.5.2	Commissioner (Audit) Noida		
		13.3.4	Commissioner Gautam Buddh Nagar						
		13.3.5	Commissioner Dehradun	13.4.3	Commissioner (Appeals) Dehradun and Additional Commissioner (Appeals) Dehradun	13.5.3	Commissioner (Audit) Dehradun		
14	Principal Chief Commissioner Mumbai	14.3.1	Principal Commissioner Mumbai South	14.4.1	Commissioner (Appeals I) Mumbai and Additional Commissioner (Appeals I) Mumbai	14.5.1	Commissioner (Audit I) Mumbai		
		14.3.2	Principal Commissioner Mumbai East	14.4.2	Commissioner (Appeals II) Mumbai and Additional Commissioner (Appeals II) Mumbai	14.5.2	Commissioner (Audit II) Mumbai		
		14.3.3	Commissioner Mumbai Central						
		14.3.4	Commissioner Mumbai West	14.4.3	Commissioner Appeals III) Mumbai and Additional Commissioner (Appeals III) Mumbai	14.5.3	Commissioner (Audit III) Mumbai		
		14.3.5	Commissioner Palghar						
		14.3.6	Commissioner Raigarh	14.4.4	Commissioner (Appeals) Raigarh and Additional Commissioner	14.5.4	Commissioner (Audit) Raigarh		

Sl. No.	Chief Commissioner of Central Tax	Commiss Chief Central T terms Commiss	Central Tax in terms of Commissioner (Appeals) Chief Commissioner of Principal and Additional Commissioner Central Tax in			pal Chief nissioner / Commissioner of al Tax in terms of nissioner (Audit)	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)
		14.3.7	Commissioner Navi Mumbai Commissioner Belapur		(Appeals) Raigarh		
		14.3.9	Commissioner Thane	14.4.5	Commissioner (Appeals) Thane and Additional Commissioner	14.5.5	Commissioner (Audit) Thane
		14.3.10	Commissioner Thane Rural		(Appeals) Thane		
		14.3.11	Commissioner Bhiwandi				
15	Chief Commissioner Nagpur	15.3.1	Principal Commissioner Nagpur-I	15.4.1	Commissioner (Appeals) Nagpur and Additional Commissioner	15.5.1	Commissioner (Audit) Nagpur
	Ci	15.3.2	Commissioner Nagpur-II		(Appeals) Nagpur		
		15.3.3	Commissioner Nashik	15.4.2	Commissioner (Appeals) Nashik and Additional Commissioner	15.5.2	Commissioner (Audit) Nashik
		15.3.4	Commissioner Aurangabad		(Appeals) Nashik		
16	Chief Commissioner Panchkula	16.3.1	Principal Commissioner Gurugram	16.4.1	Commissioner (Appeals) Gurugram and Additional Commissioner (Appeals) Gurugram	16.5.1	Commissioner (Audit) Gurugram
		16.3.2	Commissioner Faridabad				
		16.3.3	Commissioner Panchkula	16.4.2	Commissioner (Appeals) Panchkula and Additional Commissioner	16.5.2	Commissioner (Audit) Panchkula
		16.3.4	Commissioner Rohtak		(Appeals)Panchkula		
17	Chief Commissioner Pune	17.3.1	Principal Commissioner Pune-I	17.4.1	Commissioner (Appeals) Pune-I and Additional Commissioner (Appeals) Pune-I	17.5.1	Commissioner (Audit I) Pune
		17.3.2	Commissioner Kolhapur				
		17.3.3	Commissioner Pune-II	17.4.2	Commissioner (Appeals) Pune-II and Additional Commissioner (Appeals) Pune-II	17.5.2	Commissioner (Audit II) Pune
		17.3.4	Commissioner Goa	17.4.3	Commissioner (Appeals) Goa and Additional Commissioner (Appeals) Goa		
18	Chief Commissioner Ranchi	18.3.1	Principal Commissioner Patna-I	18.4.1	Commissioner (Appeals) Patna and Additional Commissioner	18.5.1	Commissioner (Audit) Patna

SI. No.	Chief Commissioner of Central Tax	Commiss Chief Central ' terms	Commissioner of Fax in of Principal sioner/ Commissioner al Tax	Commis Commis terms	ssioner of Central Tax in of Commissioner (Appeals) Additional Commissioner (s)	Princip Comm Chief Centra	iction of pal Chief dissioner / Commissioner of al Tax in terms of dissioner (Audit)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)
		18.3.2	Commissioner Patna-II		(Appeals) Patna		
		18.3.3	Principal Commissioner Ranchi	18.4.2	Commissioner (Appeals) Ranchi and Additional Commissioner	18.5.2	Commissioner (Audit) Ranchi
		18.3.4	Commissioner Jamshedpur		(Appeals) Ranchi		
19	Chief Commissioner Thiruvananthapur am	mmissioner Thiruvananthapuram (Appeals) Kochi ai Additional Commission	(Appeals) Kochi and	19.5.1	Commissioner (Audit) Kochi		
		19.3.2	Principal Commissioner Kochi				
		19.3.3	Commissioner Kozhikode				
20	Chief Commissioner Vadodara	20.3.1	Principal Commissioner Vadodara-I	20.4.1	Commissioner (Appeals) Vadodara and Additional Commissioner	20.5.1	Commissioner (Audit) Vadodara
		20.3.2	Commissioner Vadodara-II		(Appeals) Vadodara		
		20.3.3	Commissioner Surat	20.4.2	Commissioner (Appeals) Surat and Additional Commissioner	20.5.2	Commissioner (Audit) Surat
		20.3.4	Commissioner Daman		(Appeals) Surat		
21	Chief Commissioner Visakhapatnam (Amaravathi)	21.3.1	Principal Commissioner Visakhapatnam	21.4.1	Commissioner (Appeals) Guntur and Additional Commissioner (Appeals) Guntur	21.5.1	Commissioner (Audit) Guntur
	·	21.3.2	Commissioner Guntur				
		21.3.3	Commissioner Tirupati				

Table II Territorial Jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Central Tax

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	Agartala	State of Tripura.

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
2	Agra	Districts of Agra, Firozabad, Mahamaya Nagar, Mathura, Aligarh, Auraiya, Etawah, Kasi Ram Nagar and Etahin the State of Uttar Pradesh.
towards northern side of Relief road extending up to Kalupur, the east of railway tracks from Kalupur bridge to Sarang Sarangpur Bridge to the northern side of the road from Sarar corner of Patel Mills on Rakhial Road via Hathikhai. From Patimaginary boundary lying on the outer boundary of Patel Mill (including both mills) and, then, the wall separating the Vivekanand Mill, the imaginary boundary runs through the road Society and Rakhial Village passing through the backside of upto Naroda Highway. From there, it includes the area lying on Narol-Naroda Highway upto the intersection of Narol-Naroda Highway upto the intersection of Narol-Narodaka, NarodaLialsis, Navrangpur Village of DascroiTaluk. To include the entire area of City Taluka west of Sabarmati River falling South from the line running from Nehru Bridge to Station via Ashram Road, Swastik Char Rasta, Commerce Drive-in Road uptoThaltej Cross Road on S.G. Highway, from upto the Sanand Cross Road Road on S.G. highway on west Ahmedabad City Taluka limit and on east side Sabarmati river upto Ahmedabad City Taluka limit towards South) and all Taluka, on the western side of Sabarmati River. The jurisdi Sanand, Dholka, Dholera, Bavla, Mandal, Dhanduka, Vira		Entire area on the eastern side of Sabarmati river starting from Nehru Bridge towards northern side of Relief road extending up to Kalupur, on southern side to the east of railway tracks from Kalupur bridge to Sarangpur Bridge. From Sarangpur Bridge to the northern side of the road from Sarangpur Bridge to the corner of Patel Mills on Rakhial Road via Hathikhai. From Patel Mills, there is an imaginary boundary lying on the outer boundary of Patel Mills and Raipur Mills (including both mills) and, then, the wall separating the Raipur Mills and Vivekanand Mill, the imaginary boundary runs through the roads between Rakhial Society and Rakhial Village passing through the backside of Monogram Mills upto Naroda Highway. From there, it includes the area lying on the eastern side of Narol-Naroda Highway upto the intersection of Narol-Naroda Highway and Odhav Road at Indian Oil Corporation, and Muthia, Ainasan, Pardhol, Vehlal, Juka, NarodaLialsis, Navrangpur Village of DascroiTaluk. The jurisdiction also includes the entire area of City Taluka west of Sabarmati River (excluding the area falling South from the line running from Nehru Bridge to Navrangpur Police Station via Ashram Road, Swastik Char Rasta, Commerce Six Road towards Drive-in Road uptoThaltej Cross Road on S.G. Highway, from Thaltej Cross Road upto the Sanand Cross Road Road on S.G. Highway, from Thaltej Cross Road upto the Sanand Cross Road Road on S.G. Highway on west side, on south side Ahmedabad City Taluka limit and on east side Sabarmati river from Nehru bridge upto Ahmedabad City Taluka limit towards South) and all villages of Daskroi Taluka, on the western side of Sabarmati River. The jurisdiction also includes Sanand, Dholka, Dholera, Bavla, Mandal, Dhanduka, Viramgam and Detroj-Rampura Taluka of Ahmedabad District in the State of Gujarat.
4	Ahmedabad South	Area covering the City Taluka and the Daskroi Taluka in the District of Ahmedabad excluding (1) The area to the North of the Road starting from Riverfront near Times of India Office till S.G. highway via Swastik Char Rasta, Vijay Char Rasta, Memnagar Cross Road and Drive-in Road. (2) Area to the west of S.G. highway starting from Thaltej Cross Roads towards Sanand Crossroads till the limits of city taluka. (3) The portions and villages of both the talukas included in the jurisdiction of Ahmedabad North Commissionerate in the State of Gujarat.
5	Aizawl	State of Mizoram
6	Allahabad	Districts of Allahabad, SantRavidas Nagar, Jaunpur, Sultanpur, Amethi (Gauriganj), Pratapgarh, Kaushambi, Chitrakoot, Banda, Fatehpur, Basti, Ambedkar Nagar, Faizabad and Raebareli in the State of Uttar Pradesh.
7	Alwar	Districts of Alwar, Bharatpur, Dholpur, Dausa, Karauli, SawaiMadhopur, Sikar and Jhunjhunu in the State of Rajasthan.
8	Aurangabad	Districts of Aurangabad, Jalna, Hingoli, Parbhani, Nanded, Latur, Osmanabad and Beed in the State of Maharashtra.
9	Belapur	The areas falling under following pin codes: 400614, 400701 to 400707, 400709 and 400710 in the State of Maharashtra.

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction						
(1)	(2)	(3)						
10		Districts of Bidar, Gulbarga, Bijapur, Raichur, Bagalkot, Belgaum, Dharwar, Gadag, Bellary, Koppal, and Yadgir in the State of Karnataka covered under the postal pin code including: 580001, 580002, 580003, 580004, 580005, 580006, 580007, 580008, 580009, 580011, 580020, 580021, 580023, 580024, 580025, 580026, 580028, 580029, 580030, 580031, 580032, 580112, 580114, 580118, 581103, 581107, 581113, 581117, 581195, 581196, 581201, 581204, 581206, 581207, 581209, 582101, 582102, 582103, 582111, 582112, 582113, 582114, 582115, 582116, 582117, 582118, 582119, 582120, 582201, 582202, 582203, 582204, 582205, 582206, 582207, 582208, 582209, 582210, 582211, 583110, 583112, 583113, 583114, 583115, 583116, 583117, 583118, 583119, 583120, 583121, 583122, 583123, 583124, 583125, 583124, 583125, 583212, 583214, 583125, 583126, 583127, 583218, 583212, 583214, 583125, 583216, 58317, 583218, 583219, 583220, 583221, 583222, 583223, 583224, 583225, 583226, 583227, 583228, 583231, 583232, 583234, 583234, 583235, 583236, 583237, 583238, 583231, 583136, 584101, 584102, 584103, 584111, 584113, 584115, 584116, 584118, 584120, 584122, 584123, 584124, 584125, 584126, 584127, 584128, 584129, 584133, 584134, 584134, 584115, 584116, 584118, 584120, 584122, 584123, 584124, 584125, 584126, 584127, 584128, 584129, 584133, 584134, 584135, 584136, 584138, 584139, 584140, 584143, 584167, 584170, 584202, 584203, 585211, 585212, 585213, 585214, 585215, 585216, 585217, 585218, 585210, 585210, 585213, 585214, 585215, 585216, 585217, 585218, 585219, 585220, 585221, 585223, 585224, 585225, 585226, 585227, 585228, 585226, 585227, 585226, 585227, 585226, 585227, 585266, 58527, 585290, 585291, 585291, 585301, 585304, 585304, 585306, 585301, 585301, 585304, 585304, 585305, 585306, 585291, 585291, 585292, 585233, 585344, 585305, 585306, 585291, 585291, 585292, 585233, 585244, 585295, 585296, 585291, 585291, 585203, 585204, 585291, 585291, 585203, 585204, 585291, 585203, 585204, 585207, 585204, 585205, 585206, 585237, 585294, 585290, 585291, 585292, 585230, 5						
		\$85307, \$85308, \$85309, \$85310, \$85311, \$85312, \$85313, \$85314, \$85315, \$85316, \$85317, \$85318, \$85319, \$85320, \$85321, \$85322, \$85323, \$85324, \$85325, \$85326, \$85327, \$85328, \$85329, \$85330, \$85331, \$85353, \$85355, \$85401, \$85402, \$85403, \$85411, \$85412, \$85413, \$85414, \$85415, \$85416, \$85417, \$85418, \$85419, \$85421, \$85436, \$85437, \$85443, \$86101, \$86102, \$86103, \$86104, \$86108, \$86109, \$86111, \$86112, \$86113, \$86114, \$86115, \$86116, \$86117, \$86118, \$86119, \$86120, \$86201, \$86202, \$86203, \$86204, \$86205, \$86206, \$86207, \$86208, \$86209, \$86210, \$86211, \$86212, \$86213, \$86214, \$86215, \$86216, \$86217, \$87101, \$87102, \$87103, \$87111, \$87112, \$87122, \$87124, \$87125, \$87134, \$87115, \$87116, \$87117, \$87128, \$87202, \$87203, \$87204, \$87205, \$87206, \$87207, \$87301, \$87311, \$87312, \$87313, \$87314, \$87315, \$87316, \$87330, \$90001, \$90003, \$90005, \$90006, \$90008, \$90009, \$90010, \$90011, \$90014, \$90015, \$90016, \$90018, \$90019, \$91101, \$91102, \$91103, \$91104, \$91106, \$91107, \$91108, \$91109, \$91110, \$91111, \$91112, \$91113, \$91114, \$91115, \$91116, \$91117, \$91118, \$91119, \$91120, \$91121, \$91222, \$91223, \$91224, \$91225, \$91226, \$91227, \$91228, \$91220, \$91221, \$91231, \$91244, \$91215, \$91216, \$91217, \$91218, \$91219, \$91220, \$91231, \$91244, \$91215, \$91216, \$91217, \$91218, \$91219, \$91220, \$91231, \$91244, \$91215, \$91216, \$91217, \$91218, \$91219, \$91220, \$91231, \$91244, \$91215, \$91216, \$91217, \$91218, \$91219, \$91220, \$91231, \$91234, \$91245, \$91225, \$91223, \$91224, \$91225, \$91223, \$91224, \$91225, \$91223, \$91234, \$91245, \$91245, \$91245, \$91245, \$91246, \$91247, \$91248, \$91254, \$91265, \$91287, \$91300, \$91301, \$91301, \$91314, \$91305, \$91306, \$91307, \$91308, \$91309, \$91310, \$91311, \$91312, \$91313, \$91314, \$91315, \$91316, \$91317, \$91340 and \$91344.						

SI. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction	
(1)	(2)	(3)	
11	Bengaluru East	Areas falling under the following postal pin codes in the jurisdiction of part of Bengaluru Urban District, part of Bengaluru Rural District, Kolar District, in the State of Karnataka: 560005, 560007, 560008, 560016, 560017,560025, 560033, 560035, 560036, 560037,560038, 560042, 560043, 560047, 560048, 560049, 560066, 560067, 560071, 560075, 560084, 560087, 560093, 560103, 562114, 562122, 562125, 562129, 563101, 563102, 563103, 563113, 563114, 563115, 563116, 563117, 563118, 563119, 563120, 563121, 563122, 563126, 563127, 563128, 563130, 563131, 563132, 563133, 563134, 563135, 563136, 563137, 563138, 563139, 563160,563161and563162. Any other pin codes falling within Kolar District which are not mentioned	
12	Bengaluru North	specifically in the jurisdiction of any of the Commissionerates. The areas falling under the following postal pin codes in the jurisdiction of part of Bengaluru Urban District, part of Bengaluru Rural District, Chikkaballapura	
		District in the State of Karnataka: 560001, 560003, 560006, 560009, 560012, 560014, 560020, 560021, 560024, 560032, 560045, 560046, 560051, 560052, 560054, 560055, 560063, 560064, 560065, 560077, 560080, 560092, 560094, 560097, 560106, 560300, 561203, 561204, 561205, 561206, 561207, 561208, 561209, 561210, 561211, 561212, 561213, 561228, 562101, 562102, 562103, 562104, 562105, 562110, 562135, 562149, 562157, 562163, 562164, 563123, 563124, 563125, 563146 and 563159. Any other pin codes falling within the jurisdiction of Bengaluru Rural District and Chikkaballpura District which are not mentioned specifically in the jurisdiction of any of the Commissionerates.	
13	Bengaluru North West	The areas falling under the following postal pin codes in the jurisdiction of part of Bengaluru Urban District, part of Bengaluru Rural District, Tumkur District, Chitradurga District, Davangere District and Haveri District in the State of Karnataka: 560013, 560015, 560022, 560031, 560057,560058, 560073, 560088, 560089, 560090, 560091, 560107, 561202, 562111, 562123, 562132, 562162, 572101, 572102, 572103, 572104, 572105, 572106, 572107, 572111, 572112, 572113, 572114, 572115, 572116, 572117, 572118, 572119, 572120, 572121, 572122, 572123, 572124, 572125, 572126, 572127, 572128, 572129, 572130, 572132, 572134, 572134, 572135, 572136, 572137, 572138, 572139, 572140, 572141, 572142, 572143, 572144, 572145, 572168, 572175, 572201,572202, 572211, 572212, 572221, 572222, 572223, 572224, 572225, 572226, 572227, 572228, 573114, 577001, 577002, 577003, 577004, 577005, 577006, 577213, 577215, 577217, 577218, 577219, 577221, 577221, 577221, 577221, 577221, 577221, 577522, 577522, 577523, 577524, 577525, 577526, 577527, 577528, 577530, 577531, 577531, 577531, 577532, 577534, 577535, 577536, 577537, 577538, 577536, 5775757, 577558, 577556, 577559, 577596, 577597, 577598, 577599, 577500, 581101, 581102, 581104, 581106, 581108, 581109, 581110, 581112, 581145, 581148, 581193,	

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction	
(1)	(2)	(3)	
		581197, 581198, 581202,581203, 581205, 581208, 581210, 581211, 581212, 581213, 583125, 583127, 583131, 583137and 583213.	
		Any other pin codes falling within the jurisdiction of Tumkur District, Chitradurga District, Davangere District and Haveri District which are not mentioned specifically in the jurisdiction of any of the Commissionerates	
14	Bengaluru South	The areas falling under the following postal pin codes in the jurisdiction of part of Bengaluru Urban District in the State of Karnataka:	
		560002, 560004, 560011, 560027, 560029, 560030, 560034, 560041, 560068, 560069, 560076, 560078, 560081, 560083, 560095,560099, 560100, 560102, 560105, 560108, 560111, 560112, 560114, 560210, 561229, 562106, 562107, 562158. Any other pin codes falling within the jurisdiction of Bengaluru Urban Districts which are not mentioned specifically in the jurisdiction of any of the Commissionerates.	
15	Bengaluru West	Areas falling under the following postal pin codes in the jurisdiction of part of Bengaluru Urban District and Ramnagaram District, in the State of Karnataka:	
		560010, 560018, 560019,560023, 560026, 560028, 560039, 560040, 560044, 560050, 560053, 560056, 560059, 560060, 560061, 560062,560070, 560072, 560074, 560079, 560082, 560085, 560086, 560096, 560098, 560104, 560109, 560110,561101,561201, 562108, 562109, 562112, 562117, 562119, 562120, 562121, 562126, 562127, 562128, 562130,562131, 562138, 562145, 562159, 562160, 562161 571501 and 571511.	
		Any other pin codes falling within the jurisdiction of Ramnagaram District which are not mentioned specifically in the jurisdiction of any of the Commissionerates.	
16	Bhavnagar	Districts of Bhavnagar, Surendranagar, Amreli, Junagadh, Porbandar, Gir-Somnath and Botad in the State of Gujarat.	
17	Bhiwandi	The areas falling under following pin codes: 400607, 400608, 400615, 401204, 421101, 421302, 421305, 421308, 421311 and 421312 in the State of Maharashtra.	
18	Bhopal	Districts of Bhopal, Vidisha, Raisen, Hoshangabad, Harda, Sehore, Betul, Sagar, Rajgarh, Gwalior, Guna, Bhind, Morena, Sheopur, Shivpuri, Ashoknagar, Datia in the State of Madhya Pradesh.	
19	Bhubaneswar	Districts of Khurda, Cuttack, Kendrapara, Jagatsinghpur, Puri, Jajpur, Bhadrak, Balasore, Dhenkanal, Nayagarh, Ganjam, Rayagada, Gajapati, Koraput, Malkangiri, Nabrangpur, Kandhamal and Kalahandi in the State of Odisha.	
		The territorial waters and the seabed and sub-soil underlying such waters from where the nearest point of the appropriate baseline is located in the state of Odisha.	
20	Bolpur	Districts of Murshidabad, Birbhum, Purulia, Purba Bardhman, Paschim Bardhman and Bankura in the State of West Bengal.	

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction	
(1)	(2)	(3)	
21	Chandigarh	Union Territory of Chandigarh.	
22	Chennai North	Chennai Corporation Zone Nos. I to IX.(From Ward no. 1 to 126 in existence as on 01-04-2017) in the State of Tamil Nadu.	
		The continental shelf and exclusive economic zone contiguous to the eastern coast of India.	
		Explanation: The eastern coast of India refers to the coast adjacent to the states or Union Territories, as the case may be, of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Puducherry, Tamil Nadu and Andaman and Nicobar Islands.	
23	Chennai Outer	Districts of Villupuram, Thiruvannamalai, Vellore, Thiruvallur, Kanchipuram and areas covered under Pallavaram Cantonment Board excluding Chennai Corporation Zone Nos. I to XV (from Ward No. 1 to 200 in existence as on 01.04.2017) and St. Thomas Mount Cantonment Board in the State of Tamil Nadu.	
24	Chennai South	Areas comprising of Chennai Corporation Zones Nos. X to XV (From Ward No. 127 to 200 in existence as on 01-04-2017) and St. Thomas Mount Cantonment Board in the State of Tamil Nadu.	
25	Coimbatore	Districts of Coimbatore, Nilgiris and the District of Tirupur excluding Dharapuram, Kangeyam and Uthukkuli Taluks in the State of Tamil Nadu.	
26	Daman	Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.	
27	Dehradun	State of Uttarakhand.	
28	Delhi East	Areas falling under the following postal pin codes in the jurisdiction of part of Revenue Districts namely, East Delhi, South Delhi, New Delhi, North East Delhi, Shahdara and South East Delhi in the Union Territory of Delhi.	
		110003, 110013, 110014, 110019, 110024, 110025, 110031, 110032, 11004 110049, 110051, 110053, 110065, 110090, 110091, 110092, 110093, 11009 110095, 110096, 110098, 110099.	
29	Delhi North	Areas falling under the following postal pin codes in the jurisdiction of part of Revenue Districts namely, Central Delhi, North Delhi and North West Delhi in the Union Territory of Delhi.	
		110002, 110005, 110006, 110007, 110009, 110033, 110035, 110036, 110039, 110040, 110042, 110054, 110055, 110060, 110082, 110084, 110088.	
30	Delhi South	Areas falling under the following postal pin codes in the jurisdiction of part Revenue Districts namely, New Delhi, South Delhi, South East Delhi and Sou West Delhi in the Union Territory of Delhi.	
		110001, 110004, 110010, 110011, 110012, 110016, 110017, 110020, 110021, 110022, 110023, 110028, 110029, 110030, 110037, 110038, 110043, 110045, 110046, 110047, 110048, 110050, 110057, 110061, 110062, 110066, 110067, 110068, 110069, 110070, 110071, 110072, 110073, 110074, 110075, 110076, 110077, 110078, 110079, 110080, 110097.	
31	Delhi West	Areas falling under the following postal pin codes in the jurisdiction of part of Revenue Districts namely, North Delhi, West Delhi, Central Delhi and North	

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction	
(1)	(2)	(3)	
		West Delhi in the Union Territory of Delhi.	
		110008, 110015, 110018, 110026, 110027, 110034, 110041, 110052, 110056, 110058, 110059, 110063, 110064, 110081, 110083, 110085, 110086, 110087, 110089.	
32	Dibrugarh	Districts of Tinsukia, Dibrugarh, Charaideo, Sivasagar, Jorhat, Golaghat, Majuli, Darrang, Udalguri, Sonitpur, Biswanath, Lakhimpur and Dhemaji in the State of Assam.	
33	Dimapur	State of Nagaland	
34	Faridabad	Districts namely Faridabad, Palwal, Mewat, Rewariand Mahendergarh in the State of Haryana.	
35	Gandhinagar	Districts of Gandhinagar, Sabarkantha, Aravalli, Mehsana, Banaskantha and Patan districts in the State of Gujarat.	
36	Gautam Buddha Nagar	District of Gautam Buddh Nagar (excluding the areas falling under the jurisdiction of New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA) in the District of GautamBuddh Nagar) and Districts of Bulandshahar, Bareilly, Badaun, Sambhal and Pilibhit in the State of Uttar Pradesh.	
37	Ghaziabad	District of Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh.	
38	Goa	State of Goa.	
		The territorial waters and the seabed and sub soil underlying such waters fr where the nearest point of the appropriate baseline is located in the state of Goa.	
39	Guntur	Districts of Guntur, Krishna, West Godavari, PottiSriramulu Nellore and Prakasam in the State of Andhra Pradesh.	
		The territorial waters and the seabed and sub soil underlying such waters from where the nearest point of the appropriate baseline is located in the state of Andhra Pradesh.	
40	Gurugram	Revenue District of Gurugram in the State of Haryana.	
41	Guwahati	Districts of Kamrup (Metro), Kamrup (Rural), Baksa, Kokrajhar, Bongaigon, Chirang, Barapeta, Dhubri, South Salmara-Mankachar, Nalbari, Goalpara, Morigaon, Nagoan, Hojai, East KarbiAnglong, West KarbiAnglong, DimaHasao, Cachar, Hailakandi and Karimganj in the State of Assam.	
42	Haldia	Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Districts of Purba Medinipur Paschim Medinipur, Jhargram and Block Amta-I, Amta-II, Bagnan I Jagatballavpur, Panchala, Udaynarayanpur, Domjur and Uluberia II of Howral District in the State of West Bengal.	
		The territorial waters and the seabed and sub soil underlying such waters from where the nearest point of the appropriate baseline is located in the state of West Bengal and the Union territory of Andaman and Nicobar Islands.	

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction	
(1)	(2)	(3)	
43	Howrah	Districts of Hooghly and Howrah except Blocks Amta-I, Amta II, Bagnan-I,Jagatballavpur, Panchala, Udaynarayanpur, Domjur and Uluberia II in the district of Howrah in the State of West Bengal.	
44	Hyderabad	Ward No. 24,26 to 80,89 and 91 to 103 of Greater Hyderabad Municipal Corporation falling in Hyderabad District and Rajendranagar Mandal of Rangareddy District in the State of Telangana.	
45	Imphal	State of Manipur.	
46	Indore	Districts of Indore and Dewas in the State of Madhya Pradesh.	
47	Itanagar	State of Arunachal Pradesh.	
48	Jabalpur	Districts of Jabalpur, Narsinghpur, Mandla, Dindori, Katni, Umaria, Shahdol, Anuppur, Chhindwara, Seoni, Balaghat, Satna, Panna, Rewa, Sidhi, Singroli, Damoh, Chhatarpur and Tikamgarh in the State of Madhya Pradesh.	
49	Jaipur	Districts of Jaipur, Ajmer, and Tonk in the State of Rajasthan.	
50	Jalandhar	Districts of Amritsar, Tarn Taran, Gurdaspur, Jalandhar, Kapurthala, Pathankot, Shaheed Bhagat Singh Nagar and Hoshiarpur in the State of Punjab.	
51	Jammu	State of Jammu and Kashmir.	
52	Jamshedpur	Districts of East Singbhum , West Singbhum and Saraikela – Kharsawan in the State of Jharkhand .	
53	Jodhpur	Districts of Jodhpur, Nagaur, Pali, Sirohi, Jalore, Barmer, Jaisalmer, Bikaner, Churu, Ganganagar and Hanumangarh in the state of Rajasthan.	
54	Kanpur	Districts of Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, Lalitpur, Jhansi, Mahoba, Hamirpur, Jalaun, Kannauj, Mainpuri and Farrukhabad in the State of Uttar Pradesh.	
55	Kochi	Union Territory of Lakshadweep and Districts of Ernakulam, Idukki, Thrissur in the State of Kerala. The territorial waters and the seabed and sub soil underlying such waters from	
		where the nearest point of the appropriate baseline is located in the state of Kerala and the Union territory of Lakshadweep.	
56	Kolhapur	Districts of Satara, Sangli, Kolhapur, Ratnagiri and Sindhudurg in the State of Maharashtra.	
57	Kolkata North	Ward No. 1 to 62 of Kolkata Municipal Corporation and Districts of North 24 Paraganas and Nadia in the State of West Bengal.	
58	Kolkata South	Ward No. 63 to 144 of Kolkata Municipal Corporation and the entire Districts of South 24 Paraganas in the State of West Bengal.	
59	Kozhikode	Districts of Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod in the State of Kerala.	
60	Kutch(Gandhidham)	District of Kutch in the State of Gujarat.	

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction	
(1)	(2)	(3)	
61	Lucknow	Districts of Lucknow, Barabanki, Balrampur, Shravasti, Behraich, Gonda, Unnao, Sitapur, Lakhimpur, Shahjahanpur and Hardoi in the State of Uttar Pradesh.	
62	Ludhiana	Districts of Ludhiana, Moga, Firozpur, Faridkot, Muktsar, Fazilka, Barnala, Sangrur, Mansa, Bhatinda, Patiala, Rupnagar, Ajitgarh and Fatehgarh Sahib in the State of Punjab.	
63	Madurai	Districts of Madurai, Ramanathapuram, Sivagangai, Virudhunagar, Tuticorin, Tirunelveli, Kanyakumari, Theni, Dindigul (except D. Gudalur Village of Palayam Firka of Vedasandur Taluk) in the State of Tamil Nadu.	
		The territorial waters and the seabed and sub soil underlying such waters from where the nearest point of the appropriate baseline is located in the state of Tamil Nadu and the Union territory of Puducherry.	
64	Mangalore	Areas in the Revenue District of Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada in the state of Karanataka covered under the postal pin code including: 574101, 574102, 574103, 574104, 574105, 574106, 574107, 574108, 574109, 574110, 574111, 574112, 574113, 574114, 574115, 574116, 574117, 574118, 574119, 574122, 574129, 574141, 574142, 574143, 574144, 574145, 574146, 574148, 574150, 574153, 574154, 574197, 574198, 574199, 574201, 574203, 574210, 574211, 574212, 574213, 574214, 574216, 574217, 574218, 574219,	
		574220, 574221, 574222, 574223, 574224, 574225, 574226, 574227, 574228, 574229, 574230, 574231, 574232, 574233, 574234, 574235, 574236, 574237, 574238, 574239, 574240, 574241, 574242, 574243, 574248, 574253, 574259, 574260, 574265, 574267, 574274, 574279, 574285, 574313, 574314, 574323, 574324, 574325, 574326, 574327, 574328, 574509, 575001, 575002, 575003, 575004, 575006, 575007, 575008, 575010, 575013, 575015, 575016, 575017, 575018, 575019, 575020, 575022, 575023, 575025, 575028, 575029, 575030,	
		576101, 576102, 576103, 576104, 576105, 576106, 576107, 576108, 576111, 576112, 576113, 576114, 576115, 576117, 576120, 576121, 576122, 576124, 576201, 576210, 576211, 576212, 576213, 576214, 576215, 576216, 576217, 576218, 576219, 576220, 576221, 576222, 576223, 576224, 576225, 576226, 576227, 576228, 576229, 576230, 576231, 576232, 576233, 576234, 576235, 576247, 576257, 576282, 581121, 581129, 581186, 581187, 581301, 581302, 581303, 581304, 581305, 581306, 581307, 581308, 581314, 581315, 581316,	
		581317, 581318, 581319, 581320, 581321, 581322, 581323, 581324, 581325, 581326, 581327, 581328, 581329, 581330, 581331, 581332, 581333, 581334, 581335, 581336, 581337, 581338, 581339, 581340, 581341, 581342, 581343, 581344, 581345, 581346, 581347, 581348, 581349, 581350, 581351, 581352, 581353, 581354, 581355, 581356, 581357, 581358, 581359, 581360, 581361, 581362, 581363, 581365, 581384, 581396, 581400, 581401, 581402, 581403, 581411, 581412, 581421, 581423, 581440, 581450, 581453.	
		The territorial waters and the seabed and sub soil underlying such waters from where the nearest point of the appropriate baseline is located in the state of Karnataka.	
65	Medchal	Districts of Adilabad, Jagtial, Kamareddy, Karimnagar, KomaranBheem (Asifabad), Mancherial, Medak, Nirmal, Nizamabad, Peddapalli, Rajanna, (Sircilla), Sangareddy, Siddipet, Vikarabad and Secunderabad Cantonment Board Area and Medchal (Malkajgiri) District (Ward Nos. 114 to 141 of Greater Hyderabad Municipal Corporation but excluding Uppal, Kapra, Medipally and	

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction	
(1)	(2)	(3)	
		Ghatkesar Mandals) in the State of Telangana.	
66	Meerut	Districts of Meerut, Baghpat, Muzaffarnagar, Saharanpur, Shamli, Amroha, Moradabad, Bijnore and Rampur in the State of Uttar Pradesh.	
67	Mumbai Central	The areas falling under following pin codes: 400003, 400008 to 400018, 400025 to 400028, 400030,400033 and 400034 in the State of Maharashtra.	
68	Mumbai East	The areas falling under following pin codes: 400019, 400022, 400024, 400029, 400031, 400037, 400041, 400051, 400059, 400060, 400063, 400065, 400069, 400070, 400072, 400077, 400084, 400086, 400089, 400093, 400096, 400097, 400098 and 400099 in the State of Maharashtra.	
69	Mumbai South	The areas falling under following pin codes: 400001, 400002, 400004 to 400007, 400020, 400021, 400023, 400032, 400035, 400036, 400038 and 400039 in the State of Maharashtra. The continental shelf and exclusive economic zone contiguous to the western coast of India.	
70	Mumbai West	Explanation: The western coast of India refers to the coast adjacent to the states or Union Territories, as the case may be, of Gujarat, Maharashtra, Goa, Daman and Diu, Karnataka, Kerala and Lakshwadeep The areas falling under following pin codes:400040, 400047 to 400050, 400052 to	
		400058, 400061, 400062, 400064, 400090, 400095, 400102, 400104, 400105 in the State of Maharashtra. The territorial waters and the seabed and sub soil underlying such waters from where the nearest point of the appropriate baseline is located in the state of Maharashtra.	
71	Mysuru		

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction		
(1)	(2)	(3)		
		573126, 573127, 573128, 573129, 573130, 573131, 573133, 573134, 573135, 573136, 573137, 573141, 573142, 573144, 573150, 573162, 573164, 573165, 573201, 573202, 573211, 573212, 573214, 573215, 573216, 573217, 573218, 573219, 573220, 573225, 573226, 577101, 577102, 577111, 577112, 577113. 577114, 577115, 577116, 577117, 577120, 557121, 577122, 577123, 577124, 577125, 577126, 577127, 577128, 577129, 577130, 577131, 577132, 577134, 577135, 577136, 577137, 577138, 577139, 577140, 577142, 577144, 577145, 577146, 577160, 577168, 577175, 577179, 577180, 577181, 577182, 577201, 577202, 577203, 577204, 577205, 577211, 577213, 577214, 577215, 577216, 577217, 577218, 577219, 577220, 577221, 577222, 577223, 577224, 577225, 577226, 577227, 577228, 577220, 577231, 577232, 577233, 577243, 577245, 577301, 577302, 577401, 577411, 577413, 577414, 577415, 577416, 577417, 577418, 577419, 577421, 577423, 577424, 577425, 577426, 577427, 577428, 577429, 577430, 577431, 577432, 577434, 577435, 577446, 577448, 577445, 577445, 577445, 577448, 577445, 577445, 577448, 577445, 577445, 577446, 577448, 577452, 577452, 577454, 577548, 577549, 577550, 577551 and 577552.		
72	Nagpur I	1. Following Areas of Nagpur District:		
		(a). Area covered by Municipal limits of Nagpur city lying south of interconnected Sections of National Highway/State Highway/Internal Roads as under: (i). Section of National Highway 6 from Wadi end till Variety Square, (ii). Section of National Highway 7 connecting Variety Square and Panchsheel Square, (iii). Sections of Internal Roads connecting Panchsheel Square and Ashok Square via Dhantoli Police station and Baidyanath Square, (iv). Section of State Highway 9 from Ashok Square towards Umrer. (b). Parts of Nagpur (Rural) Tehsil adjoining Tehsils of Hingna, Nagpur (Urban), Kamptee, Umrer and Kuhi of Nagpur District, (c). Tehsils of Hingna, Umrer, Bhiwapur and Kuhi of Nagpur District. 2. District of Wardha (Excluding Tehsils of Ashti, Arvi and Karanja), and 3. Districts of Bhandara, Gondia, Chandrapur and Gadchiroli in the State of Maharashtra.		
73	Nagpur II	1. Following Areas of Nagpur District:		
		(a). Municipal limits of Nagpur city excluding the areas covered by Nagpur-I		
		(b). Parts of Nagpur (Rural) Tehsil excluding the areas covered by Nagpur-I.		
		(c). All other Tehsils of Nagpur District excluding the Tehsils covered by Nagpur-I.		
		2. Tehsils of Ashti, Arvi and Karanja in Wardha District; and		
		3. Districts of Amravati, Yavatmal, Akola, Washim and Buldhana in the State of		

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction	
(1)	(2)	(3)	
		Maharashtra.	
74	Nashik	Districts of Nashik, Dhule, Nandurbar, Jalgaon and Ahmednagar in the State of Maharashtra.	
75	Navi Mumbai	The areas falling under following pin codes 400042, 400043, 400046, 400071, 400073 to 400076, 400078 to 400083, 400085, 400087, 400088, 400094, 400603, 400611, 400612,400708 in the State of Maharashtra.	
76	Noida	Areas falling under the jurisdiction of New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA) in the District of Gautam Buddh Nagar and area falling in district of Hapur in the state of Uttar Pradesh.	
77	Palghar	The areas falling under following pin codes: 401102, 401103, 401201 to 401203, 401205 to 401210, 401301 to 401306, 401401 to 401407, 401501 to 401601 to 401610, 401701 to 401703 in the State of Maharashtra.	
78	Panchkula	Revenue Districts namely Panchkula, Panipat, Yamuna Nagar, Ambala, Karnal, Kaithal and Kurukshetra in the State of Haryana.	
79	Patna I	Districts of Patna, Buxar, Kaimur (Bhabhua), Bhojpur, Rohtas, Arwal, Jehanabad, Aurangabad, Gaya, Nawada, Nalanda, Sheikhpura, Lakhisarai, Jamui, Munger, Banka and Bhagalpur in the State of Bihar.	
80	Patna II	Districts of Vaishali, Saran, Gopalganj, Muzaffarpur, West Champaran, East Champaran, Sitamarhi, Sheohar, Madhubani, Darbhanga, Supaul, Begusarai, Saharsa, Madhepura, Khagaria, Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj, Samastipur and Siwan in the State of Bihar.	
81	Puducherry	Union Territory of Puducherry including Karaikal, Mahe and Yanam.	
82	Pune –I	(i) Area of Junnar, Ambegaon, Khed, Shirur, Maval and MulshiTalukas of Pune District; and (ii) Part of Haveli Taluka of Pune district comprising of PIN Code 411001,411006,411012,411013,411014,411015,411017,411018,411019, 411026,411027,411031,411032,411033,411034,411035,411036,411039, 411044,411047,411057,411061,411062,412101,412109,412110,412201, 412202,412216,412207 and 412307; and	
		(iii) Area of PIN code 412202 falling in Haveli and Daund Talukas of Pune District in the State of Maharashtra.	
83	Pune II	(i) Area of Velhe, Bhor, Purandhar, Baramati, Indapur Talukas of Pune District; and (ii) Part of Haveli Taluka of Pune District comprising of PIN code numbers 411002, 411003, 411004, 411005, 411007, 411008, 411009, 411011, 411016, 411020, 411021, 411022, 411023, 411024, 411025, 411028, 411030, 411037, 411038, 411040, 411041, 411042, 411043, 411045, 411046, 411048, 411051, 411052, 411058, 411060, 412205 and 412308; and (iii) Daund Taluka of Pune district except the area falling in PIN Code number 412202; and	

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction	
(1)	(2)	(3)	
		(iv) District of Solapurin the State of Maharashtra.	
84	Raigarh	The areas falling under following pin codes: 402101 to 402118, 402120, 402122, 402125, 402126, 402201 to 402210, 402301 to 402309, 402401 to 402406, 410101, 410102, 410201 to 410212, 410216 to 410222 and 415213 in the State of Maharashtra.	
85	Raipur	State of Chhattisgarh.	
86	Rajkot	Districts of Rajkot, Morbi, Jamnagar, and Devbhumi Dwarka in the State of Gujarat.	
		The territorial waters and the seabed and sub soil underlying such waters from where the nearest point of the appropriate baseline is located in the state of Gujarat and the Union territories of Daman and Diu.	
87	Ranchi	Districts of Ranchi, Lohardaga, Simdega, Gumla, Khunti, Ramgarh, Hazaribagh, Chatra, Palamu, Garhwa, Latehar, Bokaro, Giridih, Koderma, Dhanbad, Deogarh, Jamtara, Pakur, Sahibganj, Godda and Dumka in the State of Jharkhand.	
88	Rangareddy	Districts of Bhadradri, Jogulamba (Gadwal), Khammam, Mahaboobnagar, Nagarkurnool, Nalgonda, Suryapet and Wanaparthy and Rangareddy District (Ward Nos. 11 to 23, 25 and 104 to 110 of Greater Hyderabad Municipal Corporation but excluding Rajendranagar Mandal) in the State of Telangana.	
89	Rohtak	Districts namely Rohtak, Jhajjar, Bhiwani, Charkhi Dadri, Jind, Hisar, Sirsa, Fatehabad and Sonepat in the State of Haryana.	
90	Rourkela	Districts of Anugul, Sundergarh, Sambalpur, Deogarh, Jharsuguda, Subarnapur (Sonepur), Boudh, Bargarh, Bolangir, Keonjhar, Mayurbhanjand Nuapada in the State of Odisha.	
91	Salem	Districts of Salem, Namakkal, Erode, Dharmapuri, Krishnagiri and Dharampuram, Kangeyam Taluk and Uthukkuli Taluks in the district of Tirupur in the State of Tamil Nadu.	
92	Secunderabad	Districts of Jangaon, Jayashankar, Mahboobabad, Warangal (Rural), Warangal (Urban) and Yadadri and Ward Nos. 1 to 10, 81 to 88, 90 and 142 to 150 of Greater Hyderabad Municipal Corporation (falling in Hyderabad, Rangareddy and Medchal Districts) along with Uppal, Kapra, Medipally and Ghatkesar Mandals of Medchal District in the State of Telangana.	
93	Shillong	State of Meghalaya.	
94	Shimla	State of Himachal Pradesh.	
95	Siliguri	State of Sikkim and Districts of Darjeeling, Kalimpong, Jalpaiguri, Coochbehar, Alipurduar, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur and Malda in the State of West Bengal.	
96	Surat	Districts of Surat, Navsari, Valsad, Dangs and Tapi in the State of Gujarat.	

Sl. No.	Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax	Territorial Jurisdiction	
(1)	(2)	(3)	
97	Thane	The areas falling under following pin codes: 400066, 400067, 400068, 400091, 400092, 400101, 400103, 400601, 400602, 400604, 400605, 400606, 400609, 400610, 400613, 400616, 401101, 401104 to 401107 in the State of Maharashtra.	
98	Thane Rural	The areas falling under following pin codes: 421001 to 421005, 421102, 421103,421201 to 421206, 421301, 421303, 421304, 421306, 421401 to 421403, 421501 to 421506, 421601 to 421605 in the State of Maharashtra.	
99	Thiruvananthapuram	Districts of Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha and Kottayam in the State of Kerala.	
100	Tiruchirapalli	Districts of Tiruchirapalli, Perambalur, Ariyalur, Karur, Pudukottai, Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam, Cuddalore, and D. Gudalur village of Palayam Firka of Vedasandur Taluk of Dindigul District in the State of Tamil Nadu.	
101	Tirupati	Districts of Chittoor, Anantapur, Dr. Y. S. Rajasekharreddy Cuddapah (Kadapa) and Kurnool in the State of Andhra Pradesh.	
102	Udaipur	Districts of Udaipur, Rajasamand, Bhilwara, Chittorgarh, Pratapgarh, Dungarpur, Banswara, Bundi, Baran, Kota and Jhalawar in the State of Rajasthan.	
103	Ujjain	Districts of Dhar, Khargone, Badwani, Khandwa, Burhanpur, Ratlam, Mandsaur, Neemuch, Jhabua, Alirajpur, Ujjain, Agar Malwa, Shajapur in the State of Madhya Pradesh.	
104	Vadodara I	Vadodara District (excluding Savli and Desar Taluka), Anand, Kheda and Mahisagar Districts in the State of Gujarat	
105	Vadodara II	Districts of Panchmahal, Dahod, Chhota Udepur, Bharuch, Narmada and Savli-Desar Taluka of Vadodara District in the State of Gujarat.	
106	Varanasi	Districts of Sonebhadra, Mirzapur, Varanasi, Chandauli, Ghazipur, Ballia, Mau, Azamgarh, Deoria, Kushinagar, Gorakhpur, Maharajganj, Sant Kabir Nagar and Siddharth Nagar in the State of Uttar Pradesh.	
107	Visakhapatnam	Districts of Srikakulam, Vizianagram, Visakhapatnam and East Godavari in the State of Andhra Pradesh.	

Table III

Jurisdiction of Commissioner of Central Tax (Appeals) and Additional Commissioner of Central Tax (Appeals)

Sl. No.		Jurisdiction in terms of Principal Commissioner or Commissioner of Central Tax
	Commissioner of Central Tax (Appeals)	
(1)	(2)	(3)
1	Ahmedabad	Ahmedabad North, Ahmedabad South, Gandhinagar
2	Allahabad	Allahabad, Kanpur, Varanasi
3	Belgavi	Belgavi, Mangalore

Sl.	Commissioner of Central Tax	Jurisdiction in terms of Principal Commissioner or					
No.	(Appeals) and Additional	*					
100	Commissioner of Central Tax	Commissioner of Central Lan					
	(Appeals)						
(1)	(2)	(3)					
4	Bengaluru I	Bengaluru East, Bengaluru South					
5	Bengaluru II	Bengaluru North, Bengaluru North West					
6	Bhopal	Bhopal, Jabalpur					
7	Bhubaneswar	Bhubaneswar, Rourkela					
8	Chandigarh	Chandigarh, Shimla					
9	Chennai I	Chennai North, Puducherry					
10	Chennai II	Chennai South, Chennai Outer					
11	Coimbatore	Coimbatore, Tiruchirapally, Madurai, Salem					
12	Dehradun	Dehradun					
13	Delhi I	Delhi North, Delhi East					
14	Delhi II	Delhi South, Delhi West					
15	Goa	Goa					
16	Guntur	Visakhapatnam, Guntur, Tirupati					
17	Gurugram	Gurugram, Faridabad					
18	Commissioner (Appeals) Guwahati	Guwahati, Dibrugarh, Shillong, Itanagar, Dimapur, Imphal,					
		Aizawl, Agartala					
	Additional Commissioner (Appeals)	Guwahati, Dibrugarh, Itanagar					
	Guwahati						
	Additional Commissioner (Appeals)	Shillong, Dimapur, Imphal, Aizawl, Agartala					
	Shillong						
19	Hyderabad I	Hyderabad, Rangareddy					
20	Hyderabad II	Medchal, Secunderabad					
21	Indore	Indore, Ujjain					
22	Jaipur	Jaipur, Alwar					
23	Jammu	Jammu					
24	Jodhpur	Jodhpur, Udaipur					
25	Kochi	Thiruvananthapuram ,Kochi, Kozhikode					
26	Kolkata I	Kolkata North, Kolkata South					
27	Kolkata II	Howrah, Haldia					
28	Lucknow	Lucknow, Agra					
29	Ludhiana	Ludhiana, Jalandhar					
30	Meerut	Meerut, Ghaziabad					
31	Mumbai I	Mumbai South					
32	Mumbai II	Mumbai East, Mumbai Central					
33	Mumbai III	Mumbai West, Palghar					
34	Mysuru	Mysuru, Bengaluru West					
35	Nagpur	Nagpur-I , Nagpur-II					
36	Nashik	Nashik, Aurangabad					
37	Noida	Noida, Gautam Buddh Nagar					
38	Panchkula	Panchkula, Rohtak					
39	Patna	Patna-I ,Patna-II					
40	Pune-I	Pune-I , Kolhapur					
41	Pune-II	Pune-II					
42	Raigarh	Raigarh, Navi Mumbai, Belapur					
43	Raipur	Raipur					
44	Rajkot	Rajkot, Bhavnagar, Kutch (Gandhidham)					

Sl.	Commissioner of Central Tax	Jurisdiction in terms of Principal Commissioner or
No.	(Appeals)and Additional	Commissioner of Central Tax
	Commissioner of Central Tax	
	(Appeals)	
(1)	(2)	(3)
45	Ranchi	Ranchi, Jamshedpur
46	Siliguri	Siliguri, Bolpur
47	Surat	Surat, Daman
48	Thane	Thane, Thane Rural, Bhiwandi
49	Vadodara	Vadodara-I, Vadodara-II

 $\label{eq:Table IV} \textbf{Jurisdiction of Commissioner of Central Tax} \ \textbf{(Audit)}$

Sl.	Commissioner of Central Tax	Jurisdiction in terms of Principal Commissioner or
No.	(Audit)	Commissioner of Central Tax
(1)	(2)	(3)
1	Ahmedabad	Ahmedabad North, Ahmedabad South, Gandhinagar
2	Belgavi	Belgavi, Mangalore
3	Bengaluru I	Bengaluru East, Bengaluru South
4	Bengaluru II	Bengaluru North, Bengaluru North West
5	Bhopal	Bhopal, Jabalpur
6	Bhubaneswar	Bhubaneswar, Rourkela
7	Chandigarh	Chandigarh, Shimla
8	Chennai I	Chennai North, Puducherry
9	Chennai II	Chennai South, Chennai Outer
10	Coimbatore	Coimbatore, Tiruchirapally, Madurai, Salem
11	Dehradun	Dehradun
12	Delhi I	Delhi North, Delhi East
13	Delhi II	Delhi South, Delhi West
14	Durgapur	Siliguri, Bolpur
15	Guntur	Visakhapatnam, Guntur, Tirupati
16	Gurugram	Gurugram, Faridabad
17	Hyderabad I	Hyderabad, Rangareddy
18	Hyderabad II	Medchal, Secunderabad
19	Indore	Indore, Ujjain
20	Jaipur	Jaipur, Alwar
21	Jammu	Jammu
22	Jodhpur,	Jodhpur, Udaipur
23	Kanpur	Kanpur, Allahabad, Varanasi
24	Kochi	Thiruvananthapuram, Kochi, Kozhikode
25	Kolkata I	Kolkata North, Kolkata South
26	Kolkata II	Howrah, Haldia
27	Lucknow	Lucknow, Agra
28	Ludhiana	Ludhiana, Jalandhar
29	Meerut	Meerut, Ghaziabad
30	Mumbai I	Mumbai South
31	Mumbai II	Mumbai East, Mumbai Central

Sl.	Commissioner of Central Tax	Jurisdiction in terms of Principal Commissioner or						
No.	(Audit)	Commissioner of Central Tax						
(1)	(2)	(3)						
32	Mumbai III	Mumbai West, Palghar						
33	Mysuru	Mysuru, Bengaluru West						
34	Nagpur	Nagpur-I , Nagpur-II						
35	Nashik	Nashik, Aurangabad						
36	Noida	Noida , Gautam Buddh Nagar						
37	Panchkula	Panchkula, Rohtak						
38	Patna	Patna-I ,Patna-II						
39	Pune-I	Pune-I, Kolhapur						
40	Pune-II	Pune-II, Goa						
41	Raigarh	Raigarh, Navi Mumbai, Belapur						
42	Raipur	Raipur						
43	Rajkot	Rajkot, Bhavnagar, Kutch (Gandhidham)						
44	Ranchi	Ranchi, Jamshedpur						
45	Shillong	Shillong, Guwahati, Dibrugarh, Itanagar, Dimapur, Imphal,						
		Aizawl, Agartala						
46	Surat	Surat, Daman						
47	Thane	Thane, Thane Rural, Bhiwandi						
48	Vadodara	Vadodara-I, Vadodara-II						

6. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

[F.No 349/52/2017-GST]

(Dr. Sreeparvathy S. L.) Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं.- 2/2017- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 19 जून, 2017 29 ज्येष्ठ 1939, शक

सा.का.िन. (अ).- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा-कर, अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को--

- (क) केन्द्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त और केन्द्रीय कर प्रधान महानिदेशक,
- (ख) केन्द्रीय कर मुख्य आयुक्त और केन्द्रीय कर महानिदेशक,
- (ग) केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त और केन्द्रीय कर प्रधान अपर महानिदेशक,
- (घ) केन्द्रीय कर आयुक्त और केन्द्रीय कर अपर महानिदेशक,
- (इ) केन्द्रीय कर अपर आयुक्त और केन्द्रीय कर अपर निदेशक,
- (च) केन्द्रीय कर संयुक्त आयुक्त और केन्द्रीय कर संयुक्त निदेश,
- (छ) केन्द्रीय कर उपायुक्त और केन्द्रीय कर उपनिदेशक,
- (ज) केन्द्रीय कर सहायक आयुक्त और केन्द्रीय कर सहायक निदेशक,
- (झ) केन्द्रीय कर आयुक्त (संपरीक्षा,
- (ञ) केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील),
- (ट) केन्द्रीय कर अपर आयुक्त (अपील),

और उनके अधीनस्थ केन्द्रीय कर अधिकारियों को केन्द्रीय कर अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है और नीचे दी गई सारणियों में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के संबंध में उक्त अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों दोनों के अधीन सभी शक्तियों को उनमें निहित करता है।

- 2. केन्द्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त यथास्थिति सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित पर क्षेत्रीय अधिकारिता निहित है-
- (क) यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय कर के प्रधान आयुक्त और केन्द्रीय कर के आयुक्त;
- (ख) उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील);
- (ग) उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय कर अपर आयुक्त (अपील) ; और
- (घ) उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय कर आयुक्त (संपरीक्षा)।
- 3. सारणी 2 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त और उनके अधिनस्थ केन्द्रीय कर अधिकारियों में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता निहित की जाती है।
- 4. सारणी 3 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील) और केन्द्रीय कर अपर आयुक्त (अपील) तथा उनके अधिनस्थ केन्द्रीय कर अधिकारियों में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता निहित की जाती है।
- 5. सारणी 4 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय कर आयुक्त (संपरीक्षा) और उनके अधिनस्थ केन्द्रीय कर अधिकारियों में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, यथास्थित, केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता निहित की जाती है।

सारणी I

केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील), केन्द्रीय कर अपर आयुक्त (अपील) और केन्द्रीय कर आयुक्त (संपरीक्षा) के अनुसार केन्द्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त की अधिकारिता

क्र. सं.	केंद्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त	आयुक्त के अनुसार केंद्रीय कर		आयुक्त (अपील) और अपर आयुक्त (अपील) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता		आयुक्त (संपरीक्षा) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
1	प्रधान मुख्य आयुक्त	1.3.1	आयुक्त अहमदाबाद उत्तर	1.4.1	आयुक्त (अपील) अहमदाबाद और अपर	1.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) अहमदाबाद	
	अहमदाबाद	1.3.2	प्रधान आयुक्त अहमदाबाद दक्षिण		आयुक्त (अपील) अहमदाबाद			
		1.3.3	आयुक्त गांधीनगर					
		1.3.4	आयुक्त राजकोट	1.4.2	आयुक्त (अपील) राजकोट और अपर	1.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा) राजकोट	
		1.3.5	आयुक्त भावनगर		आयुक्त (अपील) राजकोट			
		1.3.6	आयुक्त कच्छ (गांधीधाम)					
2	प्रधान मुख्य आयुक्त	2.3.1	प्रधान आयुक्त बेंगलुरू पूर्व	2.4.1	आयुक्त (अपील I) बेंगलुरु और अपर	2.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा ।) बेंगलुरु	
	बेंगलुरु	2.3.2	आयुक्त बेंगलुरू दक्षिण		आयुक्त (अपील) बेंगलुरु			
		2.3.3	आयुक्त बेंगलुरू उत्तर	2.4.2	आयुक्त (अपील ।।) बेंगलुरु और अपर	2.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा ।।) बेंगलुरु	
		2.3.4	आयुक्त बेंगलुरू उत्तर पश्चिम		आयुक्त (अपील ।।) बेंगलुरु			
		2.3.5	प्रधान आयुक्त बेंगलुरु पश्चिम	2.4.3	आयुक्त (अपील) मैसूरू और अपर आयुक्त	2.5.3	आयुक्त (संपरीक्षा) मैसूरू	
		2.3.6	प्रधान आयुक्त मैस्र्रू		(अपील) मैसूरू			
		2.3.7	आयुक्त बेलगावी	2.4.4	आयुक्त (अपील) बेलगावी और अपर	2.5.4	आयुक्त (संपरीक्षा) बेलगावी	
		2.3.8	आयुक्त मंगलौर		आयुक्त (अपील) बेलगावी			

क्र. सं.	केंद्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त	आयुक्त के अनुसार केंद्रीय कर		आयुक्त (अपील) और अपर आयुक्त (अपील) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता		आयुक्त (संपरीक्षा) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	
3	मुख्य आयुक्त भोपाल	3.3.1	प्रधान आयुक्त भोपाल आयुक्त जबलपुर	3.4.1	आयुक्त (अपील) भोपाल और अपर आयुक्त (अपील) भोपाल	3.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) भोपाल
		3.3.3	प्रधान आयुक्त रायपुर	3.4.2	आयुक्त (अपील) रायपुर और अपर आयुक्त (अपील) रायपुर	3.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा) रायपुर
		3.3.4	आयुक्त इंदौर	3.4.3	आयुक्त (अपील) इंदौर और अपर आयुक्त	3.5.3	आयुक्त (संपरीक्षा) इंदौर
		3.3.5	आयुक्त उज्जैन		(अपील) इंदौर		
4	मुख्य आयुक्त भुवनेश्वर	4.3.1	प्रधान आयुक्त भुवनेश्वर	4.4.1	आयुक्त (अपील) भुवनेश्वर और अपर	4.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) भुवनेश्वर
		4.3.2	आयुक्त राउरकेला		आयुक्त (अपील) भुवनेश्वर		
5	मुख्य आयुक्त चंडीगढ़	5.3.1	प्रधान आयुक्त चंडीगढ़	5.4.1	आयुक्त (अपील) चंडीगढ़ और अपर	5.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) चंडीगढ़
		5.3.2	आयुक्त शिमला		आयुक्त (अपील) चंडीगढ़		
		5.3.3	आयुक्त जम्मू	5.4.2	आयुक्त (अपील) जम्मू और अपर आयुक्त (अपील) जम्मू	5.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा) जम्मू
		5.3.4	प्रधान आयुक्त लुधियाना	5.4.3	आयुक्त (अपील) लुधियाना और अपर	5.5.3	आयुक्त (संपरीक्षा) लुधियाना
		5.3.5	आयुक्त जालंधर		आयुक्त (अपील) लुधियाना		
6	प्रधान मुख्य आयुक्त	6.3.1	प्रधान आयुक्त चेन्नई उत्तर	6.4.1	आयुक्त (अपील I) चेन्नई और अपर	6.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा ।) चेन्नई

क्र. स.	केंद्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त	आयुक्त के अनुसार केंद्रीय कर		आयुक्त (अपील) और अपर आयुक्त (अपील) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता		आयुक्त (संपरीक्षा) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	
	चेन्नई	6.3.2	आयुक्त पुदुचेरी		आयुक्त (अपील) चेन्नई		
		6.3.3	आयुक्त चेन्नई दक्षिण	6.4.2	आयुक्त (अपील ।।) चेन्नई और अपर	6.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा ।।) चेन्नई
		6.3.4	आयुक्त चेन्नई आउटर		आयुक्त (अपील ।।) चेन्नई		
		6.3.5	प्रधान आयुक्त कोयम्बदूर	6.4.3	आयुक्त (अपील) कोयम्बदूर और अपर	6.5.3	आयुक्त (संपरीक्षा) कोयम्बदूर
		6.3.6	आयुक्त तिरूचिरापल्ली		आयुक्त (अपील) कोयम्बदूर		
		6.3.7	आयुक्त मदुरै				
		6.3.8	आयुक्त सलेम				
7	प्रधान मुख्य आयुक्त	7.3.1	प्रधान आयुक्त दिल्ली उत्तर	7.4.1	आयुक्त (अपील ।) दिल्ली और अपर	7.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा ।) दिल्ली
	दिल्ली	7.3.2	आयुक्त दिल्ली पूर्व		आयुक्त (अपील) दिल्ली		
		7.3.3	प्रधान आयुक्त दिल्ली दक्षिण	7.4.2	आयुक्त (अपील ।।) दिल्ली और अपर	7.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा ।।) दिल्ली
		7.3.4	आयुक्त दिल्ली पश्चिम		आयुक्त (अपील ।।)		
	मुख्य आयुक्त गुवाहाटी	8.3.1	मुख्य आयुक्त गुवाहाटी	8.4.1	आयुक्त (अपील) गुवाहाटी और अपर	8.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) शिलांग
			आयुक्त दिब्रुगढ़		आयुक्त (अपील) गुवाहाटी और अपर		
		8.3.3	आयुक्त शिलांग		आयुक्त (अपील) शिलांग		
		8.3.4	आयुक्त				

क्र. सं.	केंद्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त	आयुक्त के अनुसार केंद्रीय कर		आयुक्त (अपील) और अपर आयुक्त (अपील) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता		आयुक्त (संपरीक्षा) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
			ईटानगर					
		8.3.5	आयुक्त दीमापुर					
		8.3.6	आयुक्त इंफाल					
		8.3.7	आयुक्त आइजोल					
		8.3.8	आयुक्त अगरतला					
9	मुख्य आयुक्त हैदराबाद	9.3.1	प्रधान आयुक्त हैदराबाद	9.4.1	आयुक्त (अपील I) हैदराबाद और अपर	9.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा ।) हैदराबाद	
		9.3.2	आयुक्त रंगारेड्डी		आयुक्त (अपील) हैदराबाद			
		9.3.3	आयुक्त मेडचाल	9.4.2	आयुक्त (अपील 11) हैदराबाद और अपर	9.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा ।।) हैदराबाद	
		9.3.4	आयुक्त सिकंदराबाद		आयुक्त (अपील ।।) हैदराबाद			
10	मुख्य आयुक्त जयपुर	10.3.1	प्रधान आयुक्त जयपुर	10.4.1	आयुक्त (अपील) जयपुर और अपर	10.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) जयपुर	
		10.3.2	आयुक्त अलवर		आयुक्त (अपील) जयपुर			
		10.3.3	आयुक्त जोधपुर	10.4.2	आयुक्त (अपील) जोधपुर और अपर	10.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा) जोधपुर	
		10.3.4	आयुक्त उदयपुर		आयुक्त (अपील) जोधपुर			
11	प्रधान मुख्य आयुक्त	11.3.1	प्रधान आयुक्त कोलकाता उत्तर	11.4.1	आयुक्त (अपील ।) कोलकाता और अपर	11.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा ।) कोलकाता	
	कोलकाता	11.3.2	आयुक्त कोलकाता दक्षिण		आयुक्त (अपील) कोलकाता			

क्र. सं.	आयुक्त /मुख्य आयुक्त	आयुक्त के	п	आयुक्त (अपील) और अपर आयुक्त (अपील) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता		आयुक्त (संपरीक्षा) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)
		11.3.3	आयुक्त हावड़ा	11.4.2	आयुक्त (अपील ।।) कोलकाता और अपर आयुक्त (अपील।।) कोलकाता	11.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा ।।) कोलकाता
		11.3.4	आयुक्त हल्दिया				
		11.3.5	आयुक्त सिलीगुडी	11.4.3	आयुक्त (अपील) सिलीगुड़ी और अपर	11.5.3	आयुक्त (संपरीक्षा) दुर्गापुर
		11.3.6	आयुक्त बोलपुर		आयुक्त (अपील) सिलीगुडी		
12	प्रधान मुख्य आयुक्त लखनऊ	12.3.1	प्रधान आयुक्त लखनऊ	12.4.1	आयुक्त (अपील) लखनऊ और अपर आयुक्त (अपील) लखनऊ	12.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) लखनऊ
		12.3.2	आयुक्त आगरा				
		12.3.3	आयुक्त कानपुर	12.4.2	आयुक्त (अपील) इलाहाबाद और अपर आयुक्त (अपील) इलाहाबाद	12.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा) कानपुर
		12.3.4	आयुक्त इलाहाबाद				
		12.3.5	आयुक्त वाराणसी				
13	मुख्य आयुक्त मेरठ	13.3.1	प्रधान आयुक्त मेरठ	13.4.1	आयुक्त (अपील) मेरठ और अपर	13.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) मेरठ
		13.3.2	आयुक्त गाजियाबाद		आयुक्त (अपील) मेरठ		
		13.3.3	प्रधान आयुक्त नोएडा	13.4.2	आयुक्त (अपील) नोएडा और अपर आयुक्त	13.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा) नोएडा
		13.3.4	आयुक्त गौतम बुद्ध नगर		(अपील) नोएडा		
		13.3.5	आयुक्त देहरादून	13.4.3	आयुक्त (अपील) देहरादून और अपर आयुक्त (अपील) देहरादून	13.5.3	आयुक्त (संपरीक्षा) देहरादून

क्र. सं.	केंद्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त	आयुक्त के अनुसार केंद्रीय कर		आयुक्त (अपील) और अपर आयुक्त (अपील) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता		आयुक्त (संपरीक्षा) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)
14	प्रधान मुख्य आयुक्त मुंबई	14.3.1	प्रधान आयुक्त मुंबई दक्षिण	14.4.1	आयुक्त (अपील ।) मुंबई और अपर आयुक्त (अपील) मुबई	14.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा ।) मुंबई
		14.3.2	प्रधान आयुक्त मुंबई पूर्व	14.4.2	आयुक्त (अपील 11) मुंबई और अपर	14.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा ।।) मुंबई
		14.3.3	आयुक्त मुंबई मध्य		आयुक्त (अपील ।।)		
		14.3.4	आयुक्त मुंबई पश्चिम	14.4.3	आयुक्त (अपील ।।।) मुंबई और अपर	14.5.3	आयुक्त (संपरीक्षा ।।।) मुंबई
		14.3.5	आयुक्त पालघर		आयुक्त (अपील ।।।) मुबई		
		14.3.6	आयुक्त रायगढ़	14.4.4	आयुक्त (अपील) रायगढ़ और अपर	14.5.4	आयुक्त (संपरीक्षा) रायगढ़
		14.3.7	आयुक्त नवी मुम्बई		आयुक्त (अपील) रायगढ़		
		14.3.8	आयुक्त बेलापुर				
		14.3.9	आयुक्त ठाणे	14.4.5	आयुक्त (अपील) ठाणे और अपर	14.5.5	आयुक्त (संपरीक्षा) ठाणे
		14.3.10	आयुक्त ठाणे ग्रामीण		आयुक्त (अपील) ठाणे		
		14.3.11	आयुक्त भिवंडी				
15	मुख्य आयुक्त नागपुर	15.3.1	प्रधान आयुक्त नागपुर ।	15.4.1	आयुक्त (अपील) नागपुर और अपर	15.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) नागपुर
		15.3.2	आयुक्त नागपुर ।।		आयुक्त (अपील) नागपुर		
		15.3.3	आयुक्त नासिक	15.4.2	आयुक्त (अपील) नासिक और अपर	15.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा) नासिक

क्र. सं.	केंद्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त	आयुक्त के अनुसार केंद्रीय कर		नुसार केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) के अनुसार आयुक्त/मुख्य केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता		आयुक्त (संपरीक्षा) के अनुसार केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अधिकारिता (5)	
		15.3.4	आयुक्त औरंगाबाद		आयुक्त (अपील) नासिक		
16	मुख्य आयुक्त पंचकुला	16.3.1	प्रधान आयुक्त गुरुग्राम आयुक्त फरीदाबाद	16.4.1	आयुक्त (अपील) गुरुग्राम और अपर आयुक्त (अपील) गुरुग्राम	16.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) गुरुग्राम
		16.3.3	आयुक्त पंचकुला आयुक्त	16.4.2	आयुक्त (अपील) पंचकुला और अपर आयुक्त (अपील)	16.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा) पंचकुला
17	7177 2177-	17.2.1	रोहतक	17.4.1	पंचकुला	17.5.1	2005 (inflor 1)
17	मुख्य आयुक्त पुणे	17.3.1	प्रधान आयुक्त पुणे-।	17.4.1	आयुक्त (अपील I) पुणे और अपर	17.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा I) पुणे
		17.3.2	आयुक्त कोल्हापुर		आयुक्त (अपील) पुणे- ।		
		17.3.3	आयुक्त पुणे-।।	17.4.2	आयुक्त (अपील ।।) पुणे और अपर आयुक्त (अपील) पुणे ।।	17.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा II) पुणे
		17.3.4	आयुक्त गोवा	17.4.3	आयुक्त (अपील) गोवा और अपर आयुक्त (अपील) गोवा		
18	मुख्य आयुक्त रांची	18.3.1	प्रधान आयुक्त पटना-।	18.4.1	आयुक्त (अपील) पटना और अपर आयुक्त	18.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) पटना
		18.3.2	आयुक्त पटना-।।		(अपील) पटना		
		18.3.3	प्रधान आयुक्त रांची	18.4.2	आयुक्त (अपील) रांची और अपर आयुक्त (अपील) रांची	18.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा) रांची
19	मुख्य आयुक्त तिरुवनंतपुरम	19.3.1	आयुक्त जमशेदपुर आयुक्त तिरुवनंतपुरम	19.4.1	आयुक्त (अपील) कोच्ची और अपर	19.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा) कोच्ची

क्र.	केंद्रीय कर	केंद्रीय कर	. प्रधान आयुक्त /	आयुक्त (३	अपील) और अपर	आयुक्त ((संपरीक्षा) के अनुसार
सं.	प्रधान मुख्य	आयुक्त के	अनुसार केंद्रीय कर	आयुक्त	(अपील) के अनुसार	केंद्रीय कर	के प्रधान मुख्य आयुक्त
	आयुक्त /मुख्य	•	ज्य आयुक्त/मुख्य	_	र के प्रधान मुख्य	/ मुख्य ३	भायुक्त की अधिकारिता
	आयुक्त	आयुक्त की		आयुक्त 🗸	′ मुख्य आयुक्त की	-	
		अधिकारित	π	अधिकारि	रता		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)
		19.3.2	प्रधान आयुक्त		आयुक्त (अपील)		
			कोच्ची		कोच्ची		
		19.3.3	आयुक्त कोषिकोड				
20	मुख्य आयुक्त	20.3.1	प्रधान आयुक्त	20.4.1	आयुक्त (अपील)	20.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा)
	वडोदरा		वडोदरा-।		वडोदरा और अपर		वडोदरा
		20.3.2	आयुक्त		आयुक्त (अपील)		
			वडोदरा- ।।		वडोदरा		
		20.3.3	आयुक्त	20.4.2	आयुक्त (अपील)	20.5.2	आयुक्त (संपरीक्षा)
			स्रत		सूरत और अपर		स्रत
		20.3.4	आयुक्त	1	आयुक्त (अपील) सूरत		
			दमन				
21	मुख्य आयुक्त	21.3.1	प्रधान आयुक्त	21.4.1	आयुक्त (अपील)	21.5.1	आयुक्त (संपरीक्षा)
	विशाखापट्टनम		विशाखापट्टनम		गुंदूर और अपर		गुंदूर
	(अमरावती)	21.3.2	आयुक्त		आयुक्त (अपील) गुंदूर		
			गुंदूर				
		21.3.3	आयुक्त				
			तिरुपति				

सारणी 🚺 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, प्रधान आयुक्त / आयुक्त की क्षेत्रीय अधिकारिता

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	at the second of
	कर प्रधान आयुक्त	क्षेत्रीय अधिकारिता
	/ आयुक्त	

(1)	(2)	(3)
1	अगरतला	त्रिपुरा राज्य
2	आगरा	उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा, फिरोजाबाद, महामाया नगर, मथुरा, अलीगढ़, औरैया, इटावा, कासी राम नगर और इटाह के जिले
3	अहमदाबाद उत्तर	नेहरू ब्रिज से शुरू होने वाली साबरमती नदी के पूर्वी हिस्से का पूरा क्षेत्र, रिलीफ रोड के उत्तरी ओर, कलपुर तक की तरफ, दिक्षणी ओर, कलपुर पुल से सारंगपुर ब्रिज तक रेलवे की तरफ । सारंगपुर ब्रिज से सड़क के उत्तरी भाग में सारंगपुर ब्रिज से पटेल मिल्स के रखील रोड पर हिठखई के माध्यम से । पटेल मिल्स से, पटेल मिल्स और रायपुर मिल्स (दोनों मिलों सिहत) की बाहरी सीमा पर एक काल्पनिक सीमा है, और फिर, रायपुर मिल्स और विवेकानंद मिल को अलग करने वाली दीवार, काल्पनिक सीमा राखीय सोसायटी के बीच की सड़कों से गुजरती है राखील गांव मोनोग्राम मिल्स की पीठ के माध्यम से नरोडा राजमार्ग तक गुजर रहा है । वहां से, इसमें नरोल-नरोदा राजमार्ग के पूर्वी हिस्से पर नारोल-नरोडा राजमार्ग और ओधीव रोड के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और मुथिया, ऐनासन, परधोल, वाहनल, जुका, नरोडा लिलसीस, नवरंगपुर गांव के दसको तालुक इलाके में स्थित क्षेत्र शामिल है । अधिकारिता में साबरमती नदी के पश्चिम में शहर तालुका के पूरे क्षेत्र भी शामिल हैं (नेहरू ब्रिज से नवराजपुर पुलिस स्टेशन आश्रम रोड, स्वास्तिक चार मार्ग, वाणिज्य छह रोड के माध्यम से चलने वाली लाइन से दिक्षण में गिरने वाला क्षेत्र, थलटेंज क्रॉस तक ड्राइव-इन रोड एसएजी राजमार्ग पर सड़क, थ्ल्टेज क्रॉस रोड से सानाद क्रॉस रोड रोड तक, पश्चिम की ओर एसजी राजमार्ग पर, दिक्षण की ओर अहमदाबाद शहर तालुका की सीमा पर और नेहरू पुल से पूर्वी साबरमती नदी तक और अहमदाबाद शहर तालुका की सीमा तक दिक्षण की तरफ) और सभी गांवों साबरमती नदी के पश्चिमी हिस्से में दसकाई तालुका भी शामिल हैं। अधिकारिता में गुजरात के राज्य में अहमदाबाद जिले के सानन्द, ढोलका, धोलरा, बावला, मंडल, धंडुका, विरामगम और डेट्रोज-रामपुरा तालुक
		भी शामिल है।.
4	अहमदाबाद दक्षिण	अहमदाबाद जिले में सिटी तालुका और दसकूई तालुका को कवर करने वाले क्षेत्र में(1) रोड के उत्तर में क्षेत्रफल, भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय के पास, एसजी राजमार्ग तक स्वास्तिक चार मार्ग, विजय चार मार्ग, मेमनगर क्रॉस रोड के माध्यम से और ड्राइव-इन रोड शामिल नहीं है। (2) एसएजी राजमार्ग के पश्चिम में क्षेत्र थलटेज क्रॉस रोड से सानांद चौराहे की ओर से शहर तालुका की सीमा तक। (3) गुजरात के राज्य में अहमदाबाद उत्तर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में दोनों तालुकों के भाग और गांव शामिल हैं।
5	आइजोल	मिजोरम राज्य
6	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद, संत रविदास नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी (गौरीगंज), प्रतापगढ़, कौशंबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद और रायबरेली के

	केन्द्रीय उत्पाद						
क्र.सं.	शुल्क और सेवा						
	कर प्रधान आयुक्त	क्षेत्रीय अधिकारिता					
	/ आयुक्त						
(1)	(2)	(3)					
		जिले ।					
7	अलवर	राजस्थान राज्य में अलवर, भरतपुर, ढोलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर और झुनझुनू					
		के जिले।					
8	औरंगाबाद	औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद और महाराष्ट्र राज्य में बीड के					
		जिले ।					
9	बेलापुर	निम्नलिखित पिन कोड के तहत आने वाले क्षेत्रः महाराष्ट्र राज्य में 400614, 400701 से					
		400707, 400709 और 400710 .					
10	बेलगावी	कर्नाटक राज्य में बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, रायचूर, बागलकोट, बेलगाम, धारवार, गदग, बेल्लारी,					
		कोपाल और यदगिर जिले के डाक पिन कोड के तहत शामिल है :					
		580001, 580002, 580003, 580004, 580005, 580006, 580007, 580008, 580009,					
		580011, 580020, 580021, 580023, 580024, 580025, 580026, 580028, 580029,					
		580030, 580031, 580032, 580112, 580114, 580118, 581103, 581105, 581107,					
		581113, 581117, 581195, 581196, 581201, 581204, 581206, 581207, 581209, 582101,					
		582102, 582103, 582111, 582112, 582113, 582114, 582115, 582116, 582117, 582118,					
		582119, 582120, 582201, 582202, 582203, 582204, 582205, 582206, 582207,					
		582208, 582209, 582210, 582211, 583101, 583102, 583103, 583104, 583111,					
		583112, 583113, 583114, 583115, 583116, 583117, 583118, 583119, 583120, 583121,					
		583122, 583123, 583124, 583126, 583128, 583129, 583130, 583132, 583134,					
		583135, 583136, 583152, 583201, 583203, 583211, 583212, 583214, 583215,					
		583216, 583217, 583218, 583219, 583220, 583221, 583222, 583223, 583224,					
		583225, 583226, 583227, 583228, 583229, 583230, 583231, 583232, 583233,					
		583234, 583235, 583236, 583237, 583238, 583239, 583268, 583275, 583276,					
		583277, 583278, 583279, 583280, 583281, 583282, 583283, 584101, 584102,					
		584103, 584111, 584113, 584115, 584116, 584118, 584120, 584122, 584123,					
		584124, 584125, 584126, 584127, 584128, 584129, 584132, 584133, 584134,					

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.		
	शुल्क और सेवा	क्षेत्रीय अधिकारिता
	कर प्रधान आयुक्त	
	/ आयुक्त	
(1)	(2)	(3)
		584135, 584136, 584138, 584139, 584140, 584143, 584167, 584170, 584202,
		584203, 585101, 585102, 585103, 585104, 585105, 585106, 585201, 585202,
		585210, 585211, 585212, 585213, 585214, 585215, 585216, 585217, 585218,
		585219, 585220, 585221, 585222, 585223, 585224, 585225, 585226, 585227,
		585228, 585229, 585236, 585237, 585265, 585287, 585290, 585291, 585292,
		585301, 585302, 585303, 585304, 585305, 585306, 585307, 585308, 585309,
		585310, 585311, 585312, 585313, 585314, 585315, 585316, 585317, 585318,
		585319, 585320, 585321, 585322, 585323, 585324, 585325, 585326, 585327,
		585328, 585329, 585330, 585331, 585353, 585355, 585401, 585402, 585403,
		585411, 585412, 585413, 585414, 585415, 585416, 585417, 585418, 585419,
		585421, 585436, 585437, 585443, 586101, 586102, 586103, 586104, 586108,
		586109, 586111, 586112, 586113, 586114, 586115, 586116, 586117, 586118, 586119,
		586120, 586121, 586122, 586123, 586124, 586125, 586127, 586128, 586129,
		586130, 586201, 586202, 586203, 586204, 586205, 586206, 586207, 586208,
		586209, 586210, 586211, 586212, 586213, 586214, 586215, 586216, 586217,
		587101, 587102, 587103, 587111, 587112, 587113, 587114, 587115, 587116, 587117,
		587118, 587119, 587120, 587121, 587122, 587124, 587125, 587154, 587155,
		587201, 587202, 587203, 587204, 587205, 587206, 587207, 587301, 587311,
		587312, 587313, 587314, 587315, 587316, 587330, 590001, 590003, 590005,
		590006, 590008, 590009, 590010, 590011, 590014, 590015, 590016, 590018,
		590019, 591101, 591102, 591103, 591104, 591106, 591107, 591108, 591109, 591110,
		591111, 591112, 591113, 591114, 591115, 591116, 591117, 591118, 591119, 591120,
		591121, 591122, 591123, 591124, 591125, 591126, 591127, 591128, 591129, 591130,
		591131, 591136, 591143, 591147, 591153, 591156, 591173, 591201, 591211, 591212,
		591213, 591214, 591215, 591216, 591217, 591218, 591219, 591220, 591221, 591222,
		591223, 591224, 591225, 591226, 591227, 591228, 591229, 591230, 591231,
		591232, 591233, 591234, 591235, 591236, 591237, 591238, 591239, 591240,
		591241, 591242, 591243, 591244 , 591245, 591246, 591247, 591248, 591254,

	Ι, ,	1			
	केन्द्रीय उत्पाद				
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	क्षेत्रीय अधिकारिता			
	कर प्रधान आयुक्त	प्रामान आवनगरसा			
	/ आयुक्त				
(1)	(2)	(3)			
		591263, 591265, 591287, 591301, 591302, 591303, 591304, 591305, 591306,			
		591307, 591308, 591309, 591310, 591311, 591312, 591313, 591314, 591315, 591316,			
		591317, 591340 और 591344.			
11	बंगलुरू पूर्व	कर्नाटक राज्य में, बेंगलुरु ग्रामीण जिला, कोलार जिला का हिस्सा, बेंगलुरु शहरी जिला, भाग की			
		अधिकारिता में निम्नलिखित डाक पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रः			
		560005, 560007, 560008, 560016, 560017,560025, 560033, 560035, 560036,			
		560037,560038, 560042, 560043, 560047, 560048, 560049, 560066, 560067,			
		560071, 560075, 560084, 560087, 560093, 560103, 562114, 562122, 562125,			
		562129, 563101, 563102, 563103, 563113, 563114, 563115, 563116, 563117,			
		563118, 563119, 563120, 563121, 563122, 563126, 563127, 563128, 563129,			
		563130, 563131, 563132, 563133, 563134, 563135, 563136, 563137, 563138,			
		563139, 563160,563161 और 563162.			
		कोलर जिले के भीतर आने वाले किसी भी अन्य पिन कोड का उल्लेख जो किसी विशेष आयुक्त			
		की अधिकारिता में नहीं किया गया है.			
12	बंगलुरू उत्तर	बेंगलुरू शहरी जिला, बेंगलुरु ग्रामीण जिले का हिस्सा, कर्नाटक राज्य के चिकब्बलपुर जिला के			
		क्षेत्र में निम्नलिखित डाक पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:			
		560001, 560003, 560006, 560009, 560012, 560014, 560020, 560021, 560024,			
		560032, 560045, 560046, 560051, 560052, 560054, 560055, 560063, 560064,			
		560065, 560077, 560080, 560092, 560094, 560097, 560106, 560300, 561203,			
		561204, 561205, 561206, 561207, 561208, 561209, 561210, 561211, 561212,			
		561213, 561228, 562101, 562102, 562103, 562104, 562105, 562110, 562135,			
		562149, 562157, 562163, 562164, 563123, 563124, 563125, 563146 और 563159.			
		बेंगलुरु ग्रामीण जिले और चिकब्बलपुरा जिले की अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी भी			
		अन्य पिन कोड का उल्लेख जो किसी विशेष आयुक्त की अधिकारिता में नहीं किया गया है।.			
13	बंगलुरू उत्तर	बेंगलुरु शहरी जिला, बेंगलुरु ग्रामीण जिला, टुमकुर जिला, चित्रदुर्ग जिला, दावांगेरे जिला और			
	पश्चिम	हावेरी जिले का हिस्सा कर्नाटक राज्य के हिस्से की अधिकारिता में निम्नलिखित पोस्टल पिन			
		कोड के अंतर्गत आते हैं:			
	L				

L .:	केन्द्रीय उत्पाद					
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	क्षेत्रीय अधिकारिता				
	कर प्रधान आयुक्त	41717 31144/11(1)				
	/ आयुक्त					
(1)	(2)	(3)				
		560013, 560015, 560022, 560031, 560057,560058, 560073, 560088, 560089,				
		560090, 560091, 560107, 561202, 562111, 562123, 562132, 562162, 572101,				
		572102, 572103, 572104, 572105, 572106, 572107, 572111, 572112, 572113,				
		572114, 572115, 572116, 572117, 572118, 572119, 572120, 572121, 572122,				
		572123, 572124, 572125, 572126, 572127, 572128, 572129, 572130, 572132,				
		572133, 572134, 572135, 572136, 572137, 572138, 572139, 572140, 572141,				
		572142, 572143, 572144, 572145, 572168, 572175, 572201,572202, 572211,				
		572212, 572213, 572214, 572215, 572216, 572217, 572218, 572219, 572220,				
		572221, 572222, 572223, 572224, 572225, 572226, 572227, 572228, 573114,				
		577001, 577002, 577003, 577004, 577005, 577006, 577213, 577215, 577217,				
		577218, 577219, 577221, 577223, 577224, 577230, 577231, 577501, 577502,				
		577511, 577512, 577513, 577514, 577515, 577516, 577517, 577518, 577519,				
		577520, 577521, 577522, 577523, 577524, 577525, 577526, 577527, 577528,				
		577529, 577530, 577531, 577532, 577533, 577534, 577535, 577536, 577537,				
		577538, 577539, 577540, 577541, 577542, 577543, 577544, 577545, 577546,				
		577551, 577552, 577553, 577554, 577555, 577556, 577557, 577558, 577566,				
		577589, 577596, 577597, 577598, 577599, 577601, 577602, 581101, 581102,				
		581104, 581106, 581108, 581109, 581110, 581111, 581112, 581115, 581116, 581118,				
		581119, 581120, 581123, 581126, 581128, 581145, 581148, 581193, 581197, 581198,				
		581202,581203, 581205, 581208, 581210, 581211, 581212, 581213, 583125, 583127,				
		583131, 583137और 583213.				
		दमकुर जिले, चित्रदुर्ग जिला, दावणगेरे जिला और हावेरी जिले की अधिकारिता के भीतर आने				
		वाले किसी भी अन्य पिन कोड, जो किसी विशेष रूप से किसी भी आयु वर्ग की अधिकारिता में				
		नहीं हैं				
14	बेंगलुरू दक्षिण	कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु शहरी जिले के हिस्से की अधिकारिता में निम्नलिखित डाक पिन कोड				
		के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रः				
		560002, 560004, 560011, 560027, 560029, 560030, 560034, 560041, 560068,				
		560069, 560076, 560078, 560081, 560083, 560095,560099, 560100, 560102,				
		300003, 300070, 300070, 300001, 300003, 300033, 300100, 300102,				

	केन्द्रीय उत्पाद						
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	क्षेत्रीय अधिकारिता					
	कर प्रधान आयुक्त	पानाच आवचतार्सा					
	/ आयुक्त						
(1)	(2)	(3)					
		560105, 560108, 560111, 560112, 560114, 560210, 561229, 562106, 562107,					
		562158.					
		बेंगलुरु शहरी जिले की अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी भी अन्य पिन कोड जो किसी भी					
		आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं हैं ।					
15	बेंगलुरु पश्चिम	कर्नाटक राज्य में बंगलौर शहरी जिला और रामनगर जिले के हिस्से की अधिकारिता में					
		निम्नलिखित पोस्टल पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रः					
		560010, 560018, 560019,560023, 560026, 560028, 560039, 560040, 560044,					
		560050, 560053, 560056, 560059, 560060, 560061, 560062,560070, 560072,					
		560074, 560079, 560082, 560085, 560086, 560096, 560098, 560104, 560109,					
		560110,561101,561201, 562108, 562109, 562112, 562117, 562119, 562120, 562121,					
		562126, 562127, 562128, 562130,562131, 562138, 562145, 562159, 562160,					
		562161 571501 और 571511.					
		रामनगरम जिले की अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी भी अन्य पिन कोड का उल्लेख जो					
		किसी विशेष आयुक्त की अधिकारिता में नहीं किया गया है ।					
16	भावनगर	गुजरात के भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर-सोमनाथ और बोताड के जिलों					
		में ।					
17	भिवंडी	निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रः महाराष्ट्र राज्य में 400607, 400608,					
		400615, 401204, 421101, 421302, 421305, 421308, 421311 और 421312.					
18	भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, सेहोर, बेतुल, सागर, राजगढ़,					
		ग्वालियर, गुना, भिंड, मोरेना, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, दातिया के जिलों में					
19	भुवनेश्वर	ओडिशा राज्य के जिले में खुर्दा, कटक, केंद्रपाड़ा, जगत्सिंगपुर, पुरी, जाजपुर, भद्रक, बालासोरे,					
	_	ढेंकनाल, नयागढ़, गंजम, रायगढ़, गजपति, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, कंधमाल और					
		कालाहंडी					
		ओडिशा राज्य में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम बिंदु जहां से ऐसे जल के नीचे					
		राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा हैं ।					
20	बोलपुर	पश्चिम बंगाल राज्य में मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पुरूलिया, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और बांकुरा					
		के जिले					
21	चंडीगढ़	संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश चंडीगढ़ ।					
]					

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	
	्र कर प्रधान आयुक्त	क्षेत्रीय अधिकारिता
	/ आयुक्त	
(1)	(2)	(3)
22	चेन्नई उत्तर	तमिलनाडु राज्य में चेन्नई कार्पोरेशन जोन संख्या । से IX (01-04-2017 को अस्तित्व में वार्ड
		संख्या 1 से 126 तक)।
		भारत के पूर्वी तट से संलग्न महाद्वीपीय मग्नतट भूमि और अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
		स्पष्टीकरण : भारत का पूर्वी तट पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और
		अंडमान और निकोबार द्वीप के यथास्थिति राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से संलग्न तट को निर्दिष्ट
		करता है।
23	चेन्नई आउटर	चेन्नई कार्पोरेशन जोन संख्या । से XV को (01.04.2017 के अस्तित्व में वार्ड नंबर 1 से 200
		तक) और तमिलनाडु राज्य में सेंट थॉमस माउंट कैन्टोनमेंट बोर्ड को छोड़कर विल्लुपुरम,
		थिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, थिरुवल्लुर, कांचीपुरम के जिले और पल्लवाराम कैंटोनमेंट बोर्ड के
		अंतर्गत शामिल क्षेत्र ।
24	चेन्नई दक्षिण	चेन्नई कार्पोरेशन जोन संख्या X से XV (01-04-2017 के अस्तित्व में वार्ड संख्या 127 से 200
		तक) और सेंट थॉमस माउंट कैन्टोनमेंट बोर्ड के तमिलनाडु राज्य में शामिल क्षेत्र।
25	कोयंबतूर	तमिलनाडु राज्य में धारापुरम, कांगयम और उथुकुल्ली तालुक को छोड़कर कोयम्बटूर,
		नीलगिरिस और तिरुपुर जिले के जिले ।
26	दमन	दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली के संघ शासित प्रदेश ।
27	देहरादून	उत्तराखंड राज्य
28	दिल्ली पूर्व	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, शाहदरा और दक्षिण
		पूर्व दिल्ली के राजस्व जिले के क्षेत्र में निम्नलिखित डाक पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:
		110003, 110013, 110014, 110019, 110024, 110025, 110031, 110032, 110044, 110049, 110051,
29	दिल्ली उत्तर	110053, 110065, 110090, 110091, 110092, 110093, 110094, 110095, 110096, 110098, 110099. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय दिल्ली, उत्तर दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली के राजस्व जिले के
		क्षेत्र में निम्नलिखित डाक पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:
		110002 110005 110005 110005 110005 110002 110025 110025 110026 110040 110040
		110002, 110005, 110006, 110007, 110009, 110033, 110035, 110036, 110039, 110040, 110042, 110054, 110055, 110060, 110082, 110084, 110088.
30	दिल्ली दक्षिण	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के राजस्व जिले के क्षेत्र में निम्नलिखित डाक पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:
		ાંગલ જ વાત્ર ન ભાગાલલ હાજ લગ લગ લગ લગ લાગલ લાગ વાલ વાત.
		110001, 110004, 110010, 110011, 110012, 110016, 110017, 110020, 110021, 110022,
		110023, 110028, 110029, 110030, 110037, 110038, 110043, 110045, 110046, 110047, 110048, 110050, 110057, 110061, 110062, 110066, 110067, 110068, 110069, 110070,
		110071, 110072, 110073, 110074, 110075, 110076, 110077, 110078, 110079, 110080,

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	
	कर प्रधान आयुक्त	क्षेत्रीय अधिकारिता
	/ आयुक्त	
(1)	(2)	(3)
		110097.
31	दिल्ली पश्चिम	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उत्तर दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, केन्द्रीय दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली के राजस्व जिले के क्षेत्र में निम्नलिखित डाक पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:
		110008, 110015, 110018, 110026, 110027, 110034, 110041, 110052, 110056, 110058, 110059, 110063, 110064, 110081, 110083, 110085, 110086, 110087, 110089.
32	दिब्र्गढ	असम राज्य में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चाराइडियो, सिवासागर, जोरहाट, गोलाघाट, मजुली, दारंग,
		उदलगुडी, सोनितपुर, विश्वनाथ, लखीमपुर, धमेजी जिले ।
33	दीमापुर	नागालैंड राज्य
34	फरीदाबाद	हरियाणा राज्य में फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले ।
35	गांधीनगर	गुजरात राज्य में गांधीनगर, साबरकांठा, अरवली, मेहसाना, बनासकांठा और पाटण जिलों के जिले ।
36	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर जिले (गौतम बुद्ध नगर जिले में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
	3	(नोएडा) की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर) और उत्तर प्रदेश राज्य में
		बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, संभल और पीलीभीत जिले ।
37	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद का जिला ।
38	गोवा	गोवा राज्य.
		गोवा राज्य में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम बिंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र
		जल और समुद्र तल और अवमृदा हैं ।
39	गुंदूर	आंध्र प्रदेश राज्य में गुंदूर, कृष्णा, पश्चिमी गोदावरी, पॉटी श्रीरामूल नेल्लोर और प्रकासम के जिले
		T .
		आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम बिंदु जहां से ऐसे जल के नीचे
		राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा हैं ।
40	गुरुग्राम	हरियाणा राज्य में गुरुग्राम का राजस्व जिला ।
41	गुवाहाटी	असम राज्य में कामरूप (मेट्रो), कामरूप (ग्रामीण), बक्सा, कोकराझार, बोंगाईगोन, चिरांग,
		बारपेटा, धुबरी, दक्षिण सल्मार-मांकाचर, नलबारी, गोलपारा, मोरीगांव, नागोअन, होजई, पूर्वी कर्बी आंग्लोंग, पश्चिम कर्बी आंग्लोंग, दिमा हासोओ, कचार, हैलाकंडी और करीमगंज के जिले ।
<u></u>		

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	
	कर प्रधान आयुक्त	क्षेत्रीय अधिकारिता
	/ आयुक्त	
(1)	(2)	(3)
42	हल्दिया	संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी बंगाल राज्य में हावड़ा जिले के पूरब
		मेदिनीपुर के जिले, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम और ब्लॉक अम्टा-मी, अम्टा-द्वितीय, बगनन ।,
		जगतबॉलवपुर, पंचला, उदयनारायणपुर, डोमजूर और उलबेरिया ।।.
		पश्चिमी बंगाल राज्य और संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित समुचित
		आधाररेखा का निकटतम बिंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और
		अवमृदा हैं ।
43	हावड़ा	पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में ब्लाक अम्टा-।, अम्टा ।।, बगनान-।, जगवतबॉलपुर, पंचला,
		उदयनारायणपुर, डोमजूर और उलबेरिया ।। को छोड़कर हुगली और हावड़ा जिले ।
44	हैदराबाद	तेलंगाना राज्य में रंगारेड्डी जिले के राजेंद्रनगर मंडल और हैदराबाद जिले में आने वाले ग्रेटर
		हैदराबाद नगर निगम की वार्ड संख्या 24,26 से 80,89 और 91 से 103.
45	इंफाल	मणिपुर राज्य
46	इंदौर	म ^६ य प्रदेश राज्य में इंदौर और देवास के जिले
47	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश राज्य
48	जबलपुर	मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दिंडोरी, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर,
		छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सतना, पन्ना, रीवा, सिधी, सिंग्रोली, दमोह, छतरपुर और टिकमगढ
		के जिल ।
49	जयपुर	राजस्थान राज्य में जयपुर, अजमेर और टोंक के जिले ।
50	जालंधर	पंजाब राज्य में अमृतसर के जिले तरण तारण, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, पठानकोट, शहीद
		भगत सिंह नगर और होशियारपुर ।
51	जम्मू	जम्मू-कश्मीर राज्य ।
52	जमशेदपुर	झारखंड राज्य में पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सराईकेला – खारसवान के जिले ।
53	जोधपुर	राजस्थान राज्य में जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, जालोर, बारमेर, जैसलमेर, बीकानेर, चुरु,
		गंगानगर और हनुमानगढ़ के जिले ।
54	कानपुर	उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन,
		कन्नौज, मैनपुरी और फर्रुखाबाद के जिले ।
55	कोच्ची	संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप और केरल राज्य में एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर के जिले।
		केरल राज्य और संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम बिंदु जहां
		से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा हैं ।

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	
	कर प्रधान आयुक्त	क्षेत्रीय अधिकारिता
	/ आयुक्त	
(1)	(2)	(3)
56	कोल्हापुर	महाराष्ट्र राज्य में सातारा, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले ।
57	कोलकाता उत्तर	पश्चिमी बंगाल राज्य में कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से 62 और उत्तरी 24 परगना
		और नाडिया के जिले ।
58	कोलकाता दक्षिण	पश्चिमी बंगाल राज्य में कोलकाता नगर निगम की वार्ड संख्या 63 से 144 और दक्षिण 24
		परगर्नों के पूरे जिले
59	कोषिकोड	केरल राज्य में पलक्कड़, मलप्पुरम, कोषिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासारगढ़ के जिले ।
60	कच्छ (गांधीधाम)	गुजरात राज्य में कच्छ जिला ।
61	ল खनऊ	उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बेहरिच, गोंडा, उन्नाव, सीतापुर,
		लखीमपुर, शाहजहांपुर और हरदोई के जिले ।
62	लुधियाना	पंजाब राज्य में लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुचसर, फजिलका, बरनाला, संगरूर,
		मानसा, भटिंडा, पटियाला, रूपनगर, अजितगढ़ और फतेहगढ़ साहिब के जिले ।
63	मदुरै	तमिलनाडु राज्य में (वेदासंदुर तालुक के पलायम फ़िरका के डी। गुडालुर गांव को छोड़कर)मदुरै,
		रामनाथपुरम, शिवगागई, विरुधुनगर, तुतिकोरिन, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, तेनी, डिंडीगुल के
		जिले ।
		तमिलनाडु राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम बिंदु
		जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा हैं ।
64	मंगल <u>ौ</u> र	डाक पिन कोड के अंतर्गत आने वाले कर्नाटक राज्य में दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़ के
		राजस्व जिले में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
		574101, 574102, 574103, 574104, 574105, 574106, 574107, 574108, 574109,
		574110, 574111, 574112, 574113, 574114, 574115, 574116, 574117, 574118, 574119,
		574122, 574129, 574141, 574142, 574143, 574144, 574145, 574146, 574148,
		574150, 574153, 574154, 574197, 574198, 574199, 574201, 574203, 574210,
		574211, 574212, 574213, 574214, 574216, 574217, 574218, 574219, 574220,
		574221, 574222, 574223, 574224, 574225, 574226, 574227, 574228, 574229,
		574230, 574231, 574232, 574233, 574234, 574235, 574236, 574237, 574238,
		574239, 574240, 574241, 574242, 574243, 574248, 574253, 574259, 574260,
		574265, 574267, 574274, 574279, 574285, 574313, 574314, 574323, 574324,

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	
	3	क्षेत्रीय अधिकारिता
	कर प्रधान आयुक्त	
	/ आयुक्त	
(1)	(2)	(3)
		574325, 574326, 574327, 574328, 574509, 575001, 575002, 575003, 575004,
		575006, 575007, 575008, 575010, 575013, 575015, 575016, 575017, 575018,
		575019, 575020, 575022, 575023, 575025, 575028, 575029, 575030, 576101,
		576102, 576103, 576104, 576105, 576106, 576107, 576108, 576111, 576112,
		576113, 576114, 576115, 576117, 576120, 576121, 576122, 576124, 576201,
		576210, 576211, 576212, 576213, 576214, 576215, 576216, 576217, 576218,
		576219, 576220, 576221, 576222, 576223, 576224, 576225, 576226, 576227,
		576228, 576229, 576230, 576231, 576232, 576233, 576234, 576235, 576247,
		576257, 576282, 581121, 581129, 581186, 581187, 581301, 581302, 581303,
		581304, 581305, 581306, 581307, 581308, 581314, 581315, 581316, 581317,
		581318, 581319, 581320, 581321, 581322, 581323, 581324, 581325, 581326,
		581327, 581328, 581329, 581330, 581331, 581332, 581333, 581334, 581335,
		581336, 581337, 581338, 581339, 581340, 581341, 581342, 581343, 581344,
		581345, 581346, 581347, 581348, 581349, 581350, 581351, 581352, 581353,
		581354, 581355, 581356, 581357, 581358, 581359, 581360, 581361, 581362,
		581363, 581365, 581384, 581396, 581400, 581401, 581402, 581403, 581411,
		581412, 581421, 581423, 581440, 581450, 581453.
		कर्नाटक राज्य में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम बिंदु जहां से ऐसे जल के नीचे
		राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा हैं ।
65	मेडचाल	तेलंगाना राज्य में आदिलाबाद, जगतियाल, कामरेड्डी, करीमनगर, कमरन भीम (असिफाबाद),
		मंचेरल, मेदकल, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजना, (सिरसिला), संगारेङ्डी, सिद्धिपेट,
		विकराबाद और सिकंदराबाद छावनी बोर्ड क्षेत्र और मेडचल (मल्काजगिरी) जिले (वार्ड ग्रेटर
		हैदराबाद नगर निगम की संख्या 114 से 141, लेकिन अप्पल, कप्रा, मेदिपली और घाटकेसर
		मंडल को छोड़कर) ।
66	मेरठ	उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, अमरोहा, मुरादाबाद,
		बिजनीर और रामपुर के जिले ।
67	मुंबई मध्य	महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रः 400003, 400008 से
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	400018, 400025 社 400028, 400030400033 3間で 400034.

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	
	कर प्रधान आयुक्त	क्षेत्रीय अधिकारिता
	/ आयुक्त	
(1)	(2)	(3)
68	मुंबई पूर्व	महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र: 400019, 400022,
		400024, 400029, 400031, 400037, 400041, 400051, 400059, 400060, 400063,
		400065, 400069, 400070, 400072, 400077, 400084, 400086, 400089, 400093,
		400096, 400097, 400098 और 400099
69	मुंबई दक्षिण	महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रः 400001, 400002,
		400004 से 400007, 400020, 400021, 400023, 400032, 400035, 400036, 400038
		और 400039
		भारत के पश्चिमी तट से संलग्न महाद्वीपीय मग्न तट और अनन्य आर्थिक क्षेत्र
		स्पष्टीकरण : भारत का पश्चिमी तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और द्वीव, कर्नाटक, केरल
		और लक्ष्यद्वीप से संलग्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों तटीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है।
70	मुंबई पश्चिम	महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र :400040, 400047 से
		400050, 400052 से 400058, 400061, 400062, 400064, 400090, 400095, 400102,
		400104, 400105.
		महाराष्ट्र राज्य में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम बिंदु जहां से ऐसे जल के नीचे
		राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा हैं ।
71	मैस् रू	कर्नाटक राज्य में मैसूरू, मंड्या, चामराजनगर, कोडगु, हसन, चिकमगलूर और शिमोगा के
		राजस्व जिलों के क्षेत्र में निम्नलिखित पोस्टल पिन कोड शामिल हैं:
		570001, 570002, 570003, 570004, 570005, 570006, 570007, 570008, 570009,
		570010, 570011, 570012, 570014, 570015, 570016, 570017, 570018, 570019,
		570020, 570022, 570023, 570025, 570026, 570027, 570028, 570029, 570030,
		570031, 571101, 571102, 571103, 571104, 571105, 571106, 571107, 571108, 571109,
		571110, 571111, 571114, 571116, 571117, 571118, 571119, 571120, 571121, 571122,
		571124, 571125, 571126, 571127, 571128, 571129, 571134, 571187, 571189, 571201,
		571211, 571212, 571213, 571214, 571215, 571216, 571217, 571218, 571219, 571231,
		571232, 571234, 571235, 571236, 571237, 571247, 571248, 571249, 571250,
		571251, 571252, 571253, 571254, 571301, 571302, 571311, 571312, 571313,
		571314, 571315, 571316, 571320, 571401, 571403, 571404, 571405, 571415,

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	
	कर प्रधान आयुक्त	क्षेत्रीय अधिकारिता
	/ आयुक्त	
(1)	(2)	(3)
		571416, 571417, 571418, 571419, 571421, 571422, 571423, 571424, 571425,
		571426, 571427, 571429, 571430, 571431, 571432, 571433, 571434, 571435,
		571436, 571438, 571439, 571440 571441, 571442, 571443, 571444, 571445,
		571446, 571448, 571450, 571455, 571457, 571463, 571475, 571476, 571477,
		571478, 571490, 571601, 571602, 571603, 571604, 571605, 571606, 571607,
		571610, 571617, 571802, 571807, 571811, 571812, 573101, 573102, 573103, 573111,
		573112, 573113, 573115, 573116, 573117, 573118, 573119, 573120, 576121, 573122,
		573123, 573124, 573125, 573126, 573127, 573128, 573129, 573130, 573131,
		573133, 573134, 573135, 573136, 573137, 573141, 573142, 573144, 573150,
		573162, 573164, 573165, 573201, 573202, 573211, 573212, 573214, 573215,
		573216, 573217, 573218, 573219, 573220, 573225, 573226, 577101, 577102,
		577111, 577112, 577113. 577114, 577115, 577116, 577117, 577120, 557121, 577122,
		577123, 577124, 577125, 577126, 577127, 577128, 577129, 577130, 577131,
		577132, 577133, 577134, 577135, 577136, 577137, 577138, 577139, 577140,
		577142, 577144, 577145, 577146, 577160, 577168, 577175, 577179, 577180,
		577181, 577182, 577201, 577202, 577203, 577204, 577205, 577211, 577213,
		577214, 577215, 577216, 577217, 577218, 577219, 577220, 577221, 577222,
		577223, 577224, 577225, 577226, 577227, 577228, 577229, 577230, 577231,
		577232, 577233, 577243, 577245, 577301, 577302, 577401, 577411, 577413,
		577414, 577415, 577416, 577417, 577418, 577419, 577421, 577423, 577424,
		577425, 577426, 577427, 577428, 577429, 577430, 577431, 577432, 577433,
		577434, 577435, 577436, 577448, 577451, 577452, 577453, 577544, 577548,
		577549, 577550, 577551 और 577552.
72	नागपुर ।	1. नागपुर जिले के निम्नलिखित क्षेत्रः
		(क) राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / आंतरिक मार्गों के परस्पर संबद्ध प्रखण्डों के
		दक्षिण में स्थित नागपुर शहर की नगरपालिका सीमाओं में आने वाले क्षेत्र निम्नानुसार हैं:
		(i). वाडी अंत से लेकर वैरायटी स्क्वायर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 6 का हिस्सा ,
		(ii). वैरायटी स्क्वायर और पंचशील स्क्वायर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	
	कर प्रधान आयुक्त	क्षेत्रीय अधिकारिता
	/ आयुक्त	
(1)	(2)	(3)
		प्रखण्ड,
		(iii). पंचशील स्क्वायर और अशोक स्क्वायर को धंतोली पुलिस स्टेशन और बैद्यनाथ
		स्क्वायर के माध्यम से जोड़ने वाली आंतरिक सड़कें,
		(i v). अशोक स्क्वायर से उमेरर तक राज्य राजमार्ग 9 का प्रखंड ।
		(ख). नागपुर जिले के हिंगना, नागपुर (शहरी), काम्पटी, उमरेर और कुही नागपुर से जुड़े
		नागपुर(ग्रामीण) तहसील के हिस्से,
		(ग). नागपुर जिले के हिंगना, उमेरर, भिवपुर और कुही के तहसील ।
		2. वर्धा जिला (आष्टी, अरवी और करंजा के तहसील को छोड़कर), और
		3. महाराष्ट्र राज्य में भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर और गडचिरोली के जिले ।
		, and the second
73	नागपुर ।।	1. नागपुर जिले के निम्नलिखित क्षेत्रः
		(क). नागपुर- I के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, नागपुर शहर की नगरपालिका
		सीमाएं
		(ख). नागपुर- । के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, नागपुर (ग्रामीण) तहसील के
		कुछ हिस्से ।
		(ग). नागपुर- । के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, नागपुर जिले की सभी तहसील
		2. वर्धा जिले में आष्टी, अरवी और करणजा की तहसील; और
		3. महाराष्ट्र राज्य में अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुलढाणा के जिले ।
74	नासिक	महाराष्ट्र राज्य में नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव और अहमदनगर के जिले
75	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र: 400042, 400043,
		400046, 400071, 400073 से 400076, 400078 से 400083, 400085, 400087,
		400088, 400094, 400603, 400611, 400612,400708 .
76	नोएडा	गौतम बुद्ध नगर-जिले और उत्तर प्रदेश राज्य में हापुर जिले में आने वाले क्षेत्र में नए ओखला
		औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र ।
77	पालघर	महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रः 401102, 401103,
		401201 से 401203, 401205 से 401210, 401301 से 401306, 401401 से 401407,
		101201 (1 101200, 101200 (1 101210, 101001 (1 101000, 101101 (1 10110

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	
	कर प्रधान आयुक्त	क्षेत्रीय अधिकारिता
	/ आयुक्त	
(1)	(2)	(3)
		401501 से 401506, 401601 से 401610, 401701 से 401703.
78	पंचकुला	हरियाणा राज्य में राजस्व जिले अर्थात् पंचकुला, पानीपत, यमुना नगर, अंबाला, करनाल, कैथल
		और कुरुक्षेत्र ।
79	पटना ।	बिहार राज्य में पटना, बक्सर, काइमूर (भाबुआ), भोजपुर, रोहतस, अरवाल, जहानाबाद,
		औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लिखसराई, जामूई, मुंगेर, बांका और भागलपुर के
		जिले ।
80	पटना ।।	बिहार राज्य में वैशाली, सरन, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी,
		शिओहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, बेगुसराई, सहरसा, मधेपुरा, खगरिया, पूर्णिया, अररिया,
		कटिहार, किशनगंज, समस्तीपुर और सिवान के जिले ।
81	पुदुचेरी	संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी जिसमें कराईकल, माहे और यानम शामिल हैं ।
82	पुणे –।	(i) पुणे जिले के जुन्नर, आंबेगांव, खेड, शिरुर, मावल और मुळशी तालुक क्षेत्र; और
		(i i) पिन कोड के साथ पुणे जिले के हवेली तालुका का एक हिस्सा
		411001,411006,411012,411013,411014,411015,411017,411018,411019,
		411026,411027,411031,411032,411033,411034,411035,411036,411039,
		411044,411047,411057,411061,411062,412101,412109,412110,412201,
		412202,412216,412207 and 412307; और
		(i i i) महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के हवेली और दौंड तालुके में आने वाला पिन कोड 412202
		का क्षेत्र।
83	पुणे ।।	(i) पुणे जिले के वेल्हे, भोर, पुरंदर, बारामती, इंदापुर तालुकों का क्षेत्र; और
		(ii) पिन कोड नंबर सहित पुणे जिले के हवेली तालुका का हिस्सा 411002, 411003,
		411004, 411005, 411007, 411008, 411009, 411011, 411016, 411020, 411021, 411022, 411023, 411024, 411025, 411028, 411030, 411037, 411038, 411040, 411041, 411042,
		411043, 411045, 411046, 411048, 411051, 411052, 411058, 411060, 412205 3
		412308; और
		(i i i) पिन कोड संख्या 412202 में आने वाले क्षेत्र को छोड़कर पुणे जिले का दौंड तालुका;
		और

कर प्रधान आयुक्त / आयुक्त		केन्द्रीय उत्पाद	
(1) (2) (3) ((v) महाराष्ट्र राज्य में सीलापुर जिला । सहाराष्ट्र राज्य में सीलापुर जिला । सहाराष्ट्र राज्य में सीलापुर जिला । ((v) महाराष्ट्र राज्य में सीलापुर जिला । सहाराष्ट्र राज्य में सीलापुर जिला । सहाराष्ट्र राज्य में सीलापुर जिला । सहाराष्ट्र राज्य में सीलापुर जिला । सीलापुर क्योर सीण्या	क्र.सं.	शुल्क और सेवा	
(1) (2) (3) ((1) महाराष्ट्र राज्य में सोलापुर जिला । 84 रायगढ़ महाराष्ट्र राज्य में लिम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आले वाले क्षेत्र: 402101 to 402118, 402120, 402122, 402125, 402126, 402201 to 402210, 402301 to 402309, 402401 to 402406, 410101, 410102, 410201 to 410212, 410216 to 410222 और 415213. 85 रायपुर छतीसगढ़ राज्य 86 राजकोट गुजरात राज्य में राजकोट, मोरवी, जामनगर और देवभृमि द्वारका जिले । गुजरात राज्य और संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम विंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र उमन और अगमुदा हैं । 87 रांची झारखंड राज्य में रांची, लोहरदगा, सिवदेगा, गुमला, खुंती, रामगढ़, हजारीबाग, चतर, पालम्, गढ़वा, लातेसर, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, देवगढ़, जमतारा, पाकुर, साहिबगंज, गोइडा और दुमका जिले । 88 रंगारेड्डी तेलंगाना राज्य में भद्रादि, जोगुलम्बा (गडवाल), खम्मम, महाबूबनगर, नागर्कनृल, नलगोंडा, सूर्यघेट व बानापर्थी जिले और रंगरेड्डी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110 थेटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेदनगर मंडल को छोड़कर) । 89 रोहतक हिरयाणा राज्य में रोहतक, झज्जर, भिवाली, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोलीपत जिले । 90 राज्येका ओडिशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ, संबलपुर, देवगढ, झारसुगुडा, सुवारलपुर (सोलीपुर), बौंद, बारगढ, बोलंगीर, केझार, मसूर्मज और नुआपद जिले । 91 सेलम तमिललाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 91 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कपा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (यामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर लिगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड संठ. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।		कर प्रधान आयुक्त	क्षत्राय आधकारिता
(iv) महाराष्ट्र राज्य में सोलापुर जिला । स्वाराष्ट्र राज्य में लिम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र: 402101 to 402118, 402120, 402122, 402125, 402126, 402201 to 402210, 402301 to 402309, 402401 to 402406, 410101, 410102, 410201 to 410212, 410216 to 410222 और 415213. हर्ष रायपुर छतीसगढ़ राज्य हर्ष राजकोट गुजरात राज्य में राजकोट, मोरबी, जामनगर और देवभूमि द्वारक जिले । गुजरात राज्य और संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम विंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमुदा हैं । हर्ग रांची झारखंड राज्य में रांची, लोहरदगा, सिवदेगा, गुमला, खुंती, रामगढ़, हजारीबाग, चतर, पालम्, गढ़वा, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, धनवाद, देवगढ़, जमतारा, पाकुर, साहिबगंज, गोइडा और दुमका जिले । तेलंगाना राज्य में भद्रादि, जोगुलम्बा (गड़वाल), खम्मम, महाबूबनगर, नागर्कनूल, नलगोड़ा, सूर्यपेट व वानापर्थी जिले और रंगारेड्डी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110 येटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर) । हिरायाणा राज्य में रोहतक, झज्जर, मिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत जिले । राउरकेला ओडिशा राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुजुलती तालुक जिले । सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पत, कथा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।		/ आयुक्त	
अस्तराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रः 402101 to 402118, 402120, 402122, 402125, 402126, 402201 to 402210, 402301 to 402309, 402401 to 402406, 410101, 410102, 410201 to 410212, 410216 to 410222 और 415213. अध्यपुर खित्तमण्ड राज्य अर्थे राजकोट गुजरात राज्य में राजकोट, मोरवी, जामनगर और देवभूमि द्वारका जिले । गुजरात राज्य और संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम विंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र उनम और समुद्र तल और अवमृद्रा हैं । अगरखंड राज्य में रांची, लोहरदगा, सिवदेगा, गुमला, खुंती, रामगढ़, हजारीबाग, चतर, पालमू, गढ़वा, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, देवगढ़, जमतारा, पाकुर, साहिवगंज, गोइडा और दुमका जिले । तेलंगाना राज्य में भद्रादि, जोगुलम्बा (गडवाल), खम्मम, महावूबनगर, नागर्कस्तृल, नलगोंडा, सूर्यपेट व वानापर्थी जिले और रंगारेड्डी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर) । स्तियाणा राज्य में सेहतक, झज्जर, शिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत जिले । राउरकेला ओडिशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुबारनपुर (सोनीपुर), बौंढ, बारगढ़, बोलंगीर, केंझार, मसूरभंज और नुआपद जिले । सेलम तिमलाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कपा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महत्वुवाबाद, वारंगल (यामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड संठ. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।	(1)	(2)	(3)
402120, 402122, 402125, 402126, 402201 to 402210, 402301 to 402309, 402401 to 402406, 410101, 410102, 410201 to 410212, 410216 to 410222 और 415213. 85 रायपुर छतीसगढ़ राज्य अप प्रजय में राजकोट, मोरबी, जामनगर और देवभूमि द्वारका जिले । गुजरात राज्य और संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम विंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र दमन और दीव में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम विंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्ध तल और अवमृद्धा हैं । 87 रांची झारखंड राज्य में रांची, लोहरदगा, सिवदेगा, गुमला, खुंती, रामगढ़, हजारीबाग, चतर, पालमू, गढ़वा, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, देवगढ़, जमतारा, पाकुर, साहिबगंज, गोइडा और दुमका जिले । 88 रंगारेड्डी तेलंगाना राज्य में भद्वादि, जोगुलम्बा (गडदाल), खम्मम, महाबूवनगर, नागर्कन्त्ल, नलगाँडा, सूर्यपेट व वानापर्थी जिले और रंगारेड्डी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर) । 89 रोहतक हिरयाणा राज्य में रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत जिले । 90 राज्यकेला ओडिशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुबारनपुर (सोनीपुर), बौंद, बारगढ़, बोलंगीर, केझार, मयूरभंज और नुआपद जिले । 91 सेलम तिमलाडु राज्य में तिरपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 92 सिकंदराबाद तेलंगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगन (खामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड संठ. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।			(i v) महाराष्ट्र राज्य में सोलापुर जिला ।
10 402406, 410101, 410102, 410201 to 410212, 410216 to 410222 और 415213. 10 402406, 410101, 410102, 410201 to 410212, 410216 to 410222 और 415213. 10 402406, 410101, 410102, 410201 to 410212, 410216 to 410222 और 415213. 10 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	84	रायगढ़	महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र: 402101 to 402118,
श्री संग्रह श्री संग्रह राज्य श्री संग्रह राज्य में राजकोट, मोरबी, जामनगर और देवभूमि द्वारका जिले गुजरात राज्य में राजकोट, मोरबी, जामनगर और देवभूमि द्वारका जिले गुजरात राज्य और संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम बिंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा हैं शारखंड राज्य में रांची, लोहरदगा, सिवदेगा, गुमला, खुंती, रामगढ़, हजारीवाग, चतर, पालमू, गढ़वा, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, देवगढ़, जमतारा, पाकुर, साहिबगंज, गोइडा और दुमका जिले तेलंगाना राज्य में भद्राद्वि, जोगुलम्बा (गडवाल), खम्मम, महावूबनगर, नागर्कतृल, नलगोंडा, सूर्वपेट व वानापर्थी जिले और रंगारेइडी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर) हिरयाणा राज्य में रोहतक, झज्जर, भ्रिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत जिले शोडिशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुवारनपुर (सोनीपुर), बौंद्व, बारगढ़, बोलंगीर, कंझार, मयूरभंज और नुआपद जिले सेलम तिमलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले सेलम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (यामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड संठ. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले			402120, 402122, 402125, 402126, 402201 to 402210, 402301 to 402309, 402401
शुजरात राज्य में राजकोट, मोरबी, जामनगर और देवभूमि द्वारका जिले गुजरात राज्य और संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम बिंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा हैं शिराखंड राज्य में रांची, लोहरदगा, सिवदेगा, गुमला, खुंती, रामगढ़, हजारीवाग, चतर, पालमू, गढ़वा, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, धनवाद, देवगढ़, जमतारा, पाकुर, साहिबगंज, गोइडा और दुमका जिले तेलंगाना राज्य में मद्रादि, जोगुलम्बा (गडवाल), खम्मम, महाब्वनगर, नागर्कनृत, नलगोंडा, सूर्यपेट व वानापर्थी जिले और रंगारेइडी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110 गेटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर) हिरवाणा राज्य में रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत जिले शिरा प्राच्य में अंगुल, सुंदरगढ, संबलपुर, देवगढ, झारसुगुडा, सुवारनपुर (सोनीपुर), बौंह, बारगढ़, बोलंगीर, केंझार, मयूरभंज और नुआपद जिले सेलम तमिलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महब्बाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड संठ. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले			to 402406, 410101, 410102, 410201 to 410212, 410216 to 410222 और 415213.
गुजरात राज्य और संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम विंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमुदा हैं । हारखंड राज्य में रांची, लोहरदगा, सिवदेगा, गुमला, खुंती, रामगढ़, हजारीवाग, चतर, पालमू, गढ़वा, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, देवगढ़, जमतारा, पाकुर, साहिबगंज, गोइडा और दुमका जिले । हिर्माण राज्य में भद्रादि, जोगुलम्बा (गडवाल), खम्मम, महाबूबनगर, नागर्कनूल, नलगोंडा, सूर्यपेट व वानापर्थी जिले और रंगारेइडी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110 येटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर) । हिर्माणा राज्य में रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत जिले । राउरकेला ओडिशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुवारनपुर (सोनीपुर), बौंद, बारगढ़, बोलंगीर, कॅझार, मयूरभंज और नुआपद जिले । सेलम तमिलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेइडी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड संछ. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।	85	रायपुर	छतीसगढ़ राज्य
विंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा हैं । 87 रांची झारखंड राज्य में रांची, लोहरदगा, सिवदेगा, गुमला, खुंती, रामगढ़, हजारीवाग, चतर, पालमू, गढ़वा, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, धनवाद, देवगढ़, जमतारा, पाकुर, साहिबगंज, गोइड़ा और दुमका जिले । 88 रंगारेड्डी तेलंगाना राज्य में भद्रादि, जोगुलम्बा (गडवाल), खम्मम, महाबूवनगर, नागर्कतृल, नलगोंड़ा, सूर्यपेट व वानापर्थी जिले और रंगारेड्डी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर) । 89 रोहतक हिरयाणा राज्य में रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत जिले । 90 राउरकेला ओडिशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुबारनपुर (सोनीपुर), बौंद, बारगढ़, बोलंगीर, केंझार, मयूरभंज और नुआपद जिले । 91 सेलम तिमलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 92 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।	86	राजकोट	गुजरात राज्य में राजकोट, मोरबी, जामनगर और देवभूमि द्वारका जिले ।
शिलांग शिलांग शिव्हावाद । शिवहावाद । शिवहावाद । शिवहावाद । शिवहावाद । शिवहावाद । शिवहावाद । शिव			गुजरात राज्य और संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम
गढ़वा, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, देवगढ़, जमतारा, पाकुर, साहिवगंज, गोइडा और दुमका जिले । 88 रंगारेइडी तेलंगाना राज्य में भद्राद्रि, जोगुलम्बा (गडवाल), खम्मम, महाबूबनगर, नागर्कन्तून, नलगोंडा, सूर्यपेट व वानापर्थी जिले और रंगारेइडी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर) । 89 रोहतक हिरियाणा राज्य में रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत जिले । 90 राउरकेला ओड़िशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुडा, सुबारनपुर (सोनीपुर), बौद, बारगढ़, बोलंगीर, केंझार, मयूरभंज और नुआपद जिले । 91 सेलम तमिलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 92 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड संठ. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।			बिंदु जहां से ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा हैं ।
और दुमका जिले	87	रांची	झारखंड राज्य में रांची, लोहरदगा, सिवदेगा, गुमला, खुंती, रामगढ़, हजारीबाग, चतर, पालमू,
रेगारेड्डी तेलंगाना राज्य में भद्राद्रि, जोगुलम्बा (गडवाल), खम्मम, महाबूबनगर, नागर्कनूल, नलगोंडा, सूर्यपेट व वानापर्थी जिले और रंगारेड्डी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर)			गढ़वा, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, देवगढ़, जमतारा, पाकुर, साहिबगंज, गोड्डा
सूर्यपेट व वानापर्थी जिले और रंगारेइडी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर) । 89 रोहतक हिरियाणा राज्य में रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत जिले । 90 राउरकेला ओडिशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ, संबलपुर, देवगढ, झारसुगुडा, सुवारनपुर (सोनीपुर), बौढ, बारगढ़, बोलंगीर, केंझार, मयूरभंज और नुआपद जिले । 91 सेलम तिमलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 92 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेइडी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।			और दुमका जिले ।
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर) । 89 रोहतक हिरयाणा राज्य में रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत जिले । 90 राउरकेला ओड़िशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुबारनपुर (सोनीपुर), बौंढ, बारगढ़, बोलंगीर, केंझार, मयूरभंज और नुआपद जिले । 91 सेलम तिमलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 92 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्ना, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।	88	रंगारेड्डी	तेलंगाना राज्य में भद्राद्रि, जोगुलम्बा (गडवाल), खम्मम, महाबूबनगर, नागर्कनूल, नलगोंडा,
89 रोहतक हिरियाणा राज्य में रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत जिले । 90 राउरकेला ओड़िशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुबारनपुर (सोनीपुर), बौढ, बारगढ़, बोलंगीर, केंझार, मयूरभंज और नुआपद जिले । 91 सेलम तिमलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 92 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महब्बूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।			सूर्यपेट व वानापर्थी जिले और रंगारेड्डी जिला (वार्ड संख्या 11 से 23, 25 और 104 से 110
सोनीपत जिले । 70 राउरकेला ओड़िशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुडा, सुबारनपुर (सोनीपुर), बौढ, बारगढ़, बोलंगीर, केंझार, मयूरभंज और नुआपद जिले । 71 सेलम तिमलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 72 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले । 73 शिलांग मेघालय राज्य ।			ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लेकिन राजेंद्रनगर मंडल को छोड़कर) ।
90 राउरकेला ओड़िशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुडा, सुबारनपुर (सोनीपुर), बौढ, बारगढ़, बोलंगीर, केंझार, मयूरभंज और नुआपद जिले । 91 सेलम तिमलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 92 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।	89	रोहतक	हरियाणा राज्य में रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और
बारगढ़, बोलंगीर, केंझार, मयूरभंज और नुआपद जिले । 91 सेलम तिमलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 92 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले । 93 शिलांग मेघालय राज्य ।			सोनीपत जिले ।
91 सेलम तिमलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम, कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 92 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले । 93 शिलांग मेघालय राज्य ।	90	राउरकेला	ओड़िशा राज्य में अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुडा, सुबारनपुर (सोनीपुर), बौद्ध,
कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले । 92 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले । 93 शिलांग मेघालय राज्य ।			बारगढ़, बोलंगीर, केंझार, मयूरभंज और नुआपद जिले ।
92 सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव, जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेइडी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले । 93 शिलांग मेघालय राज्य ।	91	सेलम	तमिलनाडु राज्य में तिरुपुर जिले में सलेम, नमक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और धरमपुरम,
जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।			कंगाय तालुक और उथुकुलली तालुक जिले ।
नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81 से 88, 90 और 142 से 150 के जिले । 93 शिलांग मेघालय राज्य ।	92	सिकंदराबाद	तेलंगाना राज्य में उप्पल, कप्रा, मेदिपली और मेडचल जिले के घाटकेसर मंडल के साथ जंगगाव,
से 88, 90 और 142 से 150 के जिले । 93 शिलांग मेघालय राज्य ।			जयशंकर, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी) और यदादिरी और महानगर हैदराबाद
93 शिलांग मेघालय राज्य ।			नगर निगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में आने वाले) की वार्ड सं0. 1 से 10, 81
			से 88, 90 और 142 से 150 के जिले ।
94 शिमला हिमाचल प्रदेश राज्य ।	93	शिलांग	मेघालय राज्य ।
	94	शिमला	हिमाचल प्रदेश राज्य ।

	केन्द्रीय उत्पाद	
क्र.सं.	शुल्क और सेवा	
	कर प्रधान आयुक्त	क्षेत्रीय अधिकारिता
	/ आयुक्त	
(1)	(2)	(3)
95	सिलीगुड़ी	सिक्किम राज्य और पश्चिमी बंगाल राज्य में दार्जिलिंग, कालीम्पोंग, जलपाईगुडी, कूचबिहार,
		अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिले ।
96	स्रत	गुजरात राज्य में सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग और तापी जिले ।
97	ठाणे	महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र: 400066, 400067,
		400068, 400091, 400092, 400101, 400103, 400601, 400602, 400604, 400605,
		400606, 400609, 400610, 400613, 400616, 401101, 401104 社 401107 .
98	ठाणे ग्रामीण	महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र: 421001 से 421005,
		421102, 421103,421201 社 421206, 421301, 421303, 421304, 421306, 421401 to
		421403, 421501 से 421506, 421601 से 421605.
99	तिरुवनंतपुरम	केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पत्तमनिट्टा, अल्पुषा और कोट्टयम जिले ।
100	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु राज्य में तिरूचिरापल्ली, पेरामलूर, अरियालुर, करूर, पुदुकोट्टई, थंजावुर, थिरुवरूर,
		नागापट्टिनम, कुड्डालोर और डिंडीगुल जिले के वेदसंदुर तालुक के पलायम फ़िरका के डी.
		गुडालूर गांव के जिले ।
101	तिरुपति	आंध्र प्रदेश राज्य में चित्र्र, अनंतपुर, डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी कडप्पा (कडपा) और कुरनूल के जिले ।
102	उदयपुर	राजस्थान राज्य में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डुंगरपुर, बंसवाड़ा, बूंदी,
		बारा, कोटा और झलावार के जिले ।
103	उ ज्जैन	मध्य प्रदेश राज्य में धार, खड़गोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच,
		झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन, अग्र माल्वा, शाजापुर के जिले ।
104	वडोदरा ।	गुजरात राज्य में वडोदरा जिले (सवली और देसर तालुका को छोड़कर), आनंद, खेड़ा और
		महिसागर जिले ।
105	वडोदरा ।।	गुजरात राज्य में वड़ोदरा जिले के पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा और सावली-
		देसार तालुका जिले ।
106	वाराणसी	उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चांदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आज़मगढ़,
		देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के जिले ।
107	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिले ।

सारणी ।।। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त (अपील), की अधिकारिता

	I — \	(3) 4 SIT (141 4) SIT (5) 41 SIT 441 (1)
क्र.सं.	क <i>ेन्द्रीय उत्पाद</i> शुल्क	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त के निबंधनानुसार
	और सेवाकर, आयुक्त	अधिकारिता
	(अपील)	
(1)	(2)	(3)
1	अहमदाबाद	अहमदाबाद उत्तर, अहमदाबाद दक्षिण, गांधीनगर
2	इलाहाबाद	इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी
3	बेलगावी	बेलगावी, मंगलोर
4	बेंगलुरु ।	बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु दक्षिण
5	बेंगलुरु ।।	बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु उत्तर पश्चिम
6	भोपाल	भोपाल, जबलपुर
7	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर, राजरकेला
8	चंडीगढ़	चंडीगढ़, शिमला
9	चेन्नई ।	चेन्नई उत्तर, पुदुचेरी
10	चेन्नई ।।	चेन्नई दक्षिण, चेन्नई बाहरी
11	कोयम्बदूर	कोयम्बदूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, सलेम
12	देहरादून	देहरादून
13	दिल्ली ।	दिल्ली उत्तर, दिल्ली पूर्व
14	दिल्ली ।।	दिल्ली दक्षिण, दिल्ली पश्चिम
15	गोवा	गोवा
16	गुंदूर	विशाखापट्टनम, गुंदूर, तिरुपति
17	गुरुग्राम	गुरुग्राम, फरीदाबाद
18	गुवाहाटी	गुवाहाटी, दिब्रूगढ़, शिलांग, इटानगर, दीमापुर, इम्फाल, ऐजावल, अगरतला
	अपर आयुक्त (अपील)	गुवाहाटी, डिबरुगढ़, ईटानगर
	गुवाहाटी	
	अपर आयुक्त (अपील)	गुवाहाटी, दीमापुर, इम्फाल, आईज़ॉल, अगरतला
	शिलांग	
19	हैदराबाद ।	हैदराबाद, रंगारेड्डी
20	हैदराबाद ।।	मेदचल, सिकंदराबाद

क्र.सं.	केेन्द्रीय उत्पाद शुल्क	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त के निबंधनानुसार
	और सेवाकर, आयुक्त	अधिकारिता
	(अपील)	
(1)	(2)	(3)
21	इंदौर	इंदौर, उज्जैन
22	जयपुर	जयपुर, अलवर
23	जम्म्	जम्मू
24	जोधपुर	जोधपुर, उदयपुर
25	कोच्ची	तिरुवनंतपुरम, कोच्ची, कोषिकोड
26	कोलकाता ।	कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण
27	कोलकाता ।।	हावड़ा, हिन्दिया
28	ল এ ন্ড	लखनऊ, आगरा
29	लुधियाना	लुधियाना, जालंधर
30	मेरठ	मेरठ, गाजियाबाद
31	मुंबई ।	मुंबई दक्षिण
32	मुंबई ।।	मुंबई पूर्व, मुंबई म ^६ य
33	मुंबई ।।।	मुंबई पश्चिम, पालघर
34	मैस्रू	मैस्रू, बैंगलुरू पश्चिम
35	नागपुर	नागपुर-। , नागपुर-।।
36	नासिक	नासिक, औरंगाबाद
37	नोएडा	नोएडा, गौतम बुद्ध नगर
38	पंचकुला	पंचकुला, रोहतक
39	पटना	पटना-। , पटना-।।
40	पुणे-।	पुणे-। , कोल्हापुर
41	पुणे-।।	पुणे –।।
42	रायगढ़	रायगढ़, नवी मुंबई, बेलापुर
43	रायपुर	रायपुर
44	राजकोट	राजकोट, भावनगर, कच्छ (गांधीधाम)
45	रांची	रांची, जमशेदपुर
46	सिलीगुड़ी	सिलीगुडी, बोलपुर
47	स्रत	स्रत, दमन
48	ठाणे	ठाणे, ठाणे ग्रामीण, भिवंडी

क्र.सं.	क <i>ेन्द्रीय उत्पाद</i> शुल्क	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त के निबंधनानुसार
	और सेवाकर, आयुक्त	अधिकारिता
	(अपील)	
(1)	(2)	(3)
49	वडोदरा	वडोदरा-। , वडोदरा-।।

सारणी **I V** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आयुक्त (संपरीक्षा) की अधिकारिता

क्र.सं.	केन्द्रीय उत्पादशुल्क और	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त के	
प्रे.रा. प्रे.ल्प्राच उत्पादसुख्य आर् सेवाकर आयुक्त (संपरीक्षा)		निबंधनानुसार अधिकारिता	
	5	9	
(1)	(2)	(3)	
1	अहमदाबाद	अहमदाबाद उत्तर, अहमदाबाद दक्षिण, गांधीनगर	
2	बेलगावी	बेलगावी, मैंगलोर	
3	बेंगलुरू ।	बेंगलुरू पूर्व, बेंगलुरू दक्षिण	
4	बेंगलुरू ।।	बेंगलुरू उत्तर, बेंगलुरू उत्तर पश्चिम	
5	भोपाल	भोपाल, जबलपुर	
6	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर, राऊरकेला	
7	चंडीगढ़	चंडीगढ़, शिमला	
8	चेन्नई ।	चेन्नई उत्तर, पुदुचेरी	
9	चेन्नई ।।	चेन्नई दक्षिण, चेन्नई बाहरी	
10	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, सेलम	
11	देहरादून	देहरादून	
12	दिल्ली ।	दिल्ली उत्तर, दिल्ली पूर्व	
13	दिल्ली ।।	दिल्ली दक्षिण, दिल्ली पश्चिम	
14	दुर्गापुर	सिलीगुडी, बोलपुर	
15	गुंदूर	विशाखापट्टनम, गुंदूर, तिरुपति	
16	गुरुग्राम	गुरुग्राम, फरीदाबाद	
17	हैदराबाद ।	हैदराबाद, रंगारेड्डी	
18	हैदराबाद ।।	मेदचल, सिकंदराबाद	
19	इंदौर	इंदौर, उज्जैन	
20	जयपुर	जयपुर, अलवर	

क्र.सं.	केन्द्रीय उत्पादशुल्क और	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त के	
	सेवाकर आयुक्त (संपरीक्षा)	निबंधनानुसार अधिकारिता	
(1)	(2)	(3)	
21	जम्मू	जम्मू	
22	जोधपुर,	जोधपुर, उदयपुर	
23	कानपुर	कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी	
24	कोच्ची	तिरुवनंतपुरम, कोच्ची, कोषिकोड	
25	कोलकाता ।	कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण	
26	कोलकाता ।।	हावड़ा, हल्दिया	
27	ল खन 	लखनऊ, आगरा	
28	लुधियाना	लुधियाना, जालंधर	
29	मेरठ	मेरठ, गाजियाबाद	
30	मुंबई ।	मुंबई दक्षिण	
31	मुंबई ।।	मुंबई पूर्व, मुंबई मध्य	
32	मुंबई ।।।	मुंबई पश्चिम, पालघर	
33	मैस् रू	मैस्रू, बेंगलुरु पश्चिम	
34	नागपुर	नागपुर- ।, नागपुर- ।।	
35	नासिक	नासिक, औरंगाबाद	
36	नोएडा	नोएडा, गौतम बुद्ध नगर	
37	पंचकुला	पंचकुला, रोहतक	
38	पटना	पटना- ।, पटना- ।।	
39	पुणे- ।	पुणे- ।, कोल्हापुर	
40	पुणे-।।	पुणे- ।।, गोवा	
41	रायगढ़	रायगढ़, नवी मुंबई, बेलापुर	
42	रायपुर	रायपुर	
43	राजकोट	राजकोट, भावनगर, कच्छ (गांधीधाम)	
44	रांची	रांची, जमशेदपुर	
45	शिलांग	शिलांग, गुवाहाटी, दिब्र्गढ़, इटानगर, दीमापुर, इम्फाल, ऐजावल, अगरतला	
46	स्रत	सूरत, दमन	
47	ठाणे	ठाणे, ठाणे ग्रामीण, भिवंडी	
48	वडोदरा	वडोदरा- ।, वडोदरा – ।।	

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. ३४९/५२/२०१७-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

Notification No. 4/2017 – Central Tax

New Delhi, the 19th June, 2017 29 Jyaistha, 1939 Saka

G.S.R....(E).- In exercise of the powers conferred by section 146 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

Explanation.- For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

(Dr. Sreeparvathy.S.L.) Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 4/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 19 जून, 2017

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकरण सुकर बनाने, कर के संदाय, विवरणों को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर के संगणन और बंदोबस्त और इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से बिलों के लिए समान माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में "www.gst.gov.in" को अधिसूचित करती है ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "www.gst.gov.in" से माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है, द्वारा प्रबंधित वेबसाइट अभिप्रेत है ।

2. यह अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 को प्रवृत होगी ।

[फा.सं. ३४९/७२/२०१७-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

Notification No. 5/2017 – Central Tax

New Delhi, the 19th June, 2017 29 Jyaistha, 1939 Saka

- G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby specifies the persons who are only engaged in making supplies of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub-section (3) of section 9 of the said Act as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act.
- 2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

(Dr. Sreeparvathy.S.L.) Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 5/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सा.का.िन. (अ) केन्द्रीय सरकार केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए उन व्यक्तियों को, जो केवल कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने में लगे हैं, जिन पर कुल कर, ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किए जाने का दायी है, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त है।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. ३४९/७२/२०१७-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

Notification No. 6/2017 - Central Tax

New Delhi, the 19th June, 2017 29 Jyaistha, 1939 Saka

- **G.S.R.** (E).- In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 26 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said Rules), the Central Board of Excise and Customs hereby notifies the following modes of verification, for the purpose of the said rule, namely:-
 - (i) Aadhaar based Electronic Verification Code (EVC);
 - (ii) Bank account based One Time Password (OTP):

Provided that where the mode of authentication of any document is through any of the aforesaid modes, such verification shall be done within two days of furnishing the documents.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

(Dr. Sreeparvathy.S.L.) Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 6/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 19 जून, 2017 29 ज्येष्ठ 1939, शक

सा.का.िन. (अ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सत्यापन की रीतियां अधिसूचित करता है, अर्थात् :--

- (i) आधार आधारित इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट (ईवीसी) ;
- (ii) बैंक खाता आधारित एक बार का पासवर्ड (ओटीपी): परंतु जहां किसी दस्तावेज के सत्यापन की रीति पूर्वोक्त किसी एक रीति के माध्यम से है, वहां ऐसा सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करने के दो दिन के भीतर किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

Notification No. 8/2017-Central Tax

New Delhi, the 27th June, 2017

- G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby prescribes that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed seventy five lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the central tax payable by him, an amount calculated at the rate of,—
 - (i) one per cent. of the turnover in State in case of a manufacturer,
 - (ii) two and a half per cent. of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act, and
 - (iii) half per cent. of the turnover in State in case of other suppliers:

Provided that the aggregate turnover in the preceding financial year shall be fifty lakh rupees in the case of an eligible registered person, registered under section 25 of the said Act, in any following States, namely: -

- (i) Arunachal Pradesh.
- (ii) Assam,
- (iii) Manipur,
- (iv) Meghalaya,
- (v) Mizoram,
- (vi) Nagaland,
- (vii) Sikkim,
- (viii) Tripura,
- (ix) Himachal Pradesh:

Provided further that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:-

TABLE

S. No.	Tariff item, sub- heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

Explanation. –

- (1) In this Table, "tariff item", "sub-heading", "heading" and "chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

[F.No.354/117/2017-TRU]

(Mohit Tewari) Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसचना सं0 8/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

सा0का0िन0.... (अ)- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर विहित करती है कि ऐसा कोई पात्र रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पचहत्तर लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा संदेय केंद्रीय कर के बदले में, निम्नलिखित की दर पर संगणित रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा,--

- (i) किसी विनिर्माता के मामले में राज्य में आवर्त का एक प्रतिशत ;
- (ii) उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे हुए व्यक्तियों के मामलें में राज्य में आवर्त का ढाई प्रतिशत ; और
- (iii) अन्य प्रदायकर्ताओं के मामले में राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशत :

परंतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त निम्नलिखित किन्हीं राज्यों में, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन पात्र रजिस्ट्रीकृत, व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत के मामले में पचास लाख रुपए होगा, अर्थात्:--

- (i) अरुणाचल प्रदेश,
- (ii) असम,
- (iii) मणिपुर,
- (iv) मेघालय,
- (v) मिजोरम,
- (vi) नागालैंड,
- (vii) सिक्किम,
- (viii) त्रिपुरा,
- (ix) हिमाचल प्रदेश :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविषटि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है :--

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है या नहीं
2.	2106 90 20	पान मसाला

स्पष्टीकरण –

- (1) इस सारणी में, ''टैरिफ मद'', ''उपशीर्ष'', ''शीर्ष'' और ''अध्याय'' से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

[फा.सं. ३५४/11७/२०१७-टीआस्यू]

(मोहित तिवारी) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 9/2017 - Central Tax

New Delhi, the 28th June, 2017 7 Ashadha, 1939 Saka

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2017, as the date on which the provisions of sections 6 to 9, 11 to 21, 31 to 41, 42 except the proviso to sub-section (9) of section 42, 43 except the proviso to sub-section (9) of section 43, 44 to 50, 53 to 138, 140 to 145, 147 to 163, 165 to 174 of the said Act, shall come into force.

[F. No. 349/72/2017-GST]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 9/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

७ आषाढ १९३९ ,शक

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 से धारा 9, धारा 11 से धारा 21, धारा 31 से धारा 41, धारा 42 की उपधारा (9) के परंतुक के सिवाय धारा 42, धारा 43 की उपधारा (9) के परंतुक के सिवाय धारा 43, धारा 44 से धारा 50, धारा 53 से धारा 138, धारा 140 से धारा 145, धारा 147 से धारा 163, धारा 165 से धारा 174 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 11/2017 – Central Tax

New Delhi, the 28th June, 2017 7 Ashadha, 1939 Saka

G.S.R. (E).- In pursuance of sub-rule (1) of rule 26 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.6/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 608 (E), dated the 19th June, 2017, namely:-

In the said notification for the clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

- "(ii) Electronic verification code generated through net banking login on the common portal;
- (iii) Electronic verification code generated on the common portal."
- 2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 22nd day of June, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 11/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

7 आषाढ, 1939 शक

सा.का.नि. (अ) — केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 26 के उपनियम (1) के अनुसरण में अधिसूचना सं0 608(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं0 6/2017 — केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : —

उक्त अधिसूचना में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

- ''(ii) सामान्य पोर्टल पर नेट बैंकिंग लागइन के माध्यम से सृजित इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड ;
 - (iii) सामान्य पोर्टल पर सृजित इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड । ' '
- 2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 12/2017 – Central Tax

New Delhi, the 28th June, 2017 7 Ashadha, 1939 Saka

G.S.R.(E).— In pursuance of the first proviso to rule 46 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Board of Excise and Customs, on the recommendations of the Council, hereby notifies that a registered person having annual turnover in the preceding financial year as specified in column (2) of the Table below shall mention the digits of Harmonised System of Nomenclature (HSN) Codes, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in a tax invoice issued by him under the said rules.

Table

Serial Number	Annual Turnover in the preceding	Number of Digits of HSN
	Financial Year	Code
(1)	(2)	(3)
1.	Upto rupees one crore fifty lakhs	Nil
2.	more than rupees one crore fifty lakhs and upto rupees five crores	2
3.	more than rupees five crores	4

2. This notification shall come into force from the 1st day of July, 2017.

[F. No.349/72/2017-GST]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 12/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

7 आषाढ, 1939 शक

सा.का.नि. (अ) — केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक के अनुसरण में, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करता है कि कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वार्षिक आवृत्त नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोड के अंकों का वर्णन, उक्त अधिसूचना के अधीन जारी कर-बीजक में करेगा ।

सारणी

क्रम सं०	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में वार्षिक आवृत्त	एचएसएन कोड के अंकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	एक करोड़ पचास लाख रुपए तक	कुछ नहीं
2.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक और पांच करोड़ रुपए तक	2
3.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	4

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 13/2017 - Central Tax

New Delhi, the 28th June, 2017 7 Ashadha, 1939 Saka

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby fixes the rate of interest per annum, for the purposes of the sections as specified in column (2) of the Table below, as mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

Table

Serial Number	Section	Rate of interest
		(in per cent)
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-section (1) of section 50	18
2.	sub-section (3) of section 50	24
3.	sub-section (12) of section 54	6
4.	section 56	6
5.	proviso to section 56	9

2. This notification shall come into force from the 1st day of July, 2017.

[F. No.349/72/2017-GST]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 13/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

7 **आषाढ़,** 1939 **शक**

सारणी

क्रम सं0	धारा	ब्याज दर
		(प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 50 की उपधारा (1)	18
2.	धारा 50 की उपधारा (3)	24
3.	धारा 54 की उपधारा (12)	6
4.	धारा 56	6
5.	धारा ५६ का परंतुक	9

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 14/2017 – Central Tax

New Delhi, the 1st July, 2017 10 Ashadha, 1939 Saka

G.S.R (E).- In exercise of the powers conferred under section 3 read with section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the officers in the Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence, Directorate General of Goods and Services Tax and Directorate General of Audit as specified in column (2) of the Table below, as central tax officers and invests them with all the powers under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made there under, throughout the territory of India, as are exercisable by the central tax officers of the corresponding rank as specified in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Officers	Officers whose powers are to be exercised
(1)	(2)	(3)
1.	Principal Director General, Goods and Services	Principal Chief
	Tax Intelligence or Principal Director General,	Commissioner
	Goods and Services Tax	
2.	Director General, Audit	Chief Commissioner
3.	Principal Additional Director General, Goods and	Principal Commissioner
	Services Tax Intelligence or Principal Additional	
	Director General, Goods and Services Tax or	
	Principal Additional Director General, Audit	
4.	Additional Director General, Goods and Services	Commissioner
	Tax Intelligence or Additional Director General,	
	Goods and Services Tax or Additional Director	
	General, Audit	
5.	Additional Director, Goods and Services Tax	Additional Commissioner
	Intelligence or Additional Director, Goods and	
	Services Tax or Additional Director, Audit	
6.	Joint Director, Goods and Services Tax	Joint Commissioner
	Intelligence or Joint Director, Goods and Services	
	Tax or Joint Director, Audit	
7.	Deputy/Assistant Director, Goods and Services	Deputy Commissioner or
	Tax Intelligence or Deputy/Assistant Director,	Assistant Commissioner

	Goods and Services Tax or Deputy/Assistant Director, Audit	
8.	Senior Intelligence Officer, Goods and Services Tax Intelligence or Superintendent, Goods and Services Tax or Superintendent, Audit	Superintendent
9.	Intelligence Officer, Goods and Services Tax Intelligence or Inspector, Goods and Services Tax or Inspector, Audit	Inspector

2. This notification shall come into force with effect from the $1^{\rm st}$ day of July, 2017.

[F. No. 349/52/2017-GST]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 14/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 01 जुलाई, 2017 10 आषाढ़, 1939 शक

सा.का.नि. (अ).— केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, माल और सेवाकर महानिदेशालय और लेखा परीक्षा महानिदेशालय में अधिकारियों को केंद्रीय कर अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है और उनमें केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उन शक्तियों को निहित करता है जो भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी पंक्ति के केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य हैं, अर्थात्:—

सारणी

क्रम	अधिकारी	वे अधिकारी जिनकी शक्तियों का
सं.		प्रयोग किया जाना है
(1)	(2)	(3)
1.	प्रधान महानिदेशक, माल और सेवा कर आसूचना या प्रधान	प्रधान मुख्य आयुक्त
	महानिदेशक, माल और सेवा कर	
2.	महानिदेशक, लेखापरीक्षा	मुख्य आयुक्त
3.	प्रधान अपर महानिदेशक, माल और सेवा कर आसूचना,	प्रधान आयुक्त
	प्रधान अपर महानिदेशक, माल और सेवा कर या प्रधान अपर	
	महानिदेशक, लेखापरीक्षा	
4.	अपर महानिदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, अपर	आयुक्त
	महानिदेशक, माल और सेवा कर या अपर महानिदेशक,	
	लेखापरीक्षा	
5.	अपर निदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, अपर	अपर आयुक्त
	निदेशक, माल और सेवा कर या अपर निदेशक, लेखापरीक्षा	
6.	संयुक्त निदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, संयुक्त	संयुक्त आयुक्त
	निदेशक, माल और सेवा कर या संयुक्त निदेशक,	
	लेखापरीक्षा	
7.	उप/सहायक निदेशक, माल और सेवा कर आसूचना,	उपायुक्त या सहायक आयुक्त
	उप/सहायक निदेशक, माल और सेवा कर या उप/सहायक	_
	निदेशक, लेखापरीक्षा	
8.	ज्येष्ठ आसूचना अधिकारी, माल और सेवा कर आसूचना,	अधीक्षक
	अधीक्षक, माल और सेवा कर या अधीक्षक, लेखापरीक्षा	

9.	आसूचना	अधिकारी,	माल अ	ौर सेवा	कर	आसूचना,	निरीक्षक
	निरीक्षक,	माल और से	वा कर या	निरीक्षक	लेखाप	रीक्षा	

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. ३४९/५२/२०१७ - जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल) अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUBSECTION (i)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 16/2017 - Central Tax

New Delhi, the 7th July, 2017

- G.S.R... ()E.:- In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 96A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Board of Excise and Customs hereby specifies the conditions and safeguards for the registered person who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax, for furnishing a Letter of Undertaking in place of a Bond.
- i. The following registered person shall be eligible for submission of Letter of Undertaking in place of a bond:-
 - (a) a status holder as specified in paragraph 5 of the Foreign Trade Policy 2015-2020; or
 - (b) who has received the due foreign inward remittances amounting to a minimum of 10% of the export turnover, which should not be less than one crore rupees, in the preceding financial year,

and he has not been prosecuted for any offence under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) or under any of the existing laws in case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees.

ii. The Letter of Undertaking shall be furnished in duplicate for a financial year in the annexure to FORM GST RFD – 11 referred to in sub-rule (1) of rule 96A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by the working partner, the Managing Director or the Company Secretary or the proprietor or by a person duly authorised by such working partner or Board of Directors of such company or proprietor on the letter head of the registered person.

[F. No. 349/74/2017 – GST]

(Dr. Sreeparvathy S. L.) Under Secretary to the Government of India

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Corrigendum

New Delhi, the 10th July, 2017 19 Ashadha, 1939 Saka

G.S.R. (E).:- In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No.16/2017-Central Tax , dated the 7th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 848(E), dated the 7th July, 2017,-

in line 6, for "paragraph 5" read "paragraphs 3.20 and 3.21".

[F.No 349/74/2017-GST(Pt)]

-sd-

(Dr. Sreeparvathy S. L.)

Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड जीएसटी नीति खंड

अधिसूचना सं. 16/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 7 जुलाई, 2017

सा.का.नि.....(अ).-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर, नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिसका एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं का प्रदाय करने का आशय है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने हेतु शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करता है।

- (i) निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र प्रस्तुत करने के पात्र होंगे:--
 - (क) विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 5 में यथाविनिर्दिष्ट कोई प्रास्थिति धारक; या
 - (ख) जिसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्यात आवर्त का न्यूनतम 10 प्रतिशत के बराबर देय ऐसा विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त किया है, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होना चाहिए;

और उसे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अधीन या विद्यमान विधि में से किसी विधि के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है, जहां अपवंचन किए गए कर की रकम दो करोड़ पचास लाख रुपए से अधीक है।

(ii) किसी वित्तीय वर्ष में, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिवचन पत्र, दो प्रतियों में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के उपाबंध में दिया जाएगा और इसे सिक्रय भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सिचव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे सिक्रय भागीदार, ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या रिजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर के स्वत्वधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार [भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥ खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली दिनांक 10 जूलाई,2017 19 आषाढ़, 1993 शक

सा.का.नि. () अः- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 16/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 07 जून,2017 जिसे सा.का.नि 848 (अ), 07 जूलाई,2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥ खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में-

पंक्ति 6 में "पैरा 5" के स्थान पर "पैरा 3.20 और 3.21" पढे।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

(ड़ा श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) (Central Board of Excise and Customs)

Notification No. 18/2017 – Central Tax

New Delhi, 08th August, 2017

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details as specified in sub-section (1) of section 37 of the said Act for the month as specified in column (2) of the Table below, within the period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Month	Time period for filing of details of outward supplies in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July, 2017	1 st to 5 th September, 2017
2	August, 2017	16 th to 20 th September, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 8th day of August, 2017.

[F. No.349 /74 /2017-GST(Pt.)]

 $(Dr.\ Sreeparvathy\ S.L.)$ Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड) अधिसूचना सं.18/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 08 अगस्त, 2017

सा.का.नि. (अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्यौरे देने की समय सीमा को, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के स्थान पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविषटि में यथाविनिर्दिष्ट अविध के भीतर देने के लिए बढ़ाते हैं, अर्थात्:—

सारणी

	VIIV-II				
क्रम सं0	मास	प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे फाइल करने की समय अवधि			
(1)	(2)	(3)			
1	जुलाई, 2017	1 से 5 सितंबर, 2017			
2	अगस्त, 2017	16 से 20 सितंबर, 2017			

2. यह अधिसूचना ८ अगस्त, २०१७ से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. ३४९/७४/२०१७-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) (Central Board of Excise and Customs)

Notification No. 19/2017 – Central Tax

New Delhi, 08th August, 2017

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (2) of section 38 read with section 168 of the Central Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details specified in sub-section (2) of section 38 of the said Act for the month as specified in column (2) of the Table below, within the period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Month	Time period for filing of details of inward supplies in FORM GSTR-2
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	6 th to 10 th September, 2017
2.	August, 2017	21 st to 25 th September, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 8th day of August, 2017.

[F. No.349 /74 /2017-GST(Pt.)]

 $(Dr.\ Sreeparvathy\ S.L.)$ Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड) अधिसचना सं.19/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 08 अगस्त, 2017

सा.का.नि. (अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे देने की समय सीमा को, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के स्थान पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविषटि में यथाविनिर्दिष्ट अविध के भीतर देने के लिए बढ़ाते हैं, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं0	मास	प्ररूप जीएसटीआर-2 में आवक प्रदायों के ब्यौरे फाइल करने की समय अवधि
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई, 2017	6 से 10 सितंबर, 2017
2	अगस्त, 2017	21 से 25 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना 8 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 349/74/2017 - जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) (Central Board of Excise and Customs)

Notification No. 20/2017 – Central Tax

New Delhi, 08th August, 2017

G.S.R.(**E**).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return under sub-section (1) of section 39 of the said Act for the month as specified in column (2) of the Table below, within the period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Serial Number	Month	Time period for filing of details in FORM GSTR-3
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	11 th to 15 th September, 2017
2.	August, 2017	26 th to 30 th September, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 8^{th} day of August, 2017.

[F. No.349 /74 /2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड) अधिसूचना सं.20/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 08 अगस्त, 2017

सा.का.नि. (अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने की समय सीमा को, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के स्थान पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविषटि में यथाविनिर्दिष्ट अविध के भीतर देने के लिए बढ़ाते हैं, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं०	मास	प्ररूप जीएसटीआर-3 में ब्यौरे फाइल करने की समय अवधि
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई, 2017	11 से 15 सितंबर, 2017
2	अगस्त, 2017	26 से 30 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना ८ अगस्त, २०१७ से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. ३४९/७४/२०१७-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) (Central Board of Excise and Customs)

Notification No. 21/2017 - Central Tax

New Delhi, 08th August, 2017

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, read with section 168 of the Central Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal before the dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Serial Number	Month	Date for filing of GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	20 th August, 2017
2.	August, 2017	20 th September, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 8th day of August, 2017.

[F. No.349 /74 /2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड) अधिसूचना सं. 21/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 08 अगस्त, 2017

सा.का.नि. (अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप-जीएसटीआर-3ख में इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्थानी प्रविषटि में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व दी जाएगी, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं0	मास	जीएसटीआर-3ख फाइल किए जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई, 2017	20 अगस्त, 2017
2	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना ८ अगस्त, २०१७ से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. ३४९/७४/२०१७-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 23/2017 - Central Tax

New Delhi, the 17th August, 2017

G.S.R. ()E.:- In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act") read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as "the said Rules") and notification No. 21/2017-Central Tax dated 08th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. number 997 (E), dated the 08th August, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies the conditions in column (4) of the Table below, for furnishing the return in FORM GSTR-3B electronically through the common portal for the month of July, 2017, for such class of registered persons as mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, by the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl.	Class of registered	Last date	Conditions
No.	persons	for	
		furnishing	
		of return in	
		FORM	
		GSTR-3B	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Registered persons	20 th August,	
	entitled to avail input tax	2017	
	credit in terms of section		
	140 of the said Act read		
	with rule 117 of the said		
	Rules but opting not to		
	file FORM GST TRAN-		
	1 on or before the 28 th		
	August, 2017		
2.	Registered persons	28 th August,	(i) compute the "tax payable under the
	entitled to avail input tax	2017	said Act" for the month of July, 2017 and
	credit in terms of section		deposit the same in cash as per the
	140 of the said Act read		provisions of rule 87 of the said Rules on
	with rule 117 of the said		*
	Rules and opting to file		or before the 20 th August, 2017;
	FORM GST TRAN-1 on		(ii) file FORM GST TRAN-1 under sub-
	or before the 28 th August,		rule (1) of rule 117 of the said Rules

	2017				before the filing of FORM GSTR-3B;
					(iii) where the amount of tax payable
					under the said Act for the month of July,
					2017, as detailed in the return furnished in
					FORM GSTR-3B, exceeds the amount of
					tax deposited in cash as per item (i), the
					registered person shall pay such excess
					amount in cash in accordance with the
					provisions of rule 87 of the said Rules on
					or before 28 th August, 2017 along with the
					applicable interest calculated from the 21 st
					day of August, 2017 till the date of such
					deposit.
3.	Any o	ther	registered	20 th August,	
	person			2017	

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger.

Explanation.- For the purposes of this notification, the expression-

- (i) "Registered person" means the person required to file return under sub-section (1) of section 39 of the said Act;
- (ii) "tax payable under the said Act" means the difference between the tax payable for the month of July, 2017 as detailed in the return furnished in FORM GSTR-3B and the amount of input tax credit entitled to for the month of July, 2017 under Chapter V and section 140 of the said Act read with the rules made thereunder.
- 3. This notification shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 349/74/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 23/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 17 अगस्त, 2017

सा.का.िन. (अ)—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. सं0 997(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 21/2017-केंद्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख तक, विवरणी देने हेतु उक्त सारणी के स्तंभ (4) में शर्तें विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं0	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	प्ररूप जी.एस.टी.आर3ख में विवरणी देने की अंतिम तारीख	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उक्त नियमों के नियम 117 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 140 के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के हकदार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किंतु जिन्होंने 28 अगस्त, 2017 को या उससे पहले प्ररूप जी.एस.टी. टी.आर.ए.एन1 फाइल न करने का विकल्प चुना है।	20 अगस्त, 2017	
2.	उक्त नियमों के नियम 117 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 140 के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के हकदार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और जिन्होंने 28 अगस्त, 2017 को या उससे पहले प्ररूप जी.एस.टी. टी.आर.ए.एन1 फाइल करने का विकल्प चुना है।	28 अगस्त, 2017	(i) जुलाई, 2017 मास के लिए "उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर" की संगणना करना और 20 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व उक्त नियमों के नियम 87 के उपबंधों के अनुसार उसे नकद में जमा करना; (ii) जी.एस.टी.आर3ख फाइल करने से पूर्व, उक्त नियमों के नियम 117 के उपनियम (1) के अधीन प्ररूप जी.एस.टी. टी.आर.ए.एन1 फाइल करना; (iii) जहां जुलाई, 2017 मास के लिए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर की रकम, जिसके ब्यौरे प्ररूप जी.एस.टी.आर3ख में दी गई विवरणी में हैं, मद (i) के

			अनुसार नकद में जमा किए गए कर की रकम से अधिक है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 87 के उपबंधों के अनुसार 28 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व नकद में ऐसी आधिक्य रकम का, 21 अगस्त, 2017 से ऐसे जमा किए जाने की तारीख तक संगणित ऐसे ब्याज के साथ, जो लागू हो, संदाय करेगा।
3.	कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति	20 अगस्त, 2017	

2. जी.एस.टी.आर.-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए करों का संदाय – प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में विवरणी फाइल करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इलैक्ट्रानिक नकद खाते या इलैक्ट्रानिक जमा खाते में विकलन करके अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के मद्दे अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

- (i) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अपेक्षा है :
- (ii) "उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर" पद से जुलाई, 2017 मास के लिए संदेय ऐसे कर, जिसके ब्यौरे प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में दी गई विवरणी में दिए गए हैं और इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी रकम, जिसके लिए कर उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम के अध्याय 5 और धारा 140 के अधीन जुलाई, 2017 मास के लिए वह हकदार हो, के बीच का अंतर अभिप्रेत है।
- 2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी(पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 24/2017 - Central Tax

New Delhi, the 21st August, 2017

G.S.R. ______. In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and notification No. 21/2017-Central Tax dated 08th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. number 997 (E), dated the 08th August, 2017, the Board, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance vide No. 23/2017–Central Tax, G.S.R. 1024(E), dated the 17th August, 2017, namely:-

- (i) in the table,
 - (a) in Sl. No. 1, in column (3), for the figures, letters and word "20th August, 2017", the figures, letters and word "25th August, 2017" shall be substituted;
 - (b) in Sl. No. 2, in column (4), in item (i), for the figures, letters and word "20th August, 2017", the figures, letters and word "25th August, 2017" shall be substituted;
 - (c) in Sl. No. 2, in column (4), in item (iii), for the figures, letters and words"21st day of August, 2017", the figures, letters and words"26th day of August, 2017" shall be substituted;
 - (d) in Sl. No. 3, in column (3), for the figures, letters and word "20th August, 2017", the figures, letters and word "25th August, 2017" shall be substituted;

- (ii) in paragraph 2, after the words "electronic credit ledger" occurring before the Explanation, the words, figures and letters "on or before 25th August, 2017" shall be inserted.
- 2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 349/74/2017-GST(Pt.)]

(Shankar Prasad Sarma) Under Secretary to the Government of India

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 23/2017-Central Tax, dated the 17th August, 2017, published vide G.S.R number 1024 (E) dated the 17th August, 2017.

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 24/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 21 अगस्त, 2017

सा.का.िंग. (अ)—बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िंग. सं0 997(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 21/2017-केंद्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 23/2017-केंद्रीय कर, सा.का.िंग. 1024(अ), तारीख 17 अगस्त, 2017 में निम्निलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

(i) सारणी में,--

- (क) क्रम सं0 1 के स्तंभ (3) में, "20 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "25 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे :
- (ख) क्रम सं0 2 के स्तंभ (4) की मद (i) में, "20 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "25 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (ग) क्रम सं0 2 के स्तंभ (4) की मद (iii) में, "21 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "26 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (घ) क्रम सं0 3 के स्तंभ (3) में, "20 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "25 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) पैरा 2 में, स्पष्टीकरण के पहले आने वाले "धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए," शब्दों और अंकों के पश्चात्, "25 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व," अंक और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पी.टी.)]

(शंकर प्रसाद शर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पिण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (і) में सा.का.नि. सं0 1024(अ), तारीख 17 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 23/2017-केंद्रीय कर, तारीख 17 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 25/2017 – Central Tax

New Delhi, 28th August, 2017

G.S.R.(**E**).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return for the month of July, 2017, by a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and rule 64 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, till 15th day of September, 2017.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 25/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख. 28 अगस्त, 2017.

सा.का.नि...(अ). – आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवाओं का प्रदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा जुलाई मास, 2017 के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का विस्तार 15 सितम्बर, 2017 तक करते हैं।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No.26 /2017 – Central Tax

New Delhi, 28th August, 2017

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month as specified in column (2) of the Table below, till the date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Serial Number	Month	Last Date for filing of return in FORM GSTR-6
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	8 th September
2.	August, 2017	23 rd September

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.349/74 /2017-GST (Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S. L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 26/2017 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख. 28 अगस्त, 2017.

सा.का.नि...(अ). – आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अधीन किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय -सीमा का नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट तारीख तक विस्तार करते हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी फाइल करने की अन्तिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई, 2017	८ सितम्बर
2.	अगस्त, 2017	23 सितम्बर

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No.28/2017 - Central Tax

New Delhi, the 01st September, 2017

G.S.R. ()E.:- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the month of July, 2017 by the due date.

[F. No. 349/74/2017-GST(Pt.)]

(Dr.Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद–शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.28/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 सितंबर, 2017

सा.का.नि._____(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक जुलाई, 2017 मास के लिए प्ररूप जीएसटी आर-3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का अधित्यजन करती है।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 29/2017 - Central Tax

New Delhi, the 5th September, 2017

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37, first proviso to sub-section (2) of section 38 and sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of notifications No. 18/2017-Central Tax, dated the 8th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 994 (E) dated the 8th August, 2017, No. 19/2017-Central Tax, dated the 8th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 995 (E), dated the 8th August, 2017 and No. 20/2017-Central Tax, dated the 8th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 996 (E), dated the 8th August, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, specified in sub-section (1) of section 37, sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act as specified in column (3) of the Table below for the month as specified in column (2) of the said Table, till the time period as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Month	Details/Return	Time period for furnishing of details/Return
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	July, 2017	FORM GSTR-1	Upto 10 th September, 2017
		FORM GSTR-2	11 - 25 th September, 2017
		FORM GSTR-3	Upto 30 th September, 2017
2.	August, 2017	FORM GSTR-1	Upto 5 th October, 2017
		FORM GSTR-2	6 - 10 th October, 2017
		FORM GSTR-3	Upto 15th October, 2017

[F. No. 349/74/2017-GST]

(Shankar Prasad Sarma) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 29/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 सितंबर, 2017

सा.का.नि......(अ). – आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक, धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक तथा धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा.का.नि. 994(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं018/2017-केन्द्रीय कर, 8 अगस्त, 2017, सा.का.नि. 995(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं019/2017-केन्द्रीय कर, 8 अगस्त, 2017 और सा.का.नि. 996(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं0 20/2017-केन्द्रीय कर, 8 अगस्त, 2017 को अधिक्रांत करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट, यथास्थित, ब्यौरा या विवरणी देने की समय-सीमा को उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तस्थानी प्रविषटि में यथाविनिर्दिष्ट समयाविध तक बढ़ाते हैं, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं0	मास	विवरणी/ब्यौरा	विवरणी/ब्यौरा देने की समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जुलाई, 2017	प्ररूप जीएसटीआर-1	10 सितंबर, 2017 तक
		प्ररूप जीएसटीआर-2	11-25 सितंबर, 2017 तक
		प्ररूप जीएसटीआर-3	30 सितंबर, 2017 तक
2.	अगस्त, 2017	प्ररूप जीएसटीआर-1	५ अक्तूबर, २०१७ तक
		प्ररूप जीएसटीआर-2	6-10अक्तूबर, 2017 तक
		प्ररूप जीएसटीआर-3	15 अक्तूबर, 2017

[फा० सं० ३४९/७४/२०१७-जीएसटी]

(शंकर प्रसाद शर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 30/2017 – Central Tax

New Delhi, the 11th September, 2017

G.S.R.(E).- In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37, first proviso to sub-section (2) of section 38 and sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supercession of notification No. 29/2017-Central Tax, dated the 5th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1129 (E), dated the 5th September, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (1) of section 37, sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, as specified in column (2) of the Table below for the month of July, 2017, for such class of taxable persons or registered persons, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table till the time period as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Details/return	Class of taxable/registered	Time period for furnishing of details/return
		persons	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	GSTR-1	Having turnover of more than one hundred crore rupees Having turnover of upto one hundred crore rupees	Upto 3 rd October, 2017 Upto 10 th October, 2017
2.	GSTR-2	All	Upto 31 st October, 2017
3.	GSTR-3	All	Upto 10 th November, 2017

Explanation.- For the purposes of this notification, the expression "turnover" has the same meaning as assigned to it in clause (112) of section 2 of the aforesaid Act.

2. The extension of the time limit, for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (1) of section 37, sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the aforesaid Act, for the month of August, 2017 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/74/2017-GST (Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 30/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 11 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ)—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पिठत धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक और धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सा.का.नि. सं0 1129(अ), तारीख 5 सितंबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं0 29/2017-केंद्रीय कर, तारीख 5 सितंबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, उक्त अधिनयम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, जुलाई, 2017 मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने की समय-सीमा को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, कराधेय व्यक्तियों या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समयाविध तक बढ़ाते हैं, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं0	ब्यौरे/विवरणी	कराधेय / रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्यौरे /विवरणी देने की समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जी.एस.टी.आर.−1	जिसका आवर्त एक अरब रुपए से अधिक है	3 अक्तूबर, 2017 तक
		जिसका आवर्त एक अरब रुपए तक है	10 अक्तूबर, 2017 तक
2.	जी.एस.टी.आर2	सभी	31 अक्तूबर, 2017 तक
3.	जी.एस.टी.आर3	सभी	10 नवंबर, 2017 तक

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "आवर्त" पद का वही अर्थ है, जो उसका पूर्वीक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (112) में है।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, अगस्त, 2017 मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने की समय-सीमा के विस्तार को, बाद में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 31/2017 - Central Tax

New Delhi, the 11th September, 2017

- G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supercession of notification No. 26/2017-Central Tax, dated the 28th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1071 (E), dated the 28th August, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2017 upto the 13th October, 2017.
- 2. The extension of the time limit, for furnishing the return under sub-section (4) of section 39 of the aforesaid Act, for the month of August, 2017 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/74/2017-GST (Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 31/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 11 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ)—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सा.का.नि. सं० 1071(अ), तारीख 28 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं० 26/2017-केंद्रीय कर, तारीख 28 अगस्त, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन, इनपुट सेवा वितरक द्वारा, जुलाई, 2017 मास के लिए, विवरणी देने की समय-सीमा को, 13 अक्तूबर, 2017 तक बढ़ाते हैं।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन, अगस्त, 2017 मास के लिए, विवरणी देने की समय-सीमा के विस्तार को, बाद में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 32/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th September, 2017

G.S.R. (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the casual taxable persons making taxable supplies of handicraft goods as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act:

Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, does not exceed an amount of twenty lakh rupees in a financial year:

Provided further that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, does not exceed an amount of ten lakh rupees in case of Special Category States, other than the State of Jammu and Kashmir.

- 2. The casual taxable persons mentioned in the preceding paragraph shall obtain a Permanent Account Number and generate an e-way bill in accordance with the provisions of rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.
- 3. The above exemption shall be available to such persons who are making inter-State taxable supplies of handicraft goods and are availing the benefit of notification No. 8/2017 Integrated Tax dated the 14th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1156(E), dated the 14th September, 2017.

Explanation - For the purposes of this notification, the expression "handicraft goods" means the products mentioned in column (2) of the Table below and the Harmonized System of Nomenclature (HSN) code mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, when made by the craftsmen predominantly by hand even though some machinery may also be used in the process:-

Table

Sl	Products	HSN Code
No.		
(1)	(2)	(3)
1.	Leather articles (including bags, purses, saddlery, harness,	4201, 4202, 4203
	garments)	
2.	Carved wood products (including boxes, inlay work, cases,	4415, 4416
	casks)	
3.	Carved wood products (including table and kitchenware)	4419
4.	Carved wood products	4420

5.	Wood turning and lacquer ware	4421
6.	Bamboo products [decorative and utility items]	46
7.	Grass, leaf and reed and fibre products, mats, pouches, wallets	4601, 4602
8.	Paper mache articles	4823
9.	Textile (handloom products)	including 50, 58,
		62, 63
10.	Textiles hand printing	50, 52, 54
11.	Zari thread	5605
12.	Carpet, rugs and durries	57
13.	Textiles hand embroidery	58
14.	Theatre costumes	61, 62, 63
15.	Coir products (including mats, mattresses)	5705, 9404
16.	Leather footwear	6403, 6405
17.	Carved stone products (including statues, statuettes, figures of	6802
	animals, writing sets, ashtray, candle stand)	
18.	Stones inlay work	68
19.	Pottery and clay products, including terracotta	6901, 6909, 6911,
		6912, 6913, 6914
20.	Metal table and kitchen ware (copper, brass ware)	7418
21.	Metal statues, images/statues vases, urns and crosses of the	8306
	type used for decoration of metals of chapters 73 and 74	
22.	Metal bidriware	8306
23.	Musical instruments	92
24.	Horn and bone products	96
25.	Conch shell crafts	96
26.	Bamboo furniture, cane/Rattan furniture	
27.	Dolls and toys	9503
28.	Folk paintings, madhubani, patchitra, Rajasthani miniature	97

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr.Sreeparvathy.S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 32/2017 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 15 सितम्बर, 2017.

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, हस्तशिल्प माल के कराधेय प्रदाय करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों को पूर्वीक्त अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है:

परंतु ऐसे मालों का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रूपए की रकम से अधिक नहीं है :

परंतु यह और कि ऐसे माल का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, जम्मू-कश्मीर राज्य से भिन्न विशेष प्रवर्ग राज्यों के मामले में दस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं है। 2. पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और केन्द्रीय माल तथा सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपबंधों के अनुसार ई-वे बिल सृजित करेंगे।

3. उपरोक्त छूट ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो हस्तशिल्प माल के अंतरराज्यीय कराधेय प्रदाय कर रहे हैं और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1156(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर, तारीख 14 सितम्बर, 2017 का फायदा ले रहे हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" पद से नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नाम पद्धित प्रणाली (एचएसएन) संहिता, जब इनका मशीनीकृत उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रयोग न करते हुए, सम्पूर्ण देश में शिल्पकारों द्वारा विनिर्माण किया जाता है, अभिप्रेत है ।

सारणी

क्र.	उत्पाद	एचएसएन कोड
सं.		
(1)	(2)	(3)
1	चमड़े की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत थैला, पर्स, जीनसाजी, साज, वस्त्र भी	4201,
	हैं)	4202,
		4203
2	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गसन्दूक, जड़ाऊ कार्य, डिब्बे, पीपा भी	4415,
	हैं)	4416
3	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत टेबल और रसोई बर्तन भी हैं)	4419
4	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद	4420
5	काष्ठ के घुमावदार और रलाक्षबर्तन	4421

6	बांस उत्पाद (सजावटी और उपयोगी वस्तुएं)	46
7	तृण, पत्तियां और सरकंडा तथा फाइबर उत्पाद, चटाई, थैलियां, पेटियां	4601,
		4602
8	कागज मेश की वस्तुएं	4823
9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद)	जिनके अंतर्गत
		50, 58, 62,
	2	63 ਮੀ हैਂ
10	टैक्सटाइल हस्तमुद्रण	50, 52, 54
11	जरी धागा	5605
12	कालीन, रग और दरी	57
13	टैक्सटाइल, हस्त कशीदाकारी	58
14	थिएटर पोशाक	61, 62, 63
15	कयर उत्पाद (जिनके अंतर्गत चटाइयां, गद्दे भी हैं)	5705,
		9404
16	चमड़े का जूता	6403,
		6405
17	उत्कीर्णित प्रस्तर उत्पाद (जिनके अंतर्गत प्रतिमा, लघु प्रतिमा, जन्तुओं की आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती दान भी हैं)	6802
18	प्रस्तर जड़ाऊ कार्य	68
19	मिट्टी के बर्तन तथा मृत्तिका उत्पाद, जिसके अन्तर्गत टैराकोटा भी है	6901,
		6909,
		6911,
		6912,
		6913,
		6914
20	धातु टेबल तथा रसोई बर्तन (ताम्र, पीतल के बर्तन)	7418
21	अध्याय ७३ और ७४ की धातुओं के सज्जीकरण के लिए प्रयुक्त किस्म की	8306
	धातु की मूर्तियां, प्रतिमा/मूर्तिदान, कलश और क्रॉस	0000
22	धातु बिदरीवेयर	8306
23	संगीत वाद्य यंत्र	92
24	सींग और अस्थि उत्पाद	96
25	शंख सीपी शिल्प वस्तुएं	96
26	फर्नीचर, बांस, केन/बेंत के फर्नीचर	
27	गुड़िया और खिलौने	9503
28	लोक चित्रकारी मधुबनी, पतचित्रा, राजस्थानी लघु चित्र आदि	97

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी()]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, तारीख 16 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) — भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं० 1158(अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 32/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 सितंबर, 2017 के हिंदी पाठ में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण पढ़ा जाए, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण—=इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" पद से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नामपद्धित प्रणाली (एचएसएन) संहिता अभिप्रेत है, जब उत्पाद शिल्पकारों द्वारा प्रमुखतया हाथ से बनाया जाता है, हालांकि प्रक्रिया में कुछ मशीनरी का भी प्रयोग किया जा सकेगा ।"।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 33/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th September, 2017

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 18th day of September, 2017 as the date on which the provisions of sub-section (1) of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 51 of the said Act and the persons specified below under clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, namely:-

- (a) an authority or a board or any other body, -
 - (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
 - (ii) established by any Government,

with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;

- (b) society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
- (c) public sector undertakings:

Provided that the said persons shall be liable to deduct tax from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both with effect from a date to be notified subsequently, on the recommendations of the Council, by the Central Government.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr.Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 33/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 15 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 सितंबर, 2017 को उस तारीख के रूप से नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :--

- (क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा पचास प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,--
 - (i) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित ; या
 - (ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;

- (ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी ;
 - (ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

परंतु उक्त व्यक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किए गए या जमा किए गए संदाय से कर की कटौती करने का दायी होगा।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 35/2017 - Central Tax

New Delhi, 15th September, 2017

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and notification No. 21/2017-Central Tax dated the 08th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. number 997 (E), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal on or before the last dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Month	Last Date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	August, 2017	20 th September, 2017
2.	September, 2017	20 th October, 2017.
3.	October, 2017	20 th November, 2017
4.	November, 2017	20 th December, 2017.
5.	December, 2017	20 th January, 2018

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic

credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as detailed in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

[F. No.349 /74 /2017-GST (Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) **Under Secretary to the Government of India**

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय-उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.35/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, **15** सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) और अधिसूचना संख्या 21/217- केन्द्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 997(अ) तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करता है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :--

सारणी

क्रम संख्या	मास	प्ररूप जीएसटीआर−3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख
1	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017
2	सितंबर, 2017	20 अक्तूबर, 2017
3	अक्तूबर, 2017	20 नवंबर, 2017
4	नवंबर, 2017	20 दिसंबर, 2017
5	दि संबर , 2017	20 जनवरी, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय - प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा दी गई अंतिम तारीख जिस तक उससे उक्त विवरणी

प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, से पूर्व यथास्थिति इलैक्ट्रानिक रोकड़ बही या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही के नामे खाते डालकर करेगा ।

[फाइल सं. 349/74/2017-जीएसटी (भाग)]

Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) [Central Board of Excise and Customs]

Notification No. 37 /2017 – Central Tax

New Delhi, the 4th October, 2017

G.S.R....(E).- In exercise of the powers conferred by section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, sub-rule (5) of rule 96A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, and in supersession of notification No. 16/2017-Central Tax, dated the 7th July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 848 (E), dated the 7th July, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Excise and Customs hereby specifies conditions and safeguards for furnishing a Letter of Undertaking in place of a Bond by a registered person who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax -

(i) all registered persons who intend to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall be eligible to furnish a Letter of Undertaking in place of a bond except those who have been prosecuted for any offence under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or any of the existing laws in force in a case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees;

(ii) the Letter of Undertaking shall be furnished on the letter head of the registered person, in duplicate, for a financial year in the annexure to

rogistorion personi, in empressio, rer u minerione year in une unineneze te

FORM GST RFD - 11 referred to in sub-rule (1) of rule 96A of the

Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by

the working partner, the Managing Director or the Company Secretary or

the proprietor or by a person duly authorised by such working partner or

Board of Directors of such company or proprietor;

(iii) where the registered person fails to pay the tax due along with

interest, as specified under sub-rule (1) of rule 96A of Central Goods and

Services Tax Rules, 2017, within the period mentioned in clause (a) or

clause (b) of the said sub-rule, the facility of export without payment of

integrated tax will be deemed to have been withdrawn and if the amount

mentioned in the said sub-rule is paid, the facility of export without

payment of integrated tax shall be restored.

The provisions of this notification shall *mutatis mutandis* apply in respect

of zero-rated supply of goods or services or both made by a registered person

(including a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit)

to a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit without

payment of integrated tax.

2.

[F. No. 349/74/2017-GST (Pt.) Vol.-II]

(Rohan)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) [केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 37/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 4 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.848(अ), तारीख 7 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 16/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 7 जुलाई, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के लिए शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करता है—

- (i) ऐसे मामलो में, जहां अपवंचित कर की रकम दौ सौ पचास लाख रुपए से अधिक है, तथा जिन्हें केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या किसी प्रवृत्त विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है, उन व्यक्तियों के सिवाय, ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के पात्र होंगे;
- (ii) किसी वित्तीय वर्ष के लिए, परिवचन पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामें पर, दो प्रतियों में, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के उपाबंध में दिया जाएगा और यह कार्यरत भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे कार्यरत भागीदार या ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या स्वत्वधारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा;
- (iii) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट देय कर और ब्याज का भुगतान उक्त उपनियम के उपवाक्य (क) अथवा (ख) में उल्लिखित

अवधि में जमा नहीं कर पाता है तो यह माना जाएगा कि बिना एकीकृत कर का भुगतान किए निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है वह वापस ले ली गई है और यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो बिना एकीकृत कर का भुगतान किए निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है वह बहाल हो जाएगी।

2. इस अधिसूचना के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों, सिहत किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई भी है) द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना किए गए माल या सेवाओं या दोनों के जीरो रेटेड प्रदाय के संबंध में लागू होंगे।

[फा0 सं0.349/74/2017-जीएसटी (पी.टी) खंड - II]

(रोहन) अवर सचिव. भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 38/2017 – Central Tax

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 32/2017- Central Tax, dated the 15th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1158(E), dated the 15th September, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table –

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"9	Textile (har	ndloom	products),	Handmade	shawls,	Including	50,	58,	61,
	stoles and so	carves				62, 63";			

(ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter".

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.32/2017-Central Tax, dated the 15th September, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1158 (E), dated the 15th September, 2017.

भारत सरकार वित्त मंत्रलाय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं/38 .2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली ,तारीख 13 अक्तूबर ,2017

उक्त अधिसूचना की सारणी में -

(i) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

١.	(,) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
"9	टैक्सटाइल) हथकरघा उत्पाद(, हाथ से बनी शालें ,स्टोल और	50, 58, 61, 62, 63सहित";	
	स्कार्फ		

)।।(क्रम सं .28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों केपश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा ,अर्थात्:-

"29	श्रृंखला टांका	कोई अध्याय
30	क्रिवेल ,नामदा ,गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

[फा.सं .349/74/2017-जीएसटी)पीटी(]

)डा .श्रीपार्वती एस.एल(. अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचनासं .32/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 सितंबर, 2017 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग2, खंड3, उपखंड) i (में सा.की.नि.सं.1158)अ(, तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 39/2017 – Central Tax

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the "CGST Act"), on the recommendations of the Council, the Central Government hereby specifies that the officers appointed under the respective State Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Service Tax Act, 2017 (14 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Acts") who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the said Acts (hereafter in this notification referred to as "the said officers") by the Commissioner of the said Acts, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 54 or section 55 of the CGST Act read with the rules made thereunder except rule 96 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 39/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि.______(अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "सीजीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियमों" कहा गया है) के अधीन, उक्त अधिनियम के आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी जो उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजन के लिए समुचित अधिकारी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिकारियों" कहा गया है) होने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं, उक्त अधिकारियों की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, की बाबत केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96 के सिवाय इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी के लिए उचित अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे।

(फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 40/2017 – Central Tax

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R....(E).- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees or the registered person whose aggregate turnover in the year in which such person has obtained registration is likely to be less than one crore and fifty lakh rupees and who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

[F. No. 349/74/2017-GST (Pt.)]

(Dr.Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) [केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं0 40/2017- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्तूबर, 2017

[फा.सं. ३४९/७४/२०१७-जीएसटी (पीटी)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 41/2017 - Central Tax

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by a composition supplier, in **FORM GSTR-4**, under sub-section (2) of section 39 of the said Act read with rule 62 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the quarter July to September, 2017 till the 15th day of November, 2017.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 41/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. (अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी सम्मिश्रण पूर्तिकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 62 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई से सितम्बर, 2017 की तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 15 नवम्बर, 2017 तक विस्तार करता है।

[फाइल सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 42/2017 – Central Tax

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and in supersession of notification No. 25/2017-Central Tax, dated the 28th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1070 (E), dated the 28th August, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return in **FORM GSTR-5A** for the month of July, 2017, August, 2017 and September, 2017 by a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and rule 64 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 20th day of November, 2017.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 15th day of September, 2017.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 42/2017- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्तूबर, 2017.

सा.का.नि. ---- (अ) आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1070 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 25/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 अगस्त, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट गैर कराधेय ऑन लाइन प्रापितकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से ऑन लाइन सूचना और डाटा बेस पहुंच या पुन:प्रापित सेवा की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा जुलाई, 2017 अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 तक विस्तार करते हैं।

2. यह अधिसूचना 15 सितंबर, 2017 को प्रवृत्त मानी जाएगी ।

(फा. सं. ३४९/७४/२०१७ जीएसटी (पीटी)

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 43/2017 – Central Tax

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supercession of notification No. 26/2017-Central Tax, dated the 28th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1071 (E), dated the 28th August, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in **FORM GSTR-6** under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the months of July, 2017, August, 2017 and September, 2017 till the 15th day of November, 2017.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 43/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. (अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1071 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 26/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 अगस्त, 2017 को, सिवाय उन बातों के, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-6 में जुलाई, 2017, अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 15 नवम्बर, 2017 तक विस्तार करता है।

[फाइल सं. ३४९/७४/२०१७-जीएसटी (पीटी)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 44/2017 – Central Tax

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R.(E).—In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter referred to as the said Act) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, hereby extends the time limit for making a declaration, in **FORM GST ITC-01**, by the registered persons, who have become eligible during the months of July, 2017, August, 2017 and September, 2017, to the effect that they are eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 of the said Act, till the 31st day of October, 2017.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं/44.2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर ,2017

सा.का.नि.......)अ -. (केन्द्रीय सरकार , माल और सेवा कर अधिनियम , 2017) 2017 का 12 () जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 168 के अनुसरण में और आयुक्त , केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 40 के उप-नियम) 1 (के खंड) ख (में रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 में घोषणा करने के लिए , जो इस प्रभावी महीनों को माह जुलाई , 2017 , अगस्त , 2017 और सितम्बर , 2017 के दौरान पात्र हो गए हैं , जिन्हें 31 अक्तूबर , 2017 तक उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा) 1 (के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाने के वे पात्र हैं , समय सीमा विस्तारित करते हैं।

[फा .सं . ३४९/७४/२०१७-जीएसटी) पीटी.(]

) डॉ .श्रीपार्वती एस.एल (अवर सचिव ,भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

Notification No. 46/2017- Central Tax

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.8/2017-Central Tax, dated the 27th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 647 (E), dated the 27th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) for the words "seventy-five lakh rupees", the words, "one crore rupees" shall be substituted:
- (ii) for the words "fifty lakh rupees", the words, "seventy-five lakh rupees" shall be substituted;

[F. No. 354/117/2017- TRU (Pt. III)]

(Ruchi Bisht) Under Secretary to Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 46/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्तूबर, 2017

सा0का0िन0 (अ)- केन्द्रीय सरकार अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकिहत में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 8/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 27 जून, 2017, सा.का. नि. 647 (अ), तारीख 27 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नितिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

- (i) शब्द "पचतर लाख रूपये" के स्थान पर "एक करोड़ रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) शब्द "पचास लाख रूपये" के स्थान पर "पचत्तर लाख रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग.॥)]

(रूचि बिष्ट) अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE Department of Revenue CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

Notification No. 48/2017-Central Tax

New Delhi, the 18th October, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by section 147 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the supplies of goods listed in column (2) of the Table below as deemed exports, namely:-

Table

S.No.	Description of supply
(1)	(2)
1.	Supply of goods by a registered person against Advance Authorisation
2.	Supply of capital goods by a registered person against Export Promotion Capital
	Goods Authorisation
3.	Supply of goods by a registered person to Export Oriented Unit
4.	Supply of gold by a bank or Public Sector Undertaking specified in the notification
	No. 50/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017 (as amended) against Advance
	Authorisation.

Explanation -

For the purposes of this notification, –

- 1. "Advance Authorisation" means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 4 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import or domestic procurement of inputs on pre-import basis for physical exports.
- 2. Export Promotion Capital Goods Authorisation means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import of capital goods for physical exports.
- 3. "Export Oriented Unit" means an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit approved in accordance with the provisions of Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2015-20.

[F.No. 349/58/2017-GST(Pt)]

(Gunjan Kumar Verma) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 48/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 18 अक्तूबर, 2017.

सा.का.नि. --- (अ) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध माल की पूर्तियों को समझे गए निर्यातों के रुप में अधिसूचित करती है, अर्थात्

सारणी

क्रमसं.	पूर्ति का वर्णन
(1)	(2)
1	अग्रिम प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
2	निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पूंजी माल की पूर्ति
3	निर्यातोन्मुख यूनिट को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
4	अग्रिम प्राधिकार के प्रति अधिसूचना सं. 50/2017–सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017
	(यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट किसी बैंक या पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा स्वर्ण की पूर्ति

स्पष्टीकरण : -इस अधिसुचना के प्रयोजनों के लिए, --

- 1. "अग्रिम प्राधिकार" से आयात के लिए या भौतिक निर्यातों के लिए पूर्व आयात आधार पर इनपुट के घरेलू उपापन के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 4 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है
- 2. निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार से भौतिक निर्यातों के लिए पूंजी माल के लिए आयात के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 5 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है
- 3. "निर्यातोन्मुख यूनिट" से विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफटवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अभिप्रेत है।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पी.टी.)]

(गुंजन कुमार वर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 49/2017-Central Tax

New Delhi, the 18th October, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-rule (2) of rule 89 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 read with notification No. 48/2017-Central Tax, dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1305 (E), dated the 18th October, 2017, the Central Government hereby notifies the following, as detailed in column (2) of the Table below, as evidences which are required to be produced by the supplier of deemed export supplies for claiming refund, namely:-

Table

S.No.	Evidence
(1)	(2)
1.	Acknowledgment by the jurisdictional Tax officer of the Advance Authorisation holder or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, as the case may be, that the said deemed export supplies have been received by the said Advance Authorisation or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, or a copy of the tax invoice under which such supplies have been made by the supplier, duly signed by the recipient Export Oriented Unit that said deemed export supplies have been received by it.
2.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that no input tax credit on such supplies has been availed of by him.
3.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that he shall not claim the refund in respect of such supplies and the supplier may claim the refund.

[F.No. 349/58/2017-GST(Pt)]

(Gunjan Kumar Verma) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. ४९/२०१७-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 18 अक्तूबर, 2017.

सा.का.नि.....(अ).-- केंद्रीय सरकार, सा.का.नि. सं. 1305 (अ) तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017- केंद्रीय कर तारीख 18 अक्तूबर, 2017 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाउललिखित ऐसे साक्ष्य के रुप में, जिसे प्रतिदाय का दावा करने के लिए समझी गई निर्यात पूर्तियों के पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम	साक्ष्य
सं.	
(1)	(2)
1	यथासंथिति, अग्रिम प्राधिकार धारक या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक
	का अधिकारिता वाला कर अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति कि उक्त समझी गई
	निर्यात पूर्तियां उक्त अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार
	धारक द्वारा प्राप्त हो गई हैं या प्रापतिकर्ता निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा सम्यकत:
	हस्ताक्षरित ऐसा कर बीजक जिसके अधीन ऐसी पूर्तियां पूर्तिकर्ता द्वारा की गई
	हैं, कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं, की
	एक प्रति ।
2	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि ऐसी पूर्तियों पर कोई
	इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उसके द्वारा नहीं लिया गया है ।
3	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि वह ऐसी पूर्तियों
	की बाबत प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर
	सकेगा ।

[फा. सं. 349/58/2017 - जीएसटी (पी.टी.)]

(गुंजन कुमार वर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 50/2017 – Central Tax

New Delhi, the 24th October, 2017

G.S.R. (E):- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of August and September, 2017 by the due date.

[F. No. 349/74/2017-GST(Pt.)]

(Dr.Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 50/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 24 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. (अ). -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक अगस्त, 2017 और सितंबर, 2017 मास के लिए प्ररूप जीएसटी आर-3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का अधित्यजन करती है।

[फा.सं. ३४९/७४/२०१७ - जीएसटी (पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 52/2017 - Central Tax

New Delhi, the 28th October, 2017

G.S.R.(E). In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter referred to as the said Act) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification number 44/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 1258 (E), dated the 13th October, 2017, namely:-

In the said notification, for the words, figures and letters "the 31st day of October, 2017", the words, figures and letters "the 30th day of November, 2017"shall be substituted.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.II)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to Government of India

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification No. 44/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published vide number G.S.R. 1258 (E), dated the 13th October, 2017.

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 52/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. (अ) – केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 1258.(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 44/2017 – केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : – –

उक्त अधिसूचना में, "31 अक्तूबर, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 नवंबर, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.2)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 44/2017-केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1258(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 53/2017 - Central Tax

New Delhi, the 28th October, 2017

G.S.R. (E):- In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and sub-rule (3) of rule 45 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, with the approval of the Board, hereby extends the time limit for making the declaration in **FORM GST ITC-04**, in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker or sent from one job worker to another, during the quarter July to September, 2017, till the 30th day of November, 2017.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.II)]

(Dr.Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 53/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, **28** अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. (अ) – आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 45 के उपनियम (3) के अनुसरण में बोर्ड के अनुमोदन से किसी फुटकर कर्मकार को पारेषित मालों या किसी फुटकर कर्मकार से प्राप्त मालों या किसी फुटकर कर्मकार से अन्य फुटकर कर्मकार को जुलाई से सितंबर, 2017 की तिमाही के दौरान भेजे गए मालों के संबंध में प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा करने की समय-सीमा का 30 नवम्बर, 2017 तक विस्तार करता है।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.2)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 54/2017 - Central Tax

New Delhi, the 30th October, 2017

G.S.R.(E). In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (2) of section 38 and sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner hereby makes the following amendments in the notification number 30/2017-Central Tax, dated the 11th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 1144 (E), dated the 11th September, 2017, namely:-

in the table,

- a) against Sl. No. 2, in column (4), for the words, figures and letters "Upto 31st October, 2017", the words, figures and letters "Upto 30th November, 2017" shall be substituted;
- b) against Sl. No. 3, in column (4), for the words, figures and letters "Upto 10th November, 2017", the words, figures and letters "Upto 11th December, 2017" shall be substituted.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to Government of India

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 54/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 अक्तूबर, 2017

सा.का.िव. (अ)—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक और धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. 1144(अ), तारीख 11 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 30/2017-केंद्रीय कर, तारीख 11 सितंबर, 2017 में निम्नितिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

सारणी में,--

- (क) क्रम सं0 2 के स्तंभ (4) में, "31 अक्तूबर, 2017 तक " अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 नवम्बर, 2017 तक " अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) क्रम सं0 3 के स्तंभ (4) में, "10 नवम्बर, 2017 तक " अंकों और शब्द के स्थान पर,"11 दिसम्बर, 2017 तक " अंक और शब्द रखे जाएंगे |

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.) अवर सचिव, भारत सरकार